आवास भारती

वर्ष 20 | अंक 76 | जुलाई-सितम्बर, 2020

राष्ट्रीय आवास बैंक
NATIONAL HOUSING BANK

विश्व पर्यावास दिवस 2020 पर विशेष

यूएन हैबीटेट : एक परिचय

विश्व के शहर अनेक प्रकार की जनसांख्यिकीय, पर्यावरणीय, आर्थिक, सामाजिक एवं स्थानिक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। शहरीकरण की दिशा में एक आश्चर्यजनक बदलाव आया हैं। ऐसा अनुमान है कि वर्ष 2030 तक विश्व में प्रत्येक 10 व्यक्तियों में से 6 व्यक्ति शहरी क्षेत्र में जीवन–यापन कर रहे होगें। इनमें से 90 प्रतिशत की वृद्धि दर अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका तथा कैरेबियाई देशों में देखने को मिलेगी। एक प्रभावी शहरीकरण नीति के अभाव में इस प्रकार तेजी से बढ़ते शहरीकरण की वजह से स्थिति भयावह रूप ले सकती है।

बहुत सारे देशों में इस तरह के प्रभाव देखे भी जाने लगे हैं। इन प्रभावों में आवास की कमी तथा मलिन बस्तियों की संख्या में इजाफा एवं पुरानी अवसंरचना चाहे वह रोड़, सार्वजनिक परिवहन की सुविधा, जल उपलब्धता, स्वच्छता अथवा बिजली की समस्या, बढ़ती हुई गरीबी तथा बेरोज़गारी, सुरक्षा की समस्या, प्रदूषण और स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों के साथ ही प्रकृतिक संसाधनों का अनियोजित दोहन आदि शामिल हैं।

शहरीकरण की बढ़ती समस्या के निराकरण के लिए यूएन जनरल ऐसेम्बली द्वारा 1978 में स्थापित, यह शहरी विकास प्रकिया तथा शहरों एवं उनमें रहने वाले नागरिकों की आकांक्षाओं को समझने वाली एक सुविज्ञ संस्था है। पिछले 50 वर्षों से, यूएन हैबीटेट पूरे विश्व में मानव बंदोबस्तीकरण के क्षेत्र में कार्य कर रही है जिसका फोकस सभी गाँवों, कस्बों तथा शहरों के लिए एक बेहतर भविष्य को सुनिश्चित करना है। पिछले 5 दशकों से इस दिशा में कार्य करते हुये यूएन हैबीटेट ने उच्च स्तरीय नीति के साथ विशिष्ट तकनीकी मुद्दों के समाधान में विशेषज्ञता हासिल की है जिसका प्रयोग वर्तमान युग में शहरीकरण की बढ़ती समस्या के दुष्परिणामों को कम करने में किया जा रहा है।

यूएन हैबीटेट वर्ष 2014 से 2019 के दौरान विश्व के लगभग 90 देशों में सक्रिय रहा है। यूएन हैबीटेट द्वारा यह सारा कार्य इसके नैरोबी, केन्या स्थित मुख्यालय से किया जाता है। इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय एवं लैटिन अमेरिकी देशों तथा कैरेबियन देशों के लिए रियो डी जेनेरियो ब्राजील में है, एक एशिया तथा पैसेफिक देशों के लिए जापान में, अरब देशों के लिए कायरो में तथा एक अफ्रीका के लिए जो कि नैरोबी में ही अवस्थित है। यूएन हैबीटेट के विश्व में अनेक शिकायत एवं सूचना कार्यालय भी स्थित हैं।

यूएन हैबीटेट द्वारा इस वर्ष विश्व पर्यावास दिवस की थीम **'सबके लिए आवास – एक बेहतर शहर की परिकल्पना'** रखी गयी है।

प्रबंध निदेशक महोदय की कलम से

मैं आप सभी को हिंदी दिवस एवं विश्व पर्यावास दिवस–2020 के अवसर पर ढेरों शुभकामनायें देता हूँ। मुझे इस बात का गर्व एवं प्रसन्नता है कि बैंक द्वारा इस वर्ष भी आवास से संबंधित तकनीकी विषयों पर बेहतरीन लेखों का समेकन कर विशेषांक का प्रकाशन किया जा रहा है। आवास भारती पत्रिका को हमेशा से ही अपने प्रबुद्ध पाठकों का अपार प्यार मिला है और उनकी प्रतिक्रियाओं को ध्यान में रखते हुए पत्रिका के प्रत्येक अंक को और बेहतर किया जा रहा है, यह गर्व की बात है।

इस बार विश्व पर्यावास दिवस का यूएन हैबीटेट द्वारा इस वर्ष का थीम "सबके लिये आवास – बेहतर शहर की परिकल्पना" दिया गया है। भारत के प्रसंग में यह थीम बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने "सबके लिये आवास मिशन–2022" की घोषणा की है। इस मिशन के तहत पिछले वर्षों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है एवं लाखों आश्रयहीन परिवारों को अब तक युद्ध स्तर पर प्रभावी कार्रवाई करते हुए आवास उपलब्ध कराये गये हैं।

इस योजना के एक उपांग के रूप में ऋण आधारित सब्सिडी योजना (सीएलएसएस) में नोडल एजेंसी के रूप में राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा अब तक 23,793 करोड़ रु. की सब्सिडी वितरित की जा चुकी है जिसकी सहायता से 10.60 लाख परिवारों को लाभ पहुंचा है। सरकार का यह सपना है कि देश के हर परिवार के पास अपनी एक छत हो, तथा यह भी आवश्यक है कि सभी आधारभूत सुविधायें यथा साफ पीने का पानी, शौचालय, बिजली, जल निकासी, परिवहन आदि की भी पर्याप्त व्यवस्था हो जिससे इस मिशन को एक मुकाम मिल सके। यूएन हैबीटेट द्वारा इस वर्ष का थीम इन्हीं संकल्पनाओं को लेकर ही है। मुझे खुशी है कि प्रासंगिक समय पर इस थीम का सुझाव किया गया है क्योंकि भारत ही नहीं, विश्व के प्रत्येक देश में शहरीकरण तेजी से बढ़ रहा है। हम यह भी ध्यान रखें कि रोजगार प्रदान करने में आवासीय क्षेत्र की हमेशा से एक प्रमुख भूमिका रही है और अगर हम यह कहें कि किसी भी देश की आर्थिक अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख स्तंभ आवास एवं इससे संबंधित गतिविधियां हैं, तो गलत नहीं होगा।

कोविड के चलते, प्रत्येक भारतवासी को परेशानियों का सामना करना पड़ा है एवं इस वैश्विक महामारी के कारण सभी देशों की समग्र आर्थिक एवं सामाजिक आवश्यकताओं में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। यह कहना ठीक होगा कि हमारे जीने एवं कार्य करने के ढंग में आमूल–चूल परिवर्तन आ गया है।

हम इस बात को स्वीकार करें कि इस महामारी के दौर में जहाँ हमें एकतरफ कार्य करने के साथ–साथ अपने सहकर्मियों एवं साथियों का ध्यान रखना है वहीं दूसरी तरफ कार्य को भी आगे बढ़ाना है। हमें भारत सरकार द्वारा सुझाये गये मार्गनिर्देशों का सख्ती से अनुपालन करना अपेक्षित है जिससे हम सब संक्रमण से बच सकें एवं मुझे खुशी है कि राष्ट्रीय आवास बैंक के अधिकारियों ने अपने अदम्य सहयोग का परिचय दिया है एवं सभी ने आपस में एक तारतम्यता रखते हुए बैंक के क्रियाकलापों को भी नया आयाम प्रदान किया है।

आवास क्षेत्र से संबंधित जानकारी रखने वाले पाठक इस बात से परिचित होंगे कि भारत सरकार द्वारा हाल ही में "किफायती किराया आवास योजना" को प्रधानमंत्री आवास योजना के पांचवे उपांग के रूप में प्रस्तुत किया है। भारत सरकार ने कोविड के चलते लाखों प्रवासी मजदूरों को जो तकलीफ हुई है उनका संज्ञान लेते हुए एवं अन्य कारकों को ध्यान में रखते हुए यह योजना प्रस्तुत की है। "किफायती किराया आवास भवन", यह योजना आत्मनिर्भर भारत मिशन का ही एक हिस्सा है एवं इस योजना से हमारे श्रमिक भाईयों के साथ–साथ ऐसे लाखों लोगों को लाभ मिलेगा जो शहरों में काम की तलाश में आते हैं तथा जिनके पास रहने के लिये अपना घर नहीं होता है। इस योजना के तहत किफायती किराया आवास भवनों की संकल्पना की गयी है। योजना के तहत ईडब्ल्यूएस/एलआईजी/शहरी शरणार्थियों के लिये पर्याप्त आधारभूत सुविधाओं जैसे सड़क, बिजली, सीवर, पानी, जल निकासी से युक्त आवासीय एकक/ड्रामिट्री बनाये जायेंगे। सरकार द्वारा मार्गनिर्देशों में आवासीय एकक के परिमाप एवं अन्य अपेक्षित सुविधाओं की जानकारी दी गयी है तथा यह भी मार्गनिर्देशित किया गया है कि सभी उपलब्धता किफायती रेट पर एवं उचित रख–रखाव एवं संचालन के साथ की जायेंगी।

हमारी कोशिश रहेगी कि राष्ट्रीय आवास बैंक भी सरकार के इस मिशन का हिस्सा बने और एक सार्थक योगदान "किफायती किराया आवास भवनों" के निर्माण में किसी न किसी रूप में कर सकें।

मैं अंत में सभी रचनाकारों को बधाई देता हूं जिनके लेख पत्रिका में प्रकाशित किये जा रहे हैं। हम सबकी यह जिम्मेदारी है कि यूएन हैबीटेट की इस वर्ष की थीम "सबके लिये आवास – एक बेहतर शहर की परिकल्पना" को साकार करने में अपना सकारात्मक योगदान दें क्योंकि बिना सामाजिक भागीदारी के हमारे शहर स्वच्छ, सुंदर एवं सुरक्षित नहीं बन सकते। मुझे उम्मीद है कि पत्रिका के इस विशेषांक पर आपकी सकारात्मक प्रतिक्रिया हमें मिलेगी।

(एस.के.होता)

संरक्षक महोदय की कलम से

मेरे सभी साथियों को विश्व पर्यावास दिवस की ढेरों शुभकामनायें। यह मेरे लिये प्रसन्नता का विषय है कि मैं आवास भारती के विशेषांक के माध्यम से सभी प्रबुद्ध पाठकों से जुड़ रहा हूँ। मैं पत्रिका के संपादक मंडल एवं इस पत्रिका में योगदान करने वाले सभी लेखकों को साधुवाद देता हूँ जिनके रचनात्मक सहयोग से यह विशेषांक प्रकाशित हो रहा है।

इस बार वैश्विक परिस्थिति हर बार से काफी अलग है जहां एक ओर पूरा विश्व कोविड–19 जैसी महामारी से त्रस्त है वहीं दूसरी तरफ हमारे लिए अपने जीवन–यापन हेतु उद्यम करना भी उतना ही आवश्यक है। मनुष्य के लिए एक घर होना किसी सपने का पूरा होने से कम नहीं है। यदि हम इस बार के विश्व पर्यावास दिवस की थीम की बात करें तो ये भी इसी मुद्दे के इर्द–गिर्द है। इस बार का थीम है 'सबके लिए आवास–एक बेहतर शहर की परिकल्पना'। हालांकि यदि भारत की बात करें तो सरकार द्वारा वर्ष 2015 में आरंभ की गई प्रधानमंत्री आवास योजना इस दिशा में एक व्यापक कदम माना जा सकता है। जिसका मुख्य उद्देश्य ही है वर्ष 2022 तक समाज के अंतिम व्यक्ति के पास भी अपना एक घर हो। वैश्विक स्तर पर भी किफायती आवास हेतु विभिन्न देशों द्वारा योजनाएं चलाई जा रही है। जिसका मुख्य उद्देश्य समाज के हर तबके को आवास मुहैया करना है। कहीं इसे किफायती आवास तो कहीं सामाजिक आवास का नाम दिया गया है।

अगर आंकड़ों की बात करें तो बेल्जियम में कुल आवास बाजार का लगभग 6.5 प्रतिशत हिस्सा सामाजिक आवास है जिसे वहां की सरकार ने देश के निम्न आय वाले लोगों या परिवारों को मुहैया कराने हेतु पेश किया है। चिली में आवास की कमी वर्ष 1992 में 23 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2011 में 11 प्रतिशत रह गई थी। नीदरलैंड में सरकार ने ऐसी व्यवस्था की है ताकि सब्सिडी वाले घरों में किराए पर रहने वाले लोगों को €710.68 से अधिक किराया नहीं देना पड़ें। मैक्सिको में स्व–सहायता आवास के माध्यम से लोगों को आवास मुहैया कराया जा रहा है। जबकि स्पेन का संविधान वहां के नागरिकों को आवास के अधिकार की गारंटी देता है। जिसे पूरा करने हेतु वहां की सरकार ने ऐसी व्यवस्था की है कि हर पांच साल के बाद ही किराए बढ़ाए जा सकते हैं। इनके अलावा भी काफी देश अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से ही सही लेकिन अपने नागरिकों को आवास उपलब्ध कराने हेतु कटिबद्ध हैं।

अगर हम भारत जैसे विकासशील देशों की बात करें तो यहां नौकरी की तलाश में कई दशक से लोग बड़े–बड़े शहरों में आ रहे हैं लेकिन आवास की कमी के कारण एक बड़ी जनसंख्या कष्टमय जीवन जीने को विवश है। विश्व के कुछ बड़े स्लम हैं जो इस बात की ओर इशारा करते हैं कि हमें अभी आवास की दिशा में काफी कार्य करने शेष हैं। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आबादी के एक बड़े वर्ग को अग्रिम सब्सिडी देकर उनके घर के सपने को पूरा करने में सरकार योगदान कर रही है इसमें कोई संदेह नहीं कि आने वाले कुछ वर्षों में देश के शहरों का चेहरा बदल जाएगा और हमारे शहर वैश्विक स्तर के उच्च मानदंड वाले शहरों में अपना नाम शामिल करेंगे।

इस बार की थीम को ध्यान में रखते हुए विशेषांक हेतु विषयों का चयन किया गया है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक, बैंकों, आवास वित्त संस्थानों, आवास बोर्ड आदि से जुड़े कर्मियों से लेख आमंत्रित किए गए तथा उनमें से चयनित लेखों को विशेषांक में प्रकाशित किया गया है। मैं लेख भेजने वाले सभी लेखकों का धन्यवाद करता हूं एवं आशा करता हूं कि यह विशेषांक सभी के लिए लाभदायक सिद्ध होगा।

(राहुल भावे)
(कार्यपालक निदेशक)

कार्यपालक निदेशक महोदय की कलम से

मुझे इस बात की हार्दिक प्रसन्नता है कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बैंक द्वारा विश्व पर्यावास दिवस के अवसर पर बैंक की गृह पत्रिका आवास भारती का विशेषांक प्रकाशित किया जा रहा है। मैं इस बात के लिए राजभाषा विभाग की प्रशंसा करना चाहता हूं कि वैश्विक महामारी के इस माहौल में भी उन्होंने इस विशेषांक के प्रकाशन की जिम्मेदारी को पूरी निष्ठापूर्वक निभाया है।

कोविड महामारी ने एक प्रकार से सभी राष्ट्रों की आर्थिक प्रगति के चक्र को काफी शिथिल कर दिया है लेकिन सभी राष्ट्रों ने अब आगे बढ़ने की ठान ली है और लगभग सभी राष्ट्रों में लॉकडाउन से काफी हद तक छूट दे दी गयी है एवं आर्थिक प्रगति की गति वापस रफ्तार पकड़ रही है। मुझे प्रसन्नता है कि कोविड के इस दौर में भी बैंक ने अपनी अदम्य कार्य क्षमता का परिचय दिया है। विशेष रूप से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ऋण आधारित सब्सिडी योजना में वर्ष 2019–20 में बैंक द्वारा 7,572 करोड़ रु. की सब्सिडी का वितरण किया गया। इसके अतिरिक्त अन्य कार्य उपांगों में भी बैंक ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है।

आज के समय मे देश दो चुनौतियों से एक साथ लड़ रहा हैं। जहां एक ओर इस महामारी से देश को निपटना है तो वहीं लोगों को आवास मुहैया कराने हेतु कृतसंकल्पित भी रहना है। अगर हम आवास की बात करें तो पिछले कुछ वर्षों में इस ओर कई साकारात्मक कदम उठाए गए हैं। जहां एक ओर प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) देश के महानगरों और छोटे शहरों में आवास का सपना देख रहे लोगों के लिए एक आशा की किरण बन कर उभरी है तो वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के द्वारा गांवों पर भी ध्यान दिया गया है। हर आय वर्ग के लिए योजना में कुछ न कुछ है। सरकार हर वर्ग को वर्ष 2022 तक हर आश्रयहीन को एक घर मुहैया कराना चाहती है ताकि जब देश अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा हो तो लोगों की अपनी खुद की एक छत हो। इस बार का यूएन–हैबीटेट का थीम अत्यंत प्रासंगिक है "सबके लिये आवास – एक बेहतर शहर की परिकल्पना" एवं ज्वलंत एवं समसामायिक विचारोतेज्जक मुद्दा है जिस पर सभी राष्ट्रों द्वारा गहन चिंतन एवं कार्रवाई की आवश्यकता है।

फिर बात भारत जैसे विकासशील देश की हो या फिर अमेरिका और स्पेन जैसे विकसित देशों की। हर सरकारें आने वाले भविष्य के शहर को ध्यान में रखते लोगों को एक बेहतर जीवन देने के लिए तत्पर है जिससे कि आने वाले समय में हम सच्चे अर्थों वाले शहरों को विकसित कर सकें। एक घर बनाने से सिर्फ किसी को आश्रय ही नहीं देते बल्कि उसका निर्माण करने वाले लोगों को रोजगार भी मुहैया कराते हैं। एक अनुमान के मुताबिक आवास उद्योग से संबंधित गतिविधियों के कारण लगभग 200 से अधिक उद्योगों में काम करने वाले लोगों को रोजगार मिलता है। अतः यह रोजगार सृजन का भी एक बड़ा माध्यम है। इस प्रकार यह जहां एक परिवार को आश्रय मुहैया कराता है तो वहीं कई परिवारों को रोजगार भी देता है। हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि एक श्रेष्ठ आस–पास के वातावरण और आश्रय में ही एक श्रेष्ठ मस्तिष्क का विकास होता है और जब हम अपने नागरिकों को रहने के लिए एक अच्छा माहौल प्रदान करेंगे तभी हम सही अर्थों में एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को पूरा कर पाएंगे।

इसलिए आज राष्ट्रीय आवास बैंक के परिवार के हर एक सदस्य को यह प्रण करना होगा कि हमारा मिशन तब तक पूरा नहीं होगा जब तक देश के प्रत्येक आश्रयहीन परिवार के ऊपर एक छत का साया उपलब्ध नहीं हो जाता। हम यह भी ध्यान रखें कि वर्ष 2022 के बाद भी हमारा यह मिशन जारी रहेगा क्योंकि जैसे–जैसे आबादी बढ़ेगी वैसे–वैसे पुनः आवास की आवश्यकता होगी एवं आवास की मांग में बढ़ोत्तरी होगी जिस प्रकार से महानगरों की आबादी बढ़ रही है एवं शहरीकरण का दायरा बढ़ रहा है यह जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। मेरा मानना है कि बेहतर शहर की परिकल्पना को साकार करने में राष्ट्रीय आवास बैंक आने वाले समय में भी अपनी बेहतरीन क्षमता का परिचय देते हुए नये कीर्तिमान स्थापित करेगा।

(वी वैदीश्वरन)

मुख्य सतर्कता अधिकारी महोदय की कलम से

आप सभी को मेरी ओर से हिंदी दिवस और विश्व पर्यावास दिवस की ढेरों बधाईयां। मुझे प्रसन्नता है कि राष्ट्रीय आवास बैंक अपनी पिछली परंपरा को आगे बढ़ाते हुए इस वर्ष भी विश्व पर्यावास दिवस के अवसर पर अपनी गृह पत्रिका ''आवास भारती'' का विशेषांक प्रकाशित कर रहा है। यह हम सभी के लिए गर्व का विषय है कि विश्व पर्यावास दिवस के अवसर पर विज्ञान भवन में माननीय मंत्री महोदय द्वारा इसका अनावरण किया जाता है।

बैंक हर वर्ष विश्व पर्यावास दिवस की थीम के आधार पर विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, वित्तीय संस्थानों, पंजीकृत आवास वित्त कंपनियों, शहरी निकाय, आवास बोर्ड आदि से लेख आमंत्रित करता है। जिसमें से सर्वश्रेष्ठ लेखों को इस विशेषांक में संकलित किया जाता है। इस वर्ष भी बैंक द्वारा इन संस्थानों से लेख आमंत्रित किए गए थे जिनमें से बेहतरीन लेखों का संकलन इस विशेषांक में किया गया है।

इस बार विश्व पर्यावास दिवस की थीम 'सबके लिए आवास – एक बेहतर शहर की परिकल्पना' है। यह तो हम सभी जानते हैं कि पिछले कई वर्षों से सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर शहरों पर दबाव बढ़ा है। लोग आजीविका की तलाश में गांवों से शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। लेकिन भारत जैसे विकासशील देश के साथ दिक्कत यह रही कि यहां शहरों में जिस गति से रोजगार की संभावनाएं बढ़ी उतनी तेजी से लोगों के रहने हेतु आवास निर्माण नहीं हो पाए और इसका नतीजा यह हुआ कि शहरों में अवैध कॉलोनियों और स्लम बस्तियों की संख्या बेतहाशा बढ़ती गई और लोग कठिन जीवन जीने को मजबूर हो गए। इसी के साथ शहरों में अन्य बुनियादी सुविधाएं भी सही तरीके से विकसित नहीं हो पाई। हालांकि भारत सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना जहां एक ओर आवास की कमी को दूर करने हेतु कारगर साबित हो रही है वहीं शहरों को बेहतर बुनियादी सुविधाओं से लैस करने हेतु सरकार ने स्मार्ट सिटी मिशन और अमृत योजना की शुरूआत की है। जिसके माध्यम से शहरों में लोगों के रहने के स्तर को बेहतर बनाना है और लोगों को वो सभी बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने की कोशिश की जा रही है जो एक वैश्विक स्तर के शहरों में रहने वाले लोगों के पास होनी चाहिए। देश की जीडीपी का लगभग 63 प्रतिशत इन्हीं शहरों से आ रहा है ऐसे में इनका बेहतर तरीके से विकास होना जरूरी है।

यदि विश्व स्तर पर आवास की बात करें तो लगभग हर देश की सरकारें अपने यहां के नागरिकों को आवास मुहैया कराने की कोशिश में लगी हुई है। कहीं इसे किफायती आवास तो कहीं सामाजिक आवास का नाम दिया गया है। अमेरिका, स्पेन, जर्मनी, चिली, मैक्सिको जैसे देशों में किराया आवास पर भी काफी जोर दिया जा रहा है। जिससे आवास की समस्या का काफी हद तक निपटारा हो पाया है।

मेरे विचार में अब समय आ गया है कि हम मुम्बई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई जैसे महानगरों से सटे छोटे शहरों को विकसित करें जिससे इन महानगरों का बोझ कम हो सके एवं विशेष रूप से शहरी आधारिक महानगरों पर जो प्रभाव पड़ रहा है उसमें कमी आ सके। हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि नये विकसित किये जाने वाले शहरों में सभी सुविधायें जैसे अच्छे आवास, परिवहन, बिजली, जल निकासी आदि की सुविधाओं के साथ–साथ उद्योग धंधों में भी अच्छे विकल्प विकसित किये जायें जिससे ये शहर रोजगार केंद्रों के क्षेत्रों में भी उभरे एवं जन सामान्य महानगरों से इन नये शहरों में अपनी स्वेच्छा से स्थानांतरित हों।

एकबार फिर, मैं इस विशेषांक के प्रकाशन हेतु संपादक मंडल को बधाई देता हूं और लेख भेजने वाले लोगों का धन्यवाद करता हूं। आशा करता हूं कि यह विशेषांक सभी के लिए लाभदायक सिद्ध होगा।

एस के नागपाल

(सतीश कुमार नागपाल)

उप – संरक्षक महोदय की कलम से

मुझे प्रसन्नता है कि पूर्व वर्षों की भांति इस वर्ष भी बैंक की यह पत्रिका आवास भारती का विशेषांक प्रकाशित किया जा रहा है। मुझे इस संदेश के माध्यम से पहली बार आवास भारती के पाठक वर्ग से जुड़ने का मौका मिल रहा है जो मेरे लिए गरिमा का विषय है। राष्ट्रीय आवास बैंक की हमेशा से यह कोशिश रही है कि आवास भारती पत्रिका के माध्यम से पाठकों की हिंदी भाषा की रचनात्मकता को प्रोत्साहित किया जा सके।

विश्व पर्यावास दिवस 2020 के अवसर पर यूएन–हैबीटेट द्वारा इस वर्ष की थीम **'सबके लिए आवास–बेहतर शहर की परिकल्पना'** रखा गया है जो कि बहुत ही सटीक एवं समसामायिक है। पिछले कुछ समय में शहरों के आकार, आचार, प्रकृति या यूं कहें कि पूरी संकल्पना ही परिवर्तित हो गई है, तो गलत नहीं होगा। आज हमारे महानगर एवं उससे सटे इलाके रोज़गार, शिक्षा, स्वास्थ्य के लिए एक मजबूत स्तंभ बन के उभरे हैं एवं देश की जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा इन शहरों के माध्यम से आता है। ऐसे में यह जरूरी हो जाता है कि शहरों में रहने वाले वासियों के लिए एक बेहतर व्यवस्था तैयार की जाए जिससे उनकी रोजमर्रा की ज़िंदगी सुखमय हो सके एवं बिजली, पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए उनको बेवजह संघर्ष न करना पड़े।

स्मार्ट सिटी की संकल्पना धीरे–धीरे चरितार्थ रूप ले रही है परंतु हमारा मिशन तभी सफल होगा जब हम शहरों के प्रत्येक हिस्से को स्मार्ट सिटी के रूप में निरूपित कर सकें। बहुधा यह देखा गया है कि विकसित शहरों के काफी विकसित हिस्सों में भी जल, बिजली, सीवर की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होती जिसके चलते काफी परेशानी का सामना एक आम आदमी को करना पड़ता है। भारत सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना के पांचों उपांगों का सार अभी आश्रयविहीन परिवारों को अपना–अपना घर प्रदान करना तो है ही साथ ही उन घरों के लिए जरूरी आधारभूत सुविधाएं भी प्रदान करना है। आज भारी संख्या में रोज़गार की तलाश में युवा वर्ग शहरों में आता है एवं छोटा–मोटा रोज़गार हासिल कर वह आमतौर पर ऐसे–ऐसे इलाकों में निवास करने लगता है जहां किराया तो कम होता है लेकिन आधारभूत सुविधाएं सही प्रकार से उपलब्ध नहीं होती। आज सरकार का यह प्रयास है कि शहरों के सभी इलाकों में आधारभूत सुविधाएं दुरुस्त की जाएं जिससे सभी एक समान व्यवस्था से सरोकार हो सके।

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्लम बस्तियों के पुनर्विकास की भी व्यवस्था की गई है जिसमें जिस स्थान पर बस्ती है उसी स्थान पर भूकंपरोधी, सुव्यवस्थित मकान बनाने का प्रावधान किया गया है जिससे उन बस्तियों में रहने वाले लोगों को विस्थापित न होना पड़े एवं उनकी रोज़गार प्रक्रिया में कोई व्यवधान न आए।

मेरा मानना है कि जहां एक ओर धीरे–धीरे बड़े शहरों एवं छोटे शहरों को और विकसित करना होगा वहीं इसे टीयर–II टीयर– III शहरों के साथ–साथ उन गांवों की तरफ भी ध्यान देना होगा जिनसे निकलकर लोग शहरों की तरफ आ रहे हैं। हमें गांवों की व्यवस्था को इस प्रकार से दुरुस्त करना चाहिए जिससे गांवों में ही रोज़गार, स्वास्थ्य, शिक्षा के अच्छे अवसर उपलब्ध हो सकें ताकि लोगों का पलायन शहरों की ओर रुक सके। लोगों को अच्छे घर प्रदान करने में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है और मेरा मानना है कि इन दोनों योजनाओं के कार्यान्वयन की समाप्ति पर शहरों एवं गांवों में जन–सामान्य को सुव्यवस्थित आधारभूत सुविधाओं के साथ–साथ बेहतर घर सुलभ हो सकेंगे एवं जो आने वाले समय में देश के विकास की मज़बूत नींव रखेंगे।

मैं अंत में उन सभी लेखकों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने पत्रिका के विशेषांक में अपना रचनात्मक योगदान दिया है और इस विशेषांक को एक यादगार अंक बनाने में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

विश्व पर्यावास दिवस–2020 के अवसर पर आप सबको बधाई।

(सुशांत कुमार पाढ़ी)
महाप्रबंधक

विषय सूची

	विषय	पृष्ठ
1	हरित आवास (ग्रीन हाउसिंग) – बढ़ते कदम अजीत कुमार, उप प्रबंधक	7
2	आवास वित्त क्षेत्र एवं आत्मनिर्भर भारत अभियान नौशाबा हसन, मुख्य प्रबंधक	10
3	भविष्य के शहरों की ज़रूरतें एवं चुनौतियाँ अश्वनी कुमार, सहायक प्रबंधक	13
4	भविष्य के शहरों की जरूरतें एवं चुनौतियाँ आदर्श गुप्ता, प्रबंधक	16
5	स्मार्ट सिटी : भविष्य के शहर अरुण कुमार खण्डेलवाल, मुख्य प्रबंधक	18
6	स्मार्ट सिटी एवं साइबर सुरक्षा सतीश कुमार नागपाल, मुख्य सतर्कता अधिकारी	21
7	भविष्य के शहरों की जरूरतें एवं चुनौतियाँ सुभाष, क्षेत्रीय प्रबंधक	24
8	स्मार्ट सिटी : भविष्य के शहर कुलदीप सिंह भाटी, वरिष्ठ सहायक	27
9	सबके लिए आवास – एक बेहतर शहर की परिकल्पना संजय कुमार, प्रबंधक	30
10	हरित आवास (ग्रीन हाउसिंग) – बढ़ते कदम परवेश कुंडू, राजभाषा अधिकारी	32
11	स्मार्ट सिटी : भविष्य के शहर जया मिश्रा, मुख्य प्रबंधक	34
12	भविष्य के शहरों की जरूरतें एवं चुनौतियाँ अपूर्वा सिंह, प्रबंधक (राभा)	36
13	हरित आवास (ग्रीन हाउसिंग) – बढ़ते कदम अनिल कुमार, मुख्य प्रबंधक	38
14	प्रधानमंत्री आवास योजना: सपनों को हकीकत में बदलती एक योजना कल्याणलक्ष्मी चित्ता, प्रबंधक	40
15	भविष्य के शहरों की जरूरतें एवं चुनौतियाँ मनीष मण्डा, प्रबंधक	42
16	स्मार्ट सिटी – भविष्य के शहर मिलन चौबे, मुख्य प्रबंधक	44
17	स्मार्ट सिटी – भविष्य के शहर पवन कुमार, लिपिक	47
18	सबके लिए आवास – एक बेहतर शहर की परिकल्पना रजनीश कुमार यादव, मुख्य प्रबंधक-(राजभाषा)	50
19	भविष्य के शहरों की जरूरतें एवं चुनौतियाँ सतीश सिंह, प्रबंधक	52
20	स्मार्ट सिटी: भविष्य के शहर सिम्मी कुमारी, सहायक प्रबंधक	54

आवास भारती

राष्ट्रीय आवास बैंक की राजभाषा पत्रिका
(केवल आंतरिक परिचालन हेतु)

पंजी. संख्या, दिल्ली इन / 2001 / 6138

वर्ष 20 । अंक 76 । जुलाई-सितम्बर 2020

प्रधान संरक्षक
श्री शारदा कुमार होता
प्रबंध निदेशक

संरक्षक
श्री राहुल भावे
कार्यपालक निदेशक

उप संरक्षक
सुशांत कुमार पाढ़ी
महाप्रबंधक

संपादक
रंजन कुमार बरून
उप महाप्रबंधक

सहायक संपादक
शोभित त्रिपाठी
राजभाषा अधिकारी

संपादक मंडल
आर के अरविन्द, सहायक महाप्रबंधक
पंकज चड्ढा, क्षेत्रीय प्रबंधक
राम नारायण चौधरी, प्रबंधक
मनोज कुमार, उप प्रबंधक
कृष्ण चंद्र मौर्य, सहायक प्रबंधक

पत्रिका में प्रकाशित रचनाओं में अभिव्यक्त विचार, मौलिकता एवं तथ्य आदि लेखकों के अपने हैं। संपादक या बैंक का इनके लिए ज़िम्मेदार अथवा सहमत होना अनिवार्य नहीं है।

राष्ट्रीय आवास बैंक
NATIONAL HOUSING BANK
(भारत सरकार के अंतर्गत सांविधिक निकाय)

कोर–5 ए, 3–5 वां तल,
भारत पर्यावास केंद्र
लोधी रोड, नई दिल्ली–110003

प्रथम पुरस्कार

हरित आवास (ग्रीन हाउसिंग) - बढ़ते कदम

अजीत कुमार, उप प्रबंधक
भारतीय स्टेट बैंक

हरित आवास की अवधारणा वर्तमान शताब्दी के पर्यावरण प्रदूषण के गर्भ से उपजी अवधारणा है। वैश्विक स्तर पर विकास की अंधी दौड़ में मानवीय ज़िद ने सबसे अधिक प्रकृति को चोटिल किया है जिसका परिणाम समय–समय पर मानव सभ्यता झेलती रही है। रोटी, कपड़ा और मकान की बुनियादी जरूरत का दर्शन बदल गया है। उपभोग पर टिकी अर्थव्यवस्थाएं विकास के सिद्धांत की अपनी परिभाषाएं गढ़ रही हैं। आवास के परंपरागत ढांचे में व्यापक परिवर्तन हुए है। बहुमंजिली और गगनचुंबी इमारतें मनुष्य के निर्माणकारी रूप का साक्षात सबूत हैं। इस प्रक्रिया में सर्वाधिक नुकसान पर्यावरण को हुआ है।

निर्माण और प्रकृति के संतुलन बिंदु पर टिकी हुई मानवीय सभ्यता के लिए वर्तमान की सर्वाधिक ज्वलंत समस्याओं में से एक है प्रदूषण। विश्व के लगभग 760 करोड़ लोगों की जरूरतों को पूरा करने में प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किस अनुपात में होता है उसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। परंतु चिंतनशील मानवीय सभ्यता की सबसे बड़ी विशिष्टता है कि वह प्रत्येक समस्या का समाधान अपने तरीके से खोजता रहता है। फिर भी अपने तमाम अंतर्विरोधों के बावजूद विकास की अनवरत यात्रा में जो भी बुनियादी कदम उठाए गये हैं उसमें निर्माण सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। सड़क से लेकर रनवे, एयरपोर्ट से लेकर बुलेट ट्रेन को दौड़ाने की परियोजना, इन सब में निर्माण कार्य हो रहे हैं साथ ही विशालकाय भवन भी बन रहे हैं। हालांकि बसने वाले स्मार्ट शहरों में प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण का संकल्प शामिल हो रहा है और इस प्रक्रिया में प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण पर आधारित हरित आवास की अवधारणा मजबूती से विकसित हो रही है।

इस बीच पर्यावरणवादी समूह विकास के तमाम दावों पर सवाल खड़ा करने लगे और विज्ञानवादियों के साथ पर्यावरणवादियों की सामूहिक चिंतन प्रक्रिया के फलस्वरूप विकास को हरित अवधारणा से जोड़ा गया और उस स्थिति में विकास की परिभाषा और मानकों में परिवर्तन हुआ। तब कहीं संतुलित विकास की अवधारणा लोगों को समझ आयी। इस तरह हरित आवास विकासशील संस्कृति के लिए आवश्यक घटक बन कर उभरा है और विकास के मानकों के साथ सस्टेनेबल आर्किटेक्ट की अवधारणा हरित आवास के समानांतर विकसित हुई।

सबसे पहले हमें यह जान लेना चाहिए कि हरित आवास क्या है? हरित आवास से अभिप्राय ऐसे भवन से है जिसमें ऊर्जा की खपत कम हो तथा हमें हमारे जीवन स्तर में कहीं कोई समझौता ना करना पड़े। इस तरह के भवनों में सौर ऊर्जा का उपयोग दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली बिजली और प्रकाश संबंधी जरूरतें पूरी करता है। हरित तकनीक पर आधारित आवास में लकड़ी, सौर ऊर्जा आधारित वाटर हीटर और विभिन्न प्रकार की गैसों का उपयोग ऊर्जा उत्पादन करने के लिए किया जाता है।

आवास निर्माण में फर्श, दीवारों और छतों तक का निर्माण लंबे समय तक उपयोग हो सकने वाली लकड़ी से किया जाता है। साथ ही घर के अंदर और बाहर के वातावरण में शुद्ध वायु, जल, प्रकाश सुलभ हो सके। इसके लिए मुख्य रूप से सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है।

इस तकनीक में सौर ऊर्जा का उपयोग इस रूप में किया जाता है कि सूरज की ऊष्मा और वातावरण की शीतलता तथा प्रकाश को इंसानी जरूरत के लिए उपयोग किया जा सके। इतना ही नहीं हरित आवास की तकनीक में घरों के निर्माण में बहुत बारीकी से काम किया जाता है। इन घरों के डिजाइन को तैयार करते समय इस

बात पर बल दिया जाता है की खिड़कियां किस दिशा में हो और हवा की गति व दिशा से घर में वायु और प्रकाश मिलता रहे। साथ ही प्राकृतिक साधनों जैसे लिक्विफाइड पैट्रोलियम गैस का उपयोग खाना बनाने, किसी वस्तु को गर्म करने तथा इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले घरेलू उत्पाद को गैस आधारित बनाने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ाए जा रहे हैं।

साथ ही वर्षा जल संरक्षण प्रणाली जिसे अंग्रेजी में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम कहा जाता है को हरित आवास की अवधारणा में जोड़ा गया है। न केवल विशालकाय भवनों जैसे मॉल, शॉपिंग कॉम्पलेक्स, सिनेमा हॉल और आवासीय परिसरों में इस प्रणाली का प्रयोग किया जाता है बल्कि ग्रामीण स्तर पर भी भारत सरकार इस दिशा में बेहद महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।

"लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरमेंटल डिजाइन (लीड) के अनुसार वाणिज्यिक भवन की तुलना में हरित भवन 25% ऊर्जा तथा 11% जल का संरक्षण करती है।" लीड के अनुसार लोगों के जीवन में आ रहे व्यापक परिवर्तन के समानांतर हरित आवास की अवधारणा उनके घरों के डिजाइन निर्माण रखरखाव और भवन के प्रबंधन तथा सामुदायिक केंद्रों तक दिखाई दे रहा है।

विश्व के सबसे विकसित देश अमेरिका में भी हरित आवास की अवधारणा बहुत तेजी से बढ़ रही है। अमेरिका के 3 बड़े शहर 'हरित शहर' के नाम से जाने जाते हैं। सैन फ्रैंसिस्को, शिकागो तथा फिलाडेल्फिया अमेरिका के हरित शहर हैं। इन शहरों में 2,000 से अधिक सौर ऊर्जा प्रणाली स्थापित की गई है जो वहां के 9000 निवासियों को ऊर्जा प्रदान करते हैं।

सिंगापुर की एक कंपनी का तो ऐसा दावा है कि हरित आवास के द्वारा उसने 2014 में 5.3 लाख गीगा जूल ऊर्जा संरक्षण किया। इतना ही नहीं और भी कई उदाहरण हैं जैसे जनवरी 2017 से इंडोनेशिया के बांडुंग शहर में कार्बन उत्सर्जन को कम करने तथा जल संरक्षण को ध्यान में रखते हुए भवनों का निर्माण जरूरी कर दिया गया है। इस तरह यह शहर दुनिया के स्मार्टेस्ट इको फ्रेंडली शहर बनने की दिशा में मजबूत कदम रख चुका है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि जिन भवनों में कार्बन उत्सर्जन और जल संरक्षण का ख्याल नहीं रखा जाएगा उन भवनों के निर्माण से पूर्व दिया जाने वाला परमिट रद्द कर दिया जाएगा। इस नियम के लागू हो जाने के बाद बांडुग शहर के प्रशासन का ऐसा मानना है अगले 5 वर्षों में 25% ऊर्जा तथा 40% जल संरक्षण हो सकेगा। बांडुंग के कुल क्षेत्रफल में लगभग 3 मिलियन स्क्वेयर क्षेत्र में हरित भवन बनाए जाएंगे। इस परियोजना से लगभग 140000 मेगावाट बिजली की बचत होगी जिसमें लगभग 16 मिलियन अमेरिकी डॉलर बचेंगे।

हरित आवास के क्षेत्र में हमारा देश भी कदम बढ़ा चुका है जिसकी शुरूआत कलकत्ता के रबि रश्मी अबसान नाम के पहले पूर्ण आवासीय कॉम्प्लेक्स से 2008 में हुई। कलकता के 'न्यू–टाउन' क्षेत्र में 1.76 एकड़ में निर्मित भारत का पहला हरित आवासीय परिसर है। इसके बाद तो भारत में हरित आवास की अवधारणा अपेक्षाकृत तेजी से मजबूत हुई है। वर्तमान में इसका प्रचलन महानगरों से लेकर नए शहरों में तेजी से बढ़ रहा है। नीति आयोग के अनुसार भारत में 2030 तक वर्तमान की तुलना में 7 लाख मेगावाट अतिरिक्त बिजली की जरूरत होगी। उर्जा की इस जरूरत को किस तरह से पूरा किया जाए यह प्राकृतिक संसाधनों के दोहन पर निर्भर करेगा। ऐसे में उर्जा बचाना एक बेहतर विकल्प है जिसके द्वारा जीवन की गुणवत्ता से समझौता किये बिना पर्यावरण को बचाया जाए।

हम जानते हैं कि भारत का आवास निर्माण क्षेत्र भारत के वार्षिक कुल कार्बन उत्सर्जन का 22% भागीदार है। कुल ऊर्जा खपत का लगभग 40 प्रतिशत भाग भवनों में होता है जिसमें आवासीय परिसर 60 प्रतिशत ऊर्जा खपत करता है। ऐसे में भारत में हरित आवास प्रणाली जरूरत बन कर उभरी है। ग्रामीण भारत की बदलती तस्वीर में नये शहर आकार ले रहे हैं। इन नये शहरों में एक नया मध्यवर्ग बस रहा है। आवास, जल, सड़क, शिक्षा, परिवहन, चिकित्सा आदि बुनियादी जरूरत

बन गयी है। जिसे पूरा करने के लिए स्थानीय प्रशासन, राज्य सरकारें, और केंद्र सरकार की विविध योजनाएं है। परंतु इन सभी योजनाओं में पर्यावरण को कम से कम क्षति हो इसका ध्यान रखा जा रहा है। हरित आवास की बुनियादी समझ के तहत हमें संस्थागत प्रयासों पर विचार करना चाहिए।

भारत में मोटे तौर पर ऐसे दो संस्थान महत्वपूर्ण हैं जिन्होंने हरित आवास के क्षेत्र में ना केवल महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं बल्कि कई आधिकारिक समझौतों के द्वारा

हरित आवास की अवधारणा को मजबूती के साथ स्थापित किया है। इस क्षेत्र में राष्ट्रीय आवास बैंक अग्रणी भूमिका निभा रहा है। सरकार से मिलने वाली मदद के अतिरिक्त राष्ट्रीय आवास बैंक हरित आवास को बढ़ावा देने के लिए विदेशी फंडों का लाभ उठा रहा है। जुलाई 2017 में स्सटनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसॉर्स एंड एनर्जी फिनांस (सनरेफ) ने राष्ट्रीय आवास बैंक के साथ क्रेडिट सुविधा और अनुदान समझौतों पर हस्ताक्षर किया था जिसमें यूरोपीय संघ की प्रतिनिधि तथा भारत और फ्रांस के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में आवास योजना बनायी गयी। सनरेफ हाउसिंग

इंडिया दरअसल राष्ट्रीय आवास बैंक को 112 मिलीयन यूरो की वित्तीय मदद करेगा जिसमें प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के माध्यम से 100 मिलियन यूरो तथा यूरोपीय संघ द्वारा 12 मिलियन यूरो का वित्तपोषण किया जा रहा है।

सनरेफ आवास योजना के तहत भारत में आवासीय क्षेत्र के विकास की रूपरेखा तय की जाएगी जिसके अंतर्गत 2030 तक 70% आवास इकाइयों का निर्माण हरित आवास की अवधारणा पर आधारित होगा जो पर्यावरण पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव को कम करता है। हरित आवास के क्षेत्र में भारत में अभी किसी तरह का कोई वैधानिक नियम नहीं बनाया गया है जबकि अन्य देशों में हरित आवास की अवधारणा को वैधानिक बल दिया गया है।

प्रधानमंत्री के स्मार्ट सिटी योजना में हरित आवास को बहुत महत्व दिया जा रहा है। स्मार्ट सिटी के अंतर्गत बनाए जाने वाले वाणिज्यिक भवनों, कार्यालयों, खेलकूद–परिसर, एयरपोर्ट, रेलवे–स्टेशन, बस–स्टैंड, स्कूल–कॉलेज आदि में हरित अवधारणा अंतर्निहित है।

एक सर्वेक्षण के परिणाम यह बताते हैं कि दिल्ली में केवल 44% भवन हरित अवधारणा और जल ऊर्जा संरक्षण करने में सक्षम है। इस सर्वेक्षण में यह पाया गया कि भारत के प्रमुख आठ शहरों के दो हजार भवनों की संरचना पुराने तरीकों से की गयी है इसलिए यह हरित संरचना को पूरा नहीं कर पाती। परंतु एयरपोर्ट तथा मेट्रो स्टेशन और दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन का मुख्यालय ऐसे उदाहरण हैं जो हरित अवधारणा पर निर्मित है।

हम देख सकते हैं कि भारत के पुराने शहरों के समानांतर नये शहरों का विकास हो रहा है उसमें हरित अवधारणा पर बल दिया जा रहा है। उदाहरण के लिए मुंबई के समानांतर नवी मुंबई, रायपुर के समानांतर नया रायपुर, पुरानी दिल्ली के समानांतर नई दिल्ली तथा ऐसे विभिन्न शहर पिछले दशक में विकसित हुए हैं।

एक अन्य सर्वेक्षण के अंतर्गत हरित भवनों की दिशा में यह बात सामने आई है। दिल्ली के आसपास बनने वाले नए शहर जैसे नोएडा, गुड़गांव और फरीदाबाद हरित आवास की अवधारणा को बहुत मजबूती के साथ लागू कर रहे हैं। इन क्षेत्रों में किये गये गृह सर्वेक्षण के परिणाम बताते हैं कि नोएडा में 764513 स्क्वायर मीटर क्षेत्र में हरित भवनों का निर्माण हुआ है तथा गुड़गांव में 580962 मीटर और फरीदाबाद में 46004 स्क्वायर मीटर क्षेत्र में हरित भवनों का निर्माण किया गया है।

टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के अनुसार ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण के अनुसार लगभग 60% बनने वाली परियोजनाएं हरित आवास की अवधारणा पर विकसित हो रही है। अब अधिक से अधिक भवन निर्माण परियोजनाओं को हरित आवास की तर्ज पर बनाया जा रहा है जिसमें ऊर्जा संरक्षण को महत्व दिया जा रहा है। उपरोक्त उदाहरणों से स्पष्ट है कि हमारे देश ने भी हरित आवास की अवधारणा को प्राथमिकता दी है। जब विकास कार्यों के लिए लाखों एकड़ जंगलों की कटाई हो रही हो, नदियां न केवल प्रदूषित हो रही हैं बल्कि सूख रही हों, पर्यावरण में घोर असंतुलन की स्थिति पैदा हो गयी हो और धरती के फेफडे खतरनाक स्तर तक पहुंच गये हो तो हरित आवास निहायत जरूरी है।

ऐसा माना जाता है कि किसी भवन की उम्र 50 वर्ष से अधिक तथा किसी शहर की उम्र 500 साल की होती है। अब समय है कि हम आवास के परंपरागत अवधारणा में हरित आवास को सूत्रबद्ध करें और अपने आस–पास लागू कर प्रकृति के बहुमूल्य संसाधनों का संरक्षण करें। वर्तमान में आम जनता से लेकर राज्य सरकार और केंद्र सरकारें संवहनीय विकास के प्रति अपनी संवेदनशीलता दिखा रही हैं। हरित आवास के सिद्धांत पर निर्मित प्रत्येक भवन वैश्विक स्तर प्रकृति और पर्यावरण के संरक्षण के लिए जवाबदेह हैं। हरित आवास की ओर उठाया गया प्रत्येक कदम निश्चित तौर पर लंबे समय तक ऊर्जा बचत करते हुए संवहनीय विकास को मजबूत करेंगे और पर्यावरण और प्रकृति के संसाधनों को हमारी विकास यात्रा को प्रकृति के गोद में रखेगा। हरित आवास की ओर बढ़ता मानवीय समाज अपने संतुलित विकास यात्रा में प्रकृति और संसाधनों को सहचरी बना रहा है।

द्वितीय पुरस्कार

आवास वित्त क्षेत्र एवं आत्मनिर्भर भारत अभियान

नौशाबा हसन, मुख्य प्रबंधक
भारतीय स्टेट बैंक

गरीब से गरीब व्यक्ति को भी सिर्फ विश्राम के लिए ही जगह ना मिले बल्कि मान–सम्मान और परिवार की गरिमा बढ़ाने का भी अवसर मिले....जब आजादी के 75 साल हों तब हिन्दुस्तान के हर परिवार का अपना एक घर हो।

–श्री नरेंद्र मोदी

आवास किसी भी मनुष्य की केवल एक बुनियादी आवश्यकता मात्र ही नहीं बल्कि मानव विकास के रूप में एक राष्ट्र की प्रगति का संकेतक भी होता है। आवास को मूलभूत मानवीय आवश्यकता के रुप में मान्यता देते हुए भारत के नीति–निर्धारकों ने सदैव ही इसे पहली प्राथमिकता पर रखा है। आवासीय क्षेत्र सामाजिक एवं सांस्कृतिक वातावरण में परिवर्तन के लिए एक उत्प्रेरक के रूप में तो कार्य करता ही है साथ ही मैक्रो स्तर पर बड़ी संख्या में रोजगार उत्पन्न कर आर्थिक गतिविधियों को व्यापक भी बनाता है। इस क्षेत्र को आर्थिक प्रगति का इंजन माना जाता है जो लगभग 250 उद्योगों के साथ अपनी मजबूत "पश्चगामी" और "अग्रगामी" सहलग्नता से अर्थव्यवस्था को संबल प्रदान करता है। विश्व में भारतीय अर्थव्यवस्था जी.डी.पी. के हिसाब से पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जिसमें सेवा क्षेत्र 54% की अपनी हिस्सेदारी के साथ सबसे प्रमुख योगदानकर्ता है। वर्ष 2018–19 में वित्त, भू–संपदा और पेशेवर सेवा क्षेत्र ने 7.4% की दर से वृद्धि करते हुए अर्थव्यवस्था के समग्र जी.वी.ए.(ग्रॉस वैल्यू एडेड/सकल मूल्य वर्धित) में 20% से अधिक का योगदान दिया है। आसान शब्दों में कहें तो देश की अर्थव्यवस्था में आवासीय क्षेत्र अत्यंत महत्वपूर्ण घटक है जो वित्तीय वर्ष 2024–25 तक देश के पांच ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इस बात की पुष्टि "सबके लिए किफायती आवास" पर आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की रिपोर्ट भी करती है, जिसके अनुसार आवास की कमी का उन्मूलन भारत की जी.डी.पी. वृद्धि–दर को एक से डेढ़ प्रतिशत तक बढ़ाने की क्षमता रखता है।

भारतीय अनुभव दर्शाता है कि गृह–निर्माण में निवेश के द्वारा ग्राहक, विशेषतः निम्न आय वर्ग ऐसी ईक्विटी संचित करते हैं जो आगे समर्थक जमानत के रूप में प्रयुक्त हो सकता है, जो उन्हें औपचारिक माध्यमों द्वारा वित्त प्राप्त करने हेतु अधिक ऋण–पात्र बनाता है और आय–उत्पादन करने में भी सक्षम बनाता है। इस पृष्ठभूमि के होते हुए, आवास की कमी का समाधान और आवास–वित्त को प्रोत्साहित करना गरीबी हटाने की दिशा में हमारी राष्ट्रीय नीति का एक अभिन्न अंग बन जाता है।

–श्री हारुन रशीद खान, भूतपूर्व उपगवर्नर आर.बी.आई.

आवासीय क्षेत्र तक आबादी के एक बड़े वर्ग की पहुँच जहाँ समतामूलक विकास को बढ़ावा देकर वित्तीय समावेशन को सुविधापरक बनाती है वहीं गरीबी उन्मूलन व मानव–विकास सूचकांक में सुधार को भी इंगित करती है। एक बेहतर संचालित आवास सेक्टर अर्थव्यवस्था के संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए निर्णायक होता है और जैसे–जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती जाती है, वैसे–वैसे ही आवास बाजार की गहनता में भी वृद्धि होती जाती है। देश में अब तक लागू की गई बारह पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से केन्द्र एवं राज्य सरकारों ने आवास क्षेत्र को बढ़ावा तो दिया ही, साथ ही विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जनता को किफायती आवास उपलब्ध करवाने के अथक प्रयास भी किये। जहाँ एक ओर माँग और पूर्ति दोनों ही पहलुओं से आवासीय क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के लिए राजकोषीय प्रावधान किये गए तो वहीं दूसरी ओर आवास–वित्त को सहज–सुलभ बनाने के भी कई कदम उठाये गए। भारत में आवास के लिए व्यापक रूप से अपनाए गये नीतिगत ढांचे को निम्नलिखित तालिका में देखा जा सकता है

क्र.सं	आवास नीतिः कार्यक्रम	वर्ष
i.	राष्ट्रीय आवास नीति	1988
ii.	राष्ट्रीय आवास एवं पर्यावास नीति	1998
iii.	जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकराण मिशन	2005
iv.	राष्ट्रीय शहरी आवास एवं पर्यावास नीति	2007
v.	शहरी गरीबों के आवास हेतु ब्याज सब्सिडी योजना (इशप) राजीव ऋण योजना (आरआरवाई)	2008 2013
vi.	राजीव आवास योजना	2009
vii.	भागीदारी में किफायती आवास	2013
viii.	प्रधान मंत्री आवास योजनाः 2022 तक सबके लिए आवास	2015

भारत में आवास वित्त

किसी भी उभरती हुई अर्थव्यवस्था के लिए आवास क्षेत्र के विकास की अपनी चुनौतियां होती हैं, जिसमें सबसे बड़ी चुनौती वित्त तक पहुंच की होती है। आवास में निवेश ऐसा एकल सबसे बड़ा निवेश होता है जो व्यक्ति अपने जीवन–काल में करता है। इस प्रयोजन के लिए उसे स्वयं की बचत के साथ–साथ ही संस्थागत स्त्रोतों से वित्तपोषण की भी आवश्यकता पड़ती है, जिसकी पूर्ति आवास वित्त से जुड़ी

विभिन्न संस्थाएं करती हैं। भारतीय आवास वित्त उद्योग में आर्थिक वृद्धि और सामाजिक रूपांतरण का दौर पिछले तीन दशकों में दृष्टिगोचर होता है। भारतीय आवास वित्त क्षेत्र अब एक उच्च विनियमित प्रणाली से अधिक दक्ष एवं बाजारोन्मुख प्रणाली में पारगमन कर चुका है। भारत सरकार की नीतियों तथा भारतीय रिजर्व बैंक एवं राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा विनियामक पर्यवेक्षण, दिशा–निर्देश एवं हस्तक्षेप के फलस्वरूप भारतीय आवास वित्त क्षेत्र एक जीवंत एवं मजबूत क्षेत्र के रूप में उभरा है। देश में आवास की दीर्घकालिक वित्तीयन मांग की पूर्ति मुख्यतः प्राथमिक ऋणदाता संस्थानों यथा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों एवं राष्ट्रीय आवास बैंक के साथ पंजीकृत विभिन्न आवास वित्त कंपनियों द्वारा की जाती है। यह दोनों ही संस्थाएं एक दूसरे की अनुपूरक एवं वर्धक मानी जाती हैं और भारतीय आवास वित्त प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। यद्यपि इन संस्थाओं के अलावा सहकारी संस्थान, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियां(एन.बी.एफ.सी.) और सूक्ष्म वित्त संस्थान(एम.एफ. आई) जैसी संस्थाएं भी आवास के लिए ऋण उपलब्ध करवाती हैं तथापि बैंकों एवं आवास वित्त कंपनियों की तुलना में इनकी आवास वित्त क्षेत्र में भागीदारी काफी कम है।

भारतीय आवास वित्त क्षेत्र की कार्य–निष्पादकता

वर्ष 2018–19 के दौरान आवास वित्त क्षेत्र में समग्र आर्थिक परिदृश्य की पृष्ठभूमि में सुधार देखा गया है। ''भारत में आवास की प्रवृति एवं प्रगति रिपोर्ट 2019'' के आंकड़ों के अनुसार यथा 31.03.2019 को देश की कुल 99 आवास वित्त कंपनियों का सकल बकाया ऋण पोर्टफोलियो रूपए 12,04,240 करोड़ रहा तो वहीं अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की विभिन्न शाखाओं का वैयक्तिक आवास ऋण पोर्टफोलियो रूपए 11,60,111 करोड़ रहा। यद्यपि देखने में यह प्रदर्शन संतोषप्रद लगता है तथापि विकसित देशों की तुलना में देखें तो आज भी हमारे देश में जी.डी.पी. के प्रतिशत के रूप में आवास ऋणों का प्रतिशत काफी कम, लगभग 9.4% मात्र ही है। जी.डी.पी. के प्रतिशत के रूप में आवास वित्त वृद्धि देश में आवास वित्त क्षेत्र की गहराई का विश्लेषण करने का एक अच्छा उपाय माना जाता है और भारत में इसका न्यून स्तर बताता है कि हमारे यहाँ अभी भी आवास वित्त क्षेत्र में उन्नति के बहुत से अवसर उपलब्ध हैं, आवश्यकता है तो केवल उस दिशा में अर्थपूर्ण प्रयास करने की।

आत्मनिर्भर भारत और बदलता आवास वित्त परिदृश्य

वैश्विक स्तर पर फैली कोरोना महामारी की आपदा को अवसर में बदलने के उद्देश्य से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने दिनांक 12.05.2020 को देश की जी.डी.पी. के 10% अर्थात 20 लाख करोड़ रुपए के आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा की। प्रधानमंत्री ने इक्कीसवीं सदी के भारत के सपने को साकार करने हेतु देश को आत्मनिर्भर बनाने पर बल देते हुए निम्नलिखित पाँच स्तम्भों का उल्लेख किया

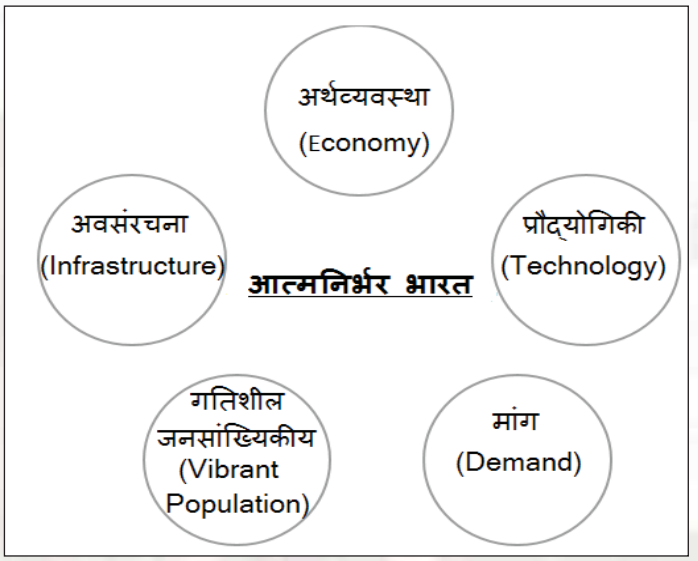

आत्मनिर्भर भारत अभियान हमारे आवास वित्त क्षेत्र के विकास के साथ प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है। आर्थिक विशेषज्ञ देश में निरंतर बढ़ती जनसंख्या, तीव्र शहरीकरण, लोगों की बढ़ती क्रय शक्ति एवं बढ़ती जनाकांक्षाएं तथा एकल परिवारों में बढ़ोतरी जैसे विभिन्न कारणों के चलते भारतीय आवास क्षेत्र के तीव्र गति से वृद्धि करने के प्रति आशावान हैं। हालाँकि शहरीकरण का एक दूसरा पहलू भी है जिसका विकृत रूप हमने कोरोना संकट काल के दौरान प्रवासी मजदूरों के रिवर्स माईग्रेशन अर्थात पलट–पलायन की दु:खद परिणितियों के रूप में देखा। प्रत्येक वर्ष रोजगार की खोज में ना जाने कितने ही ग्रामीण शहरों का रूख करते हैं और वहाँ बनी अस्थायी झुग्गी–झोपड़ियों में कष्टकारी जीवन जीने को विवश रहते हैं, इससे मलिन बस्तियों का प्रसार तो होता ही है पर्यावरण संबंधी क्षरण भी होता है। इन्ही बातों के दृष्टिगत देश की वित्तमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के दूसरे चरण की घोषणाओं में प्रवासी श्रमिकों और गरीबों को ध्यान में रखते हुए कई घोषणाएं कीं। आवासीय क्षेत्र की ऐसी योजनाएं निम्नानुसार रहीं:

- केंद्र सरकार प्रवासी श्रमिकों और शहरी गरीबों के लिए सस्ते किराए पर रहने की सुविधा प्रदान करने के लिए एक योजना शुरू करेगी। देश में पहली बार की जा रही इस पहल में शहरों में सरकारी वित्तपोषित मकानों को रियायती माध्यम से पी.पी.पी. मोड के तहत सस्ते किराए के आवासीय

परिसरों (ए.आर.एच.सी.) में परिवर्तित किया जाएगा। विनिर्माण इकाईयां, उद्योग, संस्थाएं आदि अपनी निजी भूमि पर सस्ते किराए के आवासीय परिसरों (ए.आ.रएच.सी.) को विकसित कर उन्हें संचालित सकेंगे। प्राइवेट सेक्टर द्वारा ऐसे हाउसिंग कॉम्प्लेक्स बनाने पर उन्हें विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा जैसे 50% फ्लोर एरिया रेशियो तथा टैक्स छूट आदि। सस्ते किराये के आवासीय परिसरों को विकसित और संचालित करने के लिए राज्य सरकार की एजेंसियों/केंद्र सरकार के संगठनों को भी प्रेरित किया जाएगा। ए.आर.एच.सी. के अंतर्गत शुरुआती तौर पर लगभग तीन लाख लाभार्थियों को कवर किया जाएगा और इससे शहरी क्षेत्रों में श्रमिकों के कार्यस्थल के निकट सस्ते किराये वाले आवासों की उपलब्धता के अनुकूल एक नया इकोसिस्टम तैयार होगा।

- प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना को मध्यम आय समूह, जिनकी सालाना आय रूपए 6 लाख से 18 लाख के बीच हो के लिए मार्च 2021 तक बढ़ाया जाएगा। इससे 2020–21 के दौरान लगभग ढाई लाख मध्यम आयवर्ग वाले परिवारों को लाभ होगा और आवासन क्षेत्र में 70,000 करोड़ रुपये से भी अधिक का निवेश किया जायेगा। इससे आवास क्षेत्र को तो बढ़ावा मिलेगा ही साथ ही बड़ी संख्या में रोजगार उत्पन्न होंगे तथा इस्पात, सीमेंट, परिवहन व अन्य निर्माण सामग्री जैसे उद्योगों को प्रोत्साहन मिलेगा।

इस तरह आत्मनिर्भर भारत अभियान ने आवास वित्त क्षेत्र के लिए बड़ी संभावनाओं के द्वार खोल दिए हैं। इन घोषणाओं के अतिरिक्त सरकार द्वारा की गई अन्य पहलों यथा किफायती आवासों को बुनियादी ढांचा का दर्जा दिये जाने, समर्पित किफायती आवास निधि और राष्ट्रीय शहरी आवास निधि की स्थापना, सरकार के नए नीतिगत उपायों यथा रेरा रिटस आदि के लागू होने से आवासीय क्षेत्र में मजबूती, विभिन्न पी.पी.पी. मॉडलों के तहत निजी सेक्टर को दिये प्रोत्साहनों के कारण किफायती आवासों के लिये टिकाऊ बाजार तैयार होने में मदद आदि से भी आवास वित्त क्षेत्र में निरंतर वृद्धि के अवसर बने रहेंगे।

भावी मार्ग:

एक सुरक्षित और निरापद आवास की इच्छा शाश्वत तथा सर्वव्यापी होती है। संभवता और सुलभता दो ऐसी समस्याएं है जो हमारे देश के आवासीय क्षेत्र की प्रगति में बाधक हैं और जिनका समाधान एक धारणीय आधार पर करने की आवश्यकता है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के दृष्टिगत आवास वित्त क्षेत्र की विभिन्न चुनौतियों का सामना करने निम्नलिखित सुझाव सहायक हो सकते हैं:

- इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि बड़ी संख्या में लक्ष्यीकृत और संभावित ग्राहक संभवतः वित्तीय रूप से वंचित हैं, वर्तमान व्यावसायिक मॉडलों के पुनर्विन्यास की आवश्यकता पड़ सकती है। आवास वित्त संस्थाएं लोगों को आवास वहन करने में समर्थ बनाने के लिए खंड–विशिष्ट उत्पाद जैसे बचत–प्रेरित आवास ऋण, आवास ऋण–जमा जैसे नवोन्मेषी उत्पाद विकसित कर सकती हैं। विभिन्न ग्राहकों और उनकी ऋण आवश्यकताओं का निर्धारण क्षेत्र–आधारित दृष्टिकोण जैसे प्रतिनिधियों के उपयोग, त्रिभुजन (ट्राइऐंग्युलेशन) आदि अपनाते हुए रूप से किया जा सकता है।

- ग्लोबल वार्मिंग और गैर–नवीकरणीय संसाधनों के दोहन ने हरित भवन आंदोलन को जन्म दिया है, जिसने संवहनीय विकास के विचार के साथ दुनिया भर में जोर पकड़ा है। इस दिशा में भारत में भी लोगों में जागरूकता बढ़ रही है और इस बात की पूर्ण सम्भावना है कि भविष्य में ग्राहकों द्वारा हरित–भवन निर्माण को बढ़ावा देने हेतु वित्त उत्पाद/योजनाओं की मांग में वृद्धि हो।

- आवास वित्त की प्रक्रियाओं एवं दस्तावेजीकरण को सरल बनाया जाये। कम राशि के आवास ऋणों के लिए भिन्न मूल्यांकन और जोखिम प्रबंधन की पद्धतियाँ अपनाई जानी चाहिए। अल्प–परिमाण (लो–टिकट) आवास खंड में उत्पन्न होने वाली ऋण जोखिमें भी ऋणदाताओं के लिए उपयुक्त बीमा योजनाओं के माध्यम से आंतरिकीकृत (इंटर्नलाइज) की जानी चाहिए।

- आवास ऋण ग्राहक वित्त संस्थाओं से केवल वित्त की ही अपेक्षा नहीं करते अपितु उन्हें अन्य सहायक सेवाओं जैसे ऋण परामर्श, तकनीकी सलाह आदि की भी आवश्यकता हो सकती है। गहन वित्तीय समावेशन के साथ ग्राहकों को वित्तीय साक्षरता प्रदान करना बदलते समय की महत्वपूर्ण मांग है। आवास वित्त संस्थाओं से अपेक्षित होगा कि वे अपने ग्राहकों को ऐसे सरल एवं दक्ष वित्तीय समाधान उपलब्ध कराएँ जो भारत में निर्मित और भारत के लिए निर्मित का पर्याय हों। प्रक्रियाओं के मानकीकरण, डिलीवरी और बाद की सेवाओं तक इन वित्तीय उत्पादों को आसान तथा समझ में आने वाली सरल भाषा के माध्यम से परिचालित होना भी आवश्यक होगा।

और अंत में:

आत्मनिर्भर भारत अभियान के फलस्वरूप भारतीय अर्थव्यवस्था का बदलता, निखरता स्वरूप जहां एक ओर देश की आर्थिक और सामाजिक उन्नति का संवाहक बनेगा, वहीं सरकारी प्रोत्साहन, सूचना–प्रौद्योगिकी उन्नयन और वित्त की उपलब्धता आवासीय क्षेत्र को तेजी से बढ़ने का सामर्थ्य प्रदान करेगी। चाणक्य अर्थनीति के अनुसार 'कार्यं पुरुषकारेण लक्ष्यं संपद्यते' अर्थात प्रयत्नपूर्वक किया गया कार्य सफल होता है। आत्मनिर्भर भारत परिप्रेक्ष्य में आवास वित्त क्षेत्र को बढ़ावा देने के योजनाबद्ध प्रयास अवश्य ही सफल होंगे जिनके सकारात्मक प्रभावों से ना केवल गतिशील जनसंख्या की बढती आकांक्षाओं की पूर्ति ही सुनिश्चित की जा सकेगी बल्कि प्रत्येक देशवासी को गरिमामय आवास प्रदान करने का स्वप्न भी साकार किया जा सकेगा।

तृतीय पुरस्कार

भविष्य के शहरों की ज़रूरतें एवं चुनौतियाँ

अश्वनी कुमार, सहायक प्रबंधक,
भारतीय रिजर्व बैंक

संदर्भ

कुछ समय पूर्व स्विट्ज़रलैंड के दावोस में विश्व आर्थिक मंच (World Economic Forum - WEF) सम्मेलन आयोजित हुआ। इसमें यह बात उभर कर सामने आई कि शहरों के विकास को ही भारत के विकास की धुरी माना जा रहा है। यह सही भी है क्योंकि किसी भी आधुनिक और विकासशील अर्थव्यवस्था में शहरों को विकास का सबसे बड़ा वाहक माना जाता है। भारत में नवीन भारत (New India) की पहल के विचार को आगे बढ़ाने की कड़ी में शहरी बुनियादी ढांचों में सुधार के लिए शहरीकरण के प्रति समग्र दृष्टिकोण अपनाने की प्रक्रिया अपनाई गई है। इसमें कोई शक नहीं कि शहर ही तरक्की, नयापन और रचनात्मकता के केन्द्र हैं। भारत में आर्थिक गतिविधि के सूचकांक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में बड़ी हिस्सेदारी शहरी केन्द्रों की ही है। इसलिए बिना किसी शंका के कहा जा सकता है कि शहर ही अर्थव्यवस्था में प्रगति के वाहक हैं।

समावेशी विकास में शहरीकरण का महत्व

केन्द्र सरकार के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, जीडीपी में शहरी इलाकों का योगदान करीब 60 फीसदी है। शहरी केन्द्र अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धा बढ़ाकर, लोगों का जीवन स्तर उठाकर और बेहतर रोजगार से लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करके विकास को अगले पायदान पर ले जाने की क्षमता रखते हैं। पिछले दो दशक के दौरान मुंबई तथा दिल्ली जैसे महानगरों और नोएडा, पटना, लुधियाना जैसे विभिन्न नगरों के विकास ने देश की आर्थिक वृद्धि में शहरी केन्द्रों के महत्व को स्थापित किया है। देश में शहर बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं और उनका असर उनकी सीमाओं के पार भी देखा जा सकता है। दुनिया ने गुड़गांव, बंगलुरू, हैदराबाद वगैरह को आईटी हब और चेन्नै, पुणे, औरंगाबाद और अहमदाबाद को ऑटोमोबाइल उद्योग का ठिकाना बनते देखा है। यह बदलाव बेशक देश में बड़े पैमाने पर हो रहे शहरीकरण का ही नतीजा है।

विकास का प्रतीक शहरीकरण क्यों?

- शहरी क्षेत्रों में रोजगार की संभावनाएं अधिक होती हैं, इसलिए वहां ज्यादा लोग रोजगार में लगे होते हैं। यहां ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में वे अधिक धन कमाते हैं और राष्ट्रीय आय में योगदान करते हैं।
- आंकड़ों के अनुसार, 2001 तक भारत की आबादी का 27.81% हिस्सा शहरों में रहता था। 2011 तक यह 31.16% और 2018 में 33.6% हो गया।
- 2001 की जनगणना में शहर–कस्बों की कुल संख्या 5161 थी, जो 2011 में बढ़ कर 7936 हो गई।
- आज हर तीन भारतीयों में से एक शहरों और कस्बों में रहने लगा है।
- संयुक्त राष्ट्र की एक नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, वर्तमान में विश्व की आधी आबादी शहरों में रहने लगी है और 2050 तक भारत की आधी आबादी महानगरों और शहरों में रहने लगेगी।
- भारत में शहरीकरण तेज़ी से बढ़ रहा है और वैश्विक स्तर पर भी तब तक कुल आबादी का 70% हिस्सा शहरों में रह रहा होगा।
- भविष्य के एक शहर की कल्पना करो। क्या आपको साफ–सुथरी सड़के, उड़ती हुई कारें और रोबोट सभी काम करते हुए दिखते हैं?
- कोई भी वास्तव में नहीं जानता है कि भविष्य क्या है, लेकिन अब वास्तविकता यह है कि हमारे शहरी स्थान अधिक भीड़ और प्रदूषण से ग्रसित हैं।
- दुनिया की लगभग आधी आबादी वर्तमान में शहरों में रहती है, और 2050 तक जो 75% तक बढ़ने का अनुमान है, लेकिन वे किस तरह के शहर में रहेंगे? यह सबसे बड़ा प्रश्न है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह समय परिपक्व है, स्मार्ट शहरी वातावरण तैयार करना शुरू करने के लिए, नए शहरों को लगातार बढ़ती हुई जनसंख्या को बनाए रखने की आवश्यकता है। यदि अतीत के शहरों को लोगों द्वारा आकार दिया गया था, तो भविष्य के शहरों को विचारों द्वारा आकार देने की संभावना है, और इस तरह के भविष्य के शहरी स्थान को कैसे देखना चाहिए, इस बारे में बहुत प्रतिस्पर्धाएं हैं।

भविष्य के शहरों की जरूरतें

भविष्य के शहरों को व्यापक पैमाने पर नवीकरणीय ऊर्जा, अपशिष्ट प्रबंधन/न्यूनकरण, पानी संचयन/रीसाइक्लिंग, परिदृश्य/जैव विविधता को बढ़ाने के लिए प्राकृतिक पर्यावरण, हरित परिवहन प्रणाली का उपयोग, नवीन सामग्री/निर्माण विधियों के अनुप्रयोग (कम/शून्य कार्बन भवन) और स्थानीय खाद्य उत्पादन उपयोग करना चाहिए।

भविष्य के शहरों में प्रौद्योगिकियों के साथ–साथ विशेष भौगोलिक, जलवायु और संस्कृति के अनुरूप स्थितियों की आवश्यकता होगी। इस प्रकार का वातावरण जो

कि गर्मी, शीतलन, प्रकाश और बिजली के लिए अनुकूल हो, स्थायी रूप से प्राप्त करने के लिए एक रणनीतिक दृष्टिकोण की आवश्यकता होगी।

बढ़ती जनसंख्या के साथ–साथ सबसे पहले भोजन की चिंता, आवासीय जरूरतें, सामाजिक असुरक्षा और कई शहरों में जल असुरक्षा पैदा होगी। बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए ऐसे शहरों में औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार और कृषि भूमि आवासीय क्षेत्र में बदल दी जाती है। उदाहरण के लिए, 500000 की आबादी वाले चिली शहर में, लोगों के जीवन यापन के लिए 1734 हेक्टेयर आर्द्रभूमि, 1417 हेक्टेयर कृषि भूमि और जंगलों को 1975–2000 के दौरान आवासीय क्षेत्रों में बदल दिया गया। आबादी बढ़ने के साथ–साथ अधिक भोजन की मांग को पूरा करने के लिए ग्रामीण और अर्ध–शहरी क्षेत्र से खाद्य आयात द्वारा खाद्य खरीदार और भोजन की मांग को पूरा करना होगा।

दूसरी ओर, कई उभरते शहरों में, लोग अधिक सीमांत क्षेत्रों में रहने के लिए बाध्य हैं। उनके पास अनुकूली क्षमता की कमी, कम आय और कोई संपत्ति नहीं है। अमीरों और गरीबों के इस अंतर को पाटने के लिए एक प्रभावी सरकारी तंत्र की बहुत आवश्यकता है।

उभरते हुए शहरों में पर्यावरण पर प्रभाव को कम करने के लिए इनोवेटिव विजन की जरूरत है जैसे कि स्थानों का निर्माण करते सामाजिक सामंजस्य बढ़ाना, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार में सुधार इत्यादि।

देश इन्फ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में पहले ही काफी चुनौतियों से रू–ब–रू है। बुनियादी जरूरतों, शहरों में परिवहन सुविधा और नागरिक सुविधाओं के अभाव और पर्यावरण प्रदूषण जैसी समस्याओं से निबटने के लिए पहले ही संसाधनों का संकट है। ऐसी ही बहुत सी चुनौतियों से भविष्य के शहरों को गुजरना है।

स्वास्थ्य समस्याएं और शहरीकरण

तेजी से बढ़ता हुआ शहरीकरण और शहरों की जनसंख्या में हो रही बढ़ोत्तरी को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के समाधान की दिशा में प्रमुख चुनौतियों के रूप में देखा जाता रहा है। अनुमान है कि 1990 और 2025 के बीच विकासशील देशों में शहरी आबादी में तीन गुना वृद्धि हो चुकी होगी और यह कुल जनसंख्या के 61 प्रतिशत के बराबर हो जाएगा। इस बढ़ती हुई शहरी आबादी को देखते हुए पानी, पर्यावरण, हिंसा और चोट, गैर संचारी रोगों जैसी स्वास्थ्य संबंधी अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा, तम्बाकू के उपयोग, अस्वास्थ्यकर आहार, शारीरिक अकर्मण्यता और महामारियों के फैलने से जुड़ी आशंकाएं और खतरे भी कोई कम चुनौतीपूर्ण नहीं हैं।

जनसंख्या घनत्व का बढ़ना

बढ़ते भारतीय शहरों की दूसरी सबसे बड़ी चुनौती जनसंख्या घनत्व बढ़ना है। नवउदारवाद और वैश्वीकरण के बाद अब गांव केवल खाद्य, श्रम एवं कच्चे उत्पादों के आपूर्तिकर्त्ता बनकर रह गए हैं। शहर आधुनिकीकरण व उपभोक्तावादी सभ्यता को प्रदर्शित करते हैं और अधिकांश गांव अपने अस्तित्व के लिए इन शहरों से जुड़े हुए हैं। शहरीकरण, औद्योगीकरण, सामाजिक गतिशीलता एवं पलायन की प्रक्रिया में वृद्धि हुई है और नई पीढ़ी गांवों से शहरों की ओर पलायन करने लगी हैं। शहरी इलाकों में बढ़ती आबादी उपलब्ध ज़मीन पर दबाव बढ़ा रही हैं।

उदाहरण के तौर पर दिल्ली में जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किमी 11,297 व्यक्ति है। 2001–2011 पर आधारित जनसंख्या घनत्व के अनुमान से पता चलता है कि यही दर रही तो 2030 तक जनसंख्या घनत्व बढ़कर प्रति वर्ग किमी 15,211 व्यक्ति हो जाएगा। यह रुझान जारी रहा तो शहरी क्षेत्रों की चुनौतियां विकराल बन जाएंगी। मुंबई, दिल्ली की सड़कों पर आज दिख रहा ट्रैफिक जाम और घरों की कमी आने वाले संकट का संकेत भर है।

पर्यावरण चुनौती

पर्यावरण सुरक्षा के मद्देनज़र शहर एक बड़ी चुनौती बन रहे हैं क्योंकि शहर के विकास के लिए हरित क्षेत्र की बलि चढ़ाई जा रही है। जलवायु संबंधी परिवर्तनों ने कई शहरों के अस्तित्व को चुनौती दी है, विशेषतः समुद्र किनारे बसे शहर अब मानव निर्मित आपदाओं से अछूते नहीं रह गए हैं। इसके अलावा, तीव्र प्रौद्योगिकीय विकास शहरों में अनेक परंपरागत व्यवसाय करने वाले समूहों के लिए खतरा बन गया है क्योंकि इससे भी पर्यावरण को नुकसान होता है।

शहरों में बढ़ती स्लम बस्तियां

देश के सभी बड़े शहरों और महानगरों में बड़ी संख्या में स्लम बस्तियां बन गई हैं। इनमें रहने वाले लोग शहरी जनसंख्या से संबंधित उच्च एवं मध्य वर्ग की अनेक आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, परंतु वे न केवल गरीबी के शिकार हैं अपितु बुनियादी सुविधाओं से भी वंचित हैं।

यातायात की समस्या

प्रत्येक शहर में बेतरतीब यातायात एक गंभीर समस्या बन गया है क्योंकि सार्वजनिक परिवहन सेवाओं को लगभग समाप्त कर दिया गया है। शहर में रहने वाले समृद्ध

लोग अपनी शक्ति और संपन्नता के प्रदर्शन के लिए यातायात नियमों का उल्लंघन करते हैं और इससे बड़ी संख्या में सड़क हादसे होते हैं।

कुछ अन्य समस्याएं

हमारे देश का लगभग हर शहर सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित है। स्वास्थ्य सेवाओं के निजीकरण एवं व्यवसायीकरण ने शहरों में असमानताओं को जन्म दिया है।

- शहरों की सड़कों पर गड्ढ़े, सीवर प्रणाली का अभाव एवं जल–जमाव से होने वाली परेशानियां, बिजली, पानी एवं संचार सुविधाओं का अस्त–व्यस्त व असमान रूप शहरी जीवन को इतना अधिक समस्यामूलक बना देता है कि कई शहरों में जाने की कल्पना मात्र से सिहरन होने लगती है।
- अपराध की दृष्टि से भी शहर तुलनात्मक रूप से अधिक असुरक्षित हैं। कंक्रीट के जंगल में रहने वाले लोग अपने पड़ोसी को भी नहीं जानते।
- भावनाशून्यता, संवादहीनता और व्यक्तिवादिता की प्रवृत्ति शहरी जनसंख्या के जीवन का हिस्सा बन गई है।

नेटवर्क सोसायटी की अवधारणा

इस संदर्भ में मैनुअल कैसेल द्वारा प्रस्तुत 'नेटवर्क सोसायटी' की अवधारणा की चर्चा करना प्रासंगिक होगा। इसे 'स्मार्ट सिटी' के रूप में भारत में समझे जाने की आवश्यकता है। शहर की भौगोलिक सीमा का जितना अधिक विस्तार होगा, हमें नए नेटवर्क बनाने की उतनी अधिक आवश्यकता होगी, ताकि सुविधाओं एवं सेवाओं का तार्किक एवं समय सीमा के अंतर्गत वितरण हो सके। कंप्यूटर आधारित संचार आने वाले समय में हर शहर की ज़रूरत बनेगा। लेकिन इसके साथ ही यह भी संभावना है कि निर्धनता, साक्षरता की निम्न दर, असमानता एवं कंप्यूटर के उपयोग को न जानने वाले अथवा कम जानने वाले लोगों के लिए शहर रहने की दृष्टि से समस्यामूलक हो जाएंगे। क्या स्मार्ट शहरों में निम्न वर्ग या हाशिए पर रहने वालों का कोई स्थान होगा या केवल वही लोग निवास करेंगे जिन्हें कंप्यूटर विशेषज्ञता हासिल है?

असंतुलित शहरी विकास

आज देश के सम्मुख शहरीकरण का प्रबंधन सबसे जटिल समस्या है। शहरों की चकाचौंध आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए हमेशा से ही आकर्षण का विषय रही है और ये प्रायः इस आकर्षण के वशीभूत होकर शहरों की ओर पलायन कर जाते हैं, जहां पहले से ही लोगों की भरमार होती है। वहां पहुंच कर वे भी आवास, जलापूर्ति, जलमत निकासी, स्थानीय परिवहन और रोज़गार के अवसरों जैसी पहले से ही मौजूद गंभीर समस्याओं के शिकार हो जाते हैं। शहरी गरीब अनेक जटिल रोगों सहित कई प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के शिकार होते हैं। शहरी क्षेत्रों में लोगों की बढ़ती हुई संख्या के कारण सरकारों की अधिकांश बुनियादी सेवाएं प्रदान करने की क्षमता पर भारी दबाव पड़ता है। अवैध रूप से बसने वाली स्लम बस्तियां शहरों का अविभाज्य हिस्सा बन चुकी हैं। इनमें रहने वाले लोगों को पेयजल और कचरे के निपटान जैसी बुनियादी सुविधाएं तक नहीं मिल पातीं।

शहरीकरण को लेकर सरकार की प्राथमिकता

शहरी क्षेत्रों का सतत, संतुलित एवं समेकित विकास सरकार की मुख्य प्राथमिकता एवं शहरी विकास का एक केन्द्रीय विषय है। जिस तरीके से देश में 'शहरीकरण' की प्रक्रिया का प्रबंधन होगा, उसी से यह निर्धारित होगा कि किस सीमा तक शहरी अवस्थांतर का लाभ उठाया जा सकता हैं। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के संचालन में शहरों के उभरने से भारत अपनी विकास यात्रा के एक अहम पड़ाव पर है, जहां शहरों/कस्बों के विकसित होने, संपन्न होने तथा निवेश एवं उत्पादकता का व्यावसायिक केन्द्र बनने के लिए पर्याप्त अवसरों का सृजन अवश्य किया जाना चाहिए। जलवायु परिवर्तन की गंभीर स्थिति को कम करने के लिए स्मार्ट सिटी मिशन जैसे अभियानों को पर्यावरण, सतत एवं अवसंरचना विकास के लिए अनेक प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रयासों, उत्सर्जन में कमी एवं आपदा के प्रति शहरों का लचीलापन बढ़ाने के अनुरूप तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत अभिनव एवं आधुनिक निर्माण प्रौद्योगिकी के उपयोग की सुविधा प्रदान करने के लिए प्रौद्योगिकी सब–मिशन भी शुरू किया गया है। इसके अलावा शहरों में रहने की उपयुक्तता के मापन की आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय की परियोजना में सभी 79 संकेतक विभिन्न सतत विकास लक्ष्यों से जुड़े हैं। इनमें सार्वजनिक परिवहन से लेकर पानी के दोबारा इस्तेमाल, प्रदूषण आदि को शामिल किया गया है।

शहरों के नए दौर में जाने से पहले कुछ बेहद अहम सवालों के जवाब ढूंढ लेना बहुत जरूरी है। मसलन, किस शहर के पास क्या है, किन क्षेत्रों में तेजी से सुधार लाया जा सकता है, किन क्षेत्रों में दीर्घकालिक हस्तक्षेप की जरूरत है, इन परिवर्तनों के लिए रकम का प्रबंध कहां से होगा, वगैरह? इन पर विचार किया जाना चाहिए और साफ–साफ जवाब ढूंढ लिया जाना चाहिए। शहरी प्रशासन को आर्थिक नीतियों और उन पर अमल की चुनौतियों के बीच तालमेल की समझ विकसित करने की जरूरत है।

भविष्य के शहरों की जरूरतें एवं चुनौतियाँ

आदर्श गुप्ता, प्रबंधक
इंण्डियन ओवरसीज़ बैंक

धरती पर हर रोज जनसंख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। अब जरूरत है कि हम ऐसे शहर बसाएं जो भविष्य में भी सफल रहें और साथ ही साथ भविष्य की जरूरतों को पूरा करें और उन चुनौतियों को पूरा करने में भी सक्षम हों जो कि आने वाले समय में आ सकती हैं। हमें कल के शहरों को बेहतर बनाने के लिए आज की समस्याओं को तरकीबों से सुलझाना होगा। एक सर्वेक्षण के मुताबिक 2050 में दुनिया की 10 अरब आबादी के आधे से ज्यादा लोग सिर्फ 10 देशों में रह रहे होंगे और इन 10 देशों को यूएन ने अभी तक सबसे पिछड़ा घोषित कर रखा है। वर्ष 2030 तक भारतीय शहरों में 20 करोड़ और लोग रहने लगेंगे अर्थात जनसांख्यिकी रूप से यदि देखें तो अनुमान है कि भारत के शहरों में अगले दो दशकों तक प्रति वर्ष एक करोड़ नए लोग जुड़ते जाएंगे। अगले 15 वर्षों तक जीडीपी की 75 प्रतिशत वृद्धि के लिए शहर जिम्मेदार होंगे।

हमें याद रखना है कि अतीत के शहर नदियों के तट पर बसे थे लेकिन भविष्य के शहर बुनियादी ढांचे से लैस व ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क की उपलब्धता वाली जगहों पर विकसित होंगे। भवन, परिवहन और सड़कों के ढांचागत नेटवर्क अर्थव्यवस्था के अहम घटक होते हैं। सड़क, परिवहन और भवन ये तीनों मिलकर ऊर्जा की खपत का पैटर्न बनाते हैं। दरअसल आज किस तरह से भवनों का निर्माण होता है और किस तरह से सड़कों का निर्माण होगा, उससे यह पता चलेगा कि इस सदी के अंत तक अधिकांश भारतीय किस तरह जीवन यापन कर रहे होंगे। भवनों के निर्माण एवं परिवहन सुविधाएं यह निश्चित करेंगी कि हमें कितनी ऊर्जा की जरूरत होगी और इन विकल्पों का हवा, पानी, भीड़, ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन पर कितना प्रभाव पड़ेगा। निश्चित तौर पर भविष्य के शहरों की अपनी जरूरतें और चुनौतियां होगी और यहां पर हम उनके समाधानों का तार्किक अध्ययन निम्नवत करेंगे –

भविष्य के शहरों के भवनों/इमारतों की जरूरत, चुनौती एवं समाधानः

चूंकि भविष्य के शहरों की बड़ी आबादी में हर परिवार यदि अलग–अलग घर चाहेगा तो भविष्य में आवास भूमि तथा कृषि भूमि की कमीं हो जाएगी इसके अलावा ऊर्जा की खपत बहुत बढ़ जाएगी और भविष्य में आवास बहुत मंहगे हो जाएंगे तथा जनसंख्या के एक बहुत बड़े भाग में आर्थिक विषमताएं पैदा हो जाएंगी। हमें मल्टी स्टोरी घर बनवाने होंगे। घरों की बनावट कुछ इस प्रकार होगी कि उन्हें हर मौसम के अनुकूल बनाया जा सके तथा ऊर्जा की खपत कम हो सके। एक ही जगह पर मल्टी आवास होने से खेती वाली जमीन बची रहेगी जिससे खाद्यान संकट नहीं होगा तथा परिवहन का कम इस्तेमाल होगा जिससे कि कार्बन के उत्सर्जन पर नियंत्रण लगेगा और प्रदूषण पर रोक लगेगी। गुजरात के दूसरी श्रेणी के शहर राजकोट शहर मकानों की ऐसी डिजाइनिंग पर काम कर रहा है जहां विंडो शेडिंग और वेंटिलेशन और छत इस तरह की हो, जिसकी वजह से घर वहां रहने वाले को अधिक आरामदायक लगे और वह ऊर्जा की खपत में भी कमीं लाए।

परिवहन की जरूरत, चुनौती एवं समाधान :

भविष्य के शहरों की सबसे बढ़ी जरूरत बढ़ती हुई जनसंख्या को अच्छी यातायात की सुवधाएं प्रदान करना है। भविष्य के शहरों में सबसे बड़ी चुनौती यातायात की सुविधाओं का विस्तार करने की है। शहरों की जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है। भविष्य के शहरों में इलेक्ट्रानिक बसें और यातायात के अन्य सुविधाएं प्रदान करना एक बड़ी जरूरत एवं चुनौती होगी। सड़के किसी भी शहर की धमनियां होती हैं। हमें बेहतर व टिकाऊ सड़कें बनानी होगी और साथ ही नेटवर्क व तकनीकी की मदद से यातायात पर नियंत्रण रखना होगा।

पेय जल की जरूरत, चुनौती एवं समाधान :

भविष्य के शहरों में जबकि जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा शहरों में रह रहा होगा तो सबसे बड़ी जरूरत होगी इनको स्वच्छ पेय जल प्रदान कराने की। भारत सहित विश्व के भी अधिकतर पुराने शहरों में भूमिगत जल जो सदियों से संचित संपदा था समाप्त हो चुका है। हाल के ही वर्षों में चेन्नै जैसे शहर ने जिस जल विभीषका का सामना किया है वो डरा देने वाला है। चूंकि भूमिजल समाप्त हो चुका है, अधिकांश नदियां प्रदूषण की शिकार हो चुकी हैं, तालाबों की जगह रिहाइशी हो चुकी है और समुद्र के जल को पेयजल जैसे शुद्ध करने की लागत बहुत अधिक है इसलिए भविष्य के शहरों में सबको पेयजल उपलब्ध करवा पाना सबसे बड़ी जरूरत व चुनौती होगी–

समाधान :

- भविष्य में पेयजल का सबसे बड़ा स्रोत वर्षा होगा इसलिए भविष्य के शहरों की संरचना में वाटर हार्वेस्टिंग को प्रमुख स्थान दिया जाए।
- समुद्र के खारे जल को शुद्ध करने की इकॉनामिक व सस्ती विधियां अपनाई जाएं।
- नदियों पर ज्यादा से ज्यादा डैम बनाए जाएं जिससे कि वर्षा का पानी समुद्र में जाकर बेकार ना हो।
- शहरों में आवासों के अलावा भी खुली जमीनों पर गिरने वाला वर्षा का जल एकत्र करने के उपाय यथा पर्याप्त मात्रा में तालाब बगैरा बनावाए जाएं जहां पानी एकत्र हो सके और उसका उपयोग किया जा सके।
- पब्लिक नलों को सेंसर से युक्त किया जाना चाहिए जिससे कि जल की बर्बादी रूक सके।

स्वच्छ प्राण वायु की जरूरत, चुनौती एवं समाधान :

भविष्य के शहरों के लिए दूसरी सबसे बड़ी समस्या वायु प्रदूषण होगी। इस समय सबसे बड़ी समस्या है कि शहरों को बसाने के लिए पेड़ काटे जा रहे हैं यहां तक कि अमेजॉन रिवर बेसिन के जंगल जिन्हें धरती के फेफड़े कहा जाता है उन्हें भी

काटा जा रहा है। वाहनों एवं कारखानों के धुओं तथा पेडों के कटने से वायु प्रदूषित हो चुकी है और दमा, कैंसर, एलर्जी व अन्य बीमारियां फैल रही हैं। बड़े शहरों के लोगों का स्वस्थ जीवन काल वायु प्रदूषण के कारण कम हो चुका है। हमें चाहिए कि भविष्य के शहरों को जंगलों से दूर बसाया जाए। धरती पर उपजाऊ और जंगलों का हिस्सा कम है जबकि पठारी तथा मरूस्थल भाग अधिक है। जनसंख्या को इसी भाग पर बसाया जाए ताकि इनके लिए जंगलों को ना काटना पड़े। जहां भी शहर बनाए जाएं सभी सड़कों पर दोनों तरफ पेड़ हो। हर कॉलोनी में पार्क की जगह छोटे–छोटे जंगल विकसित किए जाएं। खुले स्थानों पर नीम, पीपल, बरगद जैसे पेड़ लगाए जाएं। पार्कों में भी सजावटी पेड़ों की बजाय छायादार व फल देने वाले पेड़ जैसे नीम, आम, अमरूद, जामुन, बरगद, पीपल बगैरा लगाए जाएं इनसे ऑक्सीजन बढ़ेगी और साथ ही भोजन की आपूर्ति भी बढ़ेगी और पशु पक्षियों को भी आवास व अनुकूल दशाएं प्राप्त होने से उनकी संख्या में वृद्धि होगी। इसके अलावा निजी वाहनों से इतर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा दिया जाए।

अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं की ज़रूरत, चुनौती एवं समाधान

भविष्य के शहरों की एक अन्य सबसे बड़ी जरूरत होगी अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं। अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं व स्वास्थ्य नागरिक भविष्य के शहरों की सबसे बड़ी आस्ति होंगी। वृद्ध होती जनसंख्या एवं महंगा इलाज अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए एक बड़ी चुनौती हो सकती है। लोगों में जागरूकता की कमी भी इसका एक कारण होगा। इसके अलावा अशिक्षा व मिलावटी भोजन व बढ़ता तनाव एवं तकनीकी भी इसके प्रमुख कारक होंगे। डॉक्टरों की कमी व अस्पतालों का आभाव भी इसका एक संभावित कारण होगा। हम इस समस्या से निम्नवत निपट सकते हैं :

लोगों को योग, व्यायाम के प्रति जागरूक किया जाए एवं इसे शिक्षा का अनिवार्य अंश बनाया जाए।

सामान्य चिकित्सा सेवाओं एवं बीमारियों से बचाव को प्राइमरी एवं माध्यमिक शिक्षा में शामिल किया जाए।

पर्याप्त मात्रा में हॉस्पिटल का निर्माण किया जाए तथा मेडिकल कॉलेजों की संख्या में बढ़ोतरी की जाए जिससे कि डॉक्टरों की संख्या में बढ़ोतरी हो सके।

दुर्बल आय वर्ग को चिकित्सा बीमा की सुविधाएं प्रदान की जाएं।

अच्छी जल निकासी की जरूरत, चुनौती एवं समाधान –

आज भारत के शहरों का एक बहुत बड़ा हिस्सा हर बरसात में बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित होता है। हाल के वर्षों में चेन्नै, मुम्बई, श्रीनगर और जयपुर में हुए जल भराव से आई बाढ़ से हम सभी परिचित हैं। अच्छे ड्रेनेज सिस्टम का आभाव, बढ़ती हुई जनसंख्या और जल निकासी की उचित व्यवस्था न होना भी इसका एक कारण है।

हमें भविष्य के शहरों का निर्माण इस प्रकार करना होगा जिसमें वर्षा के जल की निकास की समुचित व्यवस्था हो। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि प्राकृतिक जल स्रोतों के ऊपर या नदी के प्रवाह तंत्र पर किसी भी प्रकार का निर्माण न हो।

शुद्ध व स्वास्थ्यवर्धक भोजन की आपूर्ति की जरूरत, चुनौती तथा समाधान

भोजन मनुष्य की मूलभूत जरूरत है। भारत बहुत लंबे समय से मिलावटी भोजन की समस्या से जूझ रहा है। भविष्य में जब अधिकतर जनसंख्या शहरों में रह रही होगी तब यह संकट और गहरा सकता है। हमें कृषि जोतों को आवासीय क्षेत्र में बदलने से रोकना होगा। मिलावट के विरूद्ध सख्त कानून बनाने होंगे और लोगों को असली व नकली भोजन के बारे में पहचान करने संबंधी जागरूकता को बनाना होगा। हमें उपभोक्ता संरक्षण के नियमों को और प्रभावशाली बनाना होगा।

भविष्य के स्मार्ट शहर सेंसर प्रणाली से युक्त होंगे। बार्सिलोना शहर में बस के रूटों, कचरा उठाने की प्रक्रिया को सेंसर की मदद से और अधिक सक्षम बनाया जा रहा है और परिवहन के लिए बिना संपर्क के पेमेंट की व्यवस्था की जा रही है। इंटेल लंदन में ऐसी प्रणालियों पर प्रयोग हो रहा है जो भविष्य के शहरों में बिजली वितरण के लिए उपयोग में लाई जाएंगी। इसके अलावा सेंसरों के एक ऐसे नेटवर्क पर काम चल रहा है जो वायु की गुणवत्ता, यातायात का प्रवाह और पानी के वितरण पर निगरानी रखेगा। दक्षिण कोरिया के सॉन्गडों को येलो सी पर बसाया जा रहा है और इस शहर की खासियत यह है कि पूरा शहर एक सूचना प्रणाली से जुड़ा है। सॉन्गडों की सभी चीजों में इलेक्ट्रॉनिक सेंसर लगा हुआ है। घरों के ताले, गर्म रखने के लिए हीटिंग प्रणाली आदि पर ई–नेटवर्क के जरिए कंट्रोल रखा जा सकता है यहां तक कि स्कूल, अस्पताल और दूसरे सरकारी दफ्तर भी नेटवर्क पर ही चलेंगे। सउदी अरब की मास्दार शहर अबू धाबी के रेगिस्तान के बीचों–बीच बसाया गया है और इसे धरती पर सबसे ज्यादा संवहनीय या सस्टेनेबल और दीर्घकालिक शहर के रूप में बसाया गया है। शहर में सौर ऊर्जा की और वायु ऊर्जा के संयत्र लगें है जिससे कि प्रदूषण न हों और शहर को गाड़ियों से मुक्त रखा गया है और आवाजाही के लिए बिजली से चलने वाली बिना ड्राइवर की गाड़ियां बनाई जा रही हैं।

हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि भविष्य के शहरों में पर्याप्त शिक्षा व्यवस्था हो, सफाई की समुचित व्यवस्था हो और इसके अलावा हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि भविष्य के शहरों में अच्छी संचार व्यवस्था हो, पर्याप्त विद्युत आपूर्ति हो तथा मनोरंजन के साधन उपलब्ध हों और हर व्यक्ति के पास जीविका उपलब्ध हो। अगर हम इन जरूरतों को चुनौतियों को ध्यान में रखकर शहरों का निर्माण कर पाए तो निश्चित तौर पर भविष्य के बेहतर शहर की परिकल्पना साकार हो सकेगी और भविष्य के शहरों में सबके लिए आवास होगा। भविष्य के शहर ऐसे स्मार्ट शहर होंगे जिनमें आत्मनिर्भर भारत अभियान में आवास वित्त का सपना साकार होगा। प्रधानमंत्री आवास योजना से भविष्य के शहरों के स्वपनों को हकीकत में बदला जा सकेगा। आइए हम सब प्रयास करें और भविष्य के शहरों को अपनों के लिए, भावी पीढ़ी के लिए उनके सपनों और ख्वाबों का शहर बनाएं। इन सबके अलावा भविष्य के शहरों के निर्माण में तकनीकी और सामाजिक नजरिए की भी अहम भूमिका होगी ताकि सबके लिए न्याय व बराबरी मौजूद हो सके और ऐसा स्वाभाविक वातावरण हो जहां विशाल खुली जगहों और संसाधनों तक सबकी पहुंच हो। भविष्य के शहरों के लिए एक मजबूत अर्थव्यवस्था के साथ–साथ एक बढ़िया पर्यावरण भी देना होगा जो भविष्य के शहर को अद्भुत दिशा दे सके।

स्मार्ट सिटी : भविष्य के शहर

अरुण कुमार खण्डेलवाल, मुख्य प्रबंधक
बैंक ऑफ बडौदा

भारत की वर्तमान जनसंख्या का लगभग 31% शहरों में बसता है और इनका सकल घरेलू उत्पाद में 63% (जनगणना 2011) का योगदान है। ऐसी उम्मीद है कि वर्ष 2030 तक शहरी क्षेत्रों में भारत की आबादी का 40% रहेगा और भारत के सकल घरेलू उत्पाद में इसका योगदान 75% का होगा। गांवों से शहरों की ओर निरंतर हो रहे पलायन के चलते भारतीय शहरों पर बोझ बराबर बढ़ता जा रहा है। ऐसे में शहरों में नागरिक सुविधाओं को बनाए रखना एक बड़ी चुनौती साबित हो रही है।

देश में फिलहाल 4041 शहरों तथा कस्बों में स्थानीय निकाय हैं और इनमें लगातार बढ़ती आबादी के मद्देनज़र सामाजिक, आर्थिक और बुनियादी ढांचे के विकास की आवश्यकता है। इसके लिए भौतिक, संस्थागत, सामाजिक और आर्थिक बुनियादी ढांचे के व्यापक विकास की आवश्यकता है। ये सभी जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने एवं लोगों और निवेश को आकर्षित करने, विकास एवं प्रगति के एक गुणी चक्र की स्थापना करने में महत्वपूर्ण है। स्मार्ट सिटी का विकास इसी दिशा में एक कदम है।

स्मार्ट सिटी मिशन की अप्रोच में, उद्देश्य ऐसे शहरों को बढ़ावा देना है जिनमें मूलभूत अवसंरचना है और अपने नागरिकों को शानदार गुणवत्ता वाला जीवन, स्वच्छ और स्थिर वातावरण और स्मार्ट समाधानों की प्रयोजनीयता दे सके। इसमें स्थिर और समावेशी विकास पर फोकस किया गया है।

स्मार्ट सिटी मिशन का उद्देश्य

स्थानीय क्षेत्र के विकास को साकार कर और तकनीक का उपयोग कर, विशेषकर ऐसी तकनीकी जिसके स्मार्ट परिणाम मिले, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना है। क्षेत्र–आधारित विकास से मलिन बस्तियों को बेहतर नियोजित शहरों में रूपांतरित करने सहित मौजूदा क्षेत्रों का कायांतरण (पुनः संयोजन और पुनः विकास) होगा। शहरी क्षेत्रों की बढ़ती आबादी को समायोजित करने के लिए शहरों के इर्द–गिर्द नए क्षेत्र (हरित–क्षेत्र) विकसित किए जाएंगे। स्मार्ट समाधानों के प्रयोग से शहर अवसंरचना और सेवाओं में सुधार करने हेतु तकनीक, सूचना और आंकड़ों का उपयोग कर सकेंगे। इस तरह से व्यापक विकास से जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा, रोजगार सृजित होगा और सभी, विशेषकर गरीब एवं उपेक्षित लोगों की आय में बढ़ोत्तरी होगी जिससे शहर समावेशी बनेंगे। इसमें प्रमुख हैं :–

1. शहरी जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना
2. स्वच्छ पर्यावरण उपलब्ध कराना
3. परिवहन व्यवस्था को बेहतरीन बनाना
4. शहरों की छवि खराब करती झुग्गी झोपड़ियों को हटाना
5. झुग्गी में रहने वाले लोगों को वैकल्पिक सुविधा मुहैया कराना
6. शहरी संसाधनों, सोर्सेज और बुनियादी संरचनाओं का सक्षम ढंग से विकास करना
7. वर्ष 2022 तक सभी को आवास उपलब्ध कराना

स्मार्ट शहर में मूलभूत अवसंरचना तत्वों में शामिल हैं –

8. पर्याप्त जल आपूर्ति
9. बिजली आपूर्ति का आश्वासन
10. स्वच्छता, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सहित
11. कुशल शहरी गतिशीलता और सार्वजनिक परिवहन
12. किफायती आवास, विशेष रूप से गरीबों के लिए
13. मजबूत आईटी कनेक्टिविटी और डिजिटलीकरण
14. सुशासन, विशेष रूप से ई–गवर्नेस और नागरिकों की भागीदारी
15. सतत पर्यावरण
16. नागरिकों की सुरक्षा, विशेष रूप से महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की
17. स्वास्थ्य और शिक्षा।

भारत में प्रस्तावित स्मार्ट सिटी सुविधाएं :–

1. क्षेत्र आधारित घटनाक्रमों में मिश्रित भू–उपयोग को बढ़ावा देना
2. अनियोजित क्षेत्रों में भू–उपयोग को अधिक कुशल बनाना
3. आवासन (Housing) के अवसरों का सभी के लिए विस्तार करना
4. पैदल और साइकिल चलने योग्य सड़कों का निर्माण
5. स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना
6. अंतःक्रिया को बढ़ावा देने और सुरक्षा सुनिश्चित करना

7. सड़क नेटवर्क को केवल वाहनों एवं सार्वजनिक परिवहन के लिए ही नहीं बल्कि पैदल चलने वालों और साइकिल चालकों के लिए भी बनाना

8. पैदल या साइकिल से तय की जाने वाली दूरियों के लिए आवश्यक प्रशासनिक सेवाएं प्रदान करना

9. नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में बढ़ोतरी करना

10. शहरी क्षेत्रों में ताप–प्रभावों में कमी आने और पारिस्थितिकीय संतुलन बनाने के लिए खुले स्थानों, पार्क, खेल के मैदान, मनोरंजन के स्थानों का संरक्षण और विकास करना (पर्यावरण संरक्षण)

11. परिवहन के विभिनन विकल्पों को बढ़ावा देना

12. पारगमन उन्मुख विकास, सार्वजनिक परिवहन और अंतिम गंतव्य स्थल पर परिवहन कनेक्टिविटी

13. सेवाओं की कीमतों में कमी लाने और स्थानीय निकायों के कार्यालयों में जाए बिना सेवाएं प्रदान करना

14. इनके लिए जवाबदेही और पारदर्शिता लाने हेतु अधिकाधिक ऑनलाइन सेवाओं को उपलब्ध कराना

15. प्रशासन को सिटीज़न फ्रेंडली और किफायती बनाना, विशेषकर मोबाइल उपयोग से।

16. लोगों के सुझाव लेने एवं कार्यस्थलों के कार्यकलापों की ऑनलाइन निगरानी का उपयोग करने के लिए ई–समूहों का गठन करना।

17. स्मार्ट सिटी के लिए चुने गए शहर में कम–से–कम एक ऐसा स्मार्ट फीचर होना चाहिए जो शहर के सभी निवासियों की जिंदगी से जुड़ा हो

18. मुख्य आर्थिक कार्यकलापों के आधार पर शहर को पहचान प्रदान करना, जैसे– मुरादाबाद पीतल के लिए और लखनऊ चिकनकारी के लिए पहचाना जाता है

19. अवसंरचना और सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए क्षेत्र आधारित विकास में उनके लिए स्मार्ट समाधान का उपयोग करना

क्या–क्या है स्मार्ट सिटी मिशन में?

1. इस मिशन में 100 शहरों को शामिल किया जाएगा।

2. इसकी अवधि पांच साल (2015–16 से 2019–20) की होगी।

3. पांच साल में 48,000 करोड़ रुपये, करीब प्रति वर्ष प्रति शहर 100 करोड़ रुपये औसत दिए जाएंगे।

4. **जो स्मार्ट सिटी नहीं उन्हें दिया जाएगा अमृत :** कुल 100 स्मार्ट सिटीज के अलावा देशभर से अब तक 476 शहरों की पहचान अमृत योजना के लिए की गई है। ये सारे शहर कम से कम एक लाख की आबादी वाले होंगे। इन शहरों को बुनियादी सुविधाएं विकसित करने के लिए केन्द्र सरकार की तरफ से मदद मिलेगी।

भारत दुनिया का पहला देश होगा जिसमें जीवन स्तर को बेहतर बनाने वाली सुविधाएं मुहैया कराने वाले सौ स्मार्ट शहर एक साथ विकसित किए गए हों। लेकिन भारत में एक साथ सौ शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने की केन्द्र सरकार की यह पहल वैश्विक उपलब्धि होगी। स्मार्ट शहर को सूचना और संचार तकनीक से लैस शहर के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मानकों के मुताबिक स्मार्ट शहर में तकनीक की मदद से सामान्य जनजीवन को सुविधायुक्त बनाना इसका मुख्य मकसद है। समृद्ध भारत का मार्ग स्वच्छ भारत से शुरू होकर स्वस्थ भारत से होते हुए श्रेष्ठ भारत तक जाएगा।

स्मार्ट और बेहतर तकनीकें : फिलहाल, भारत में आबादी का आंकड़ा 130 करोड़ के पार पहुंच चुका है। साल 2030 तक आबादी चरम पर होगी। जाहिर है इतनी ज्यादा और सघन आबादी को सभी प्रकार की सुविधाएं मुहैया कराने के लिए स्मार्ट और बेहतर टेकोन्लॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। अनेक तकनीकों के इस्तेमाल के जरिए ऐसा मुमकिन होगा।

1. **मोबाइल एप्स :** पार्किंग स्पॉट की जानकारी हासिल करने समेत अन्य चीजों के लिए मोबाइल एप्स का इस्तेमाल बढ़ जाएगा।

2. **हाईटेक वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम :** इसमें खास तरीके से रिसाइकिल किए गए कूड़े को डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाने के लिए इस्तेमाल में लाया जाएगा। कूड़े के एवज में पेमेंट मिलने पर लोग इसे सही ढंग से निस्तारित करेंगे।

3. **सिटी गाइड एप्स :** इसमें सिटी के प्रॉमिनेंट प्लेसेट व रीयल–टाइम ट्रौफिक डाटा मुहैया कराया जाएगा। दुनिया के अनेक शहरों में इसका इस्तेमाल शुरू हो चुका है।

4. **वाई–फाई :** पूरे शहर में वाई–फाई की सुविधा मुहैया कराई जा सकती है।

5. **एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग :** शहरों की हाउसिंग व कॉमर्शियल बिल्डिंग्स एनर्जी एफीशिएंट होंगी। जिससे एनर्जी कंजम्शन कम हो और पर्यावरण पर इसका कोई बुरा असर नहीं हो।

6. **क्राइसिस रिस्पॉन्स सिस्टम :** डिफरेंट एप्स व सोशल मीडिया बेस्ड इमरजेंसी अलर्ट के जरिए क्राइसिस रिस्पॉन्स सिस्टम को डेवलप किया जाएगा। जिससे जरूरी सूचनाओं तक सभी नागरिकों की पहुंच कायम हो

सके। आपराधिक घटना की सूचना आसपास के लोगों को तुरंत मिल सकेगी। रियल टाइम डाटा मिलने पर पुलिस को भी क्राइम पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी।

7. **चार्जिंग स्टेशन :** पब्लिक प्लेस पर सोलर पॉवर बेस्ड चार्जिंग स्टेशन होंगे।

8. **स्मार्टफोन :** ज्यादातर सिस्टम को स्मार्टफोन के जरिए जोड़ा जाएगा। जिससे लोगों को आसानी से हर सिस्टम का बेनिफिट मिल सके।

9. **इलेक्ट्रिक व्हीकल :** ऐसी गाड़ियों से सिटी में पॉल्युशन कम होगा।

10. **पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम :** पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को विकसित किया जाएगा। इससे सड़कों पर प्राइवेट व्हीकल का दवाब कम होगा।

11. **वॉटर रिसाइकिलिंग सिस्टम :** पानी की कमी को पूरा करने के लिए इसे रिसाइकिल करते हुए दोबारा से इस्तेमाल में लाने योग्य बनाया जाएगा।

12. **राइड–शेयरिंग प्रोग्राम :** ऑन–रोड गाड़ियों का दबाव कम करने के लिए एक ही दिशा में जाने वाले यात्री आपस में कार–शेयरिंग करें। इसके लिए प्रभावी तरीके अपनाए जाएंगे।

क्या हैं चुनौतियां?

1. भारत में तमाम शहर ऐसे हैं, जिनकी सही मैपिंग तक उपलब्ध नहीं है।
2. तमाम शहरों में अवैध कब्जों की भरमार है।
3. सीवर लाइनें बेतरतीब बिछी हैं।
4. शहरों का बेतरतीब निर्माण हो चुका है।
5. ज्यादातर शहरों के लोग सड़क पर कूड़ा फेंकने के आदी हो चुके हैं।
6. तमाम शहरों के लोग कटिया डालकर बिजली चलाने में पारंगत हैं।
7. ज्यादातर शहरों के इलाके गलियों में बसे हैं, उन्हें कैसे स्मार्ट बनाया जाए।
8. अधिकांश शहरों में लोग ट्रैफिक लाइट का पालन नहीं करते। क्या स्मार्ट बनने के बाद करेंगे।
9. यूपी, एमपी, बिहार में बिजली की बहुत कमी है। शहर तब अब स्मार्ट होगा जब बिजली होगी।
10. शहर स्मार्ट बन गया तो हर इमारत, बिजली के खंभे और पाइप पर लगे सेंसर्स पर कौन निगरानी रखेगा।
11. हर व्यवस्था को बेहतरीन ढंग से चलाने के लिए यंत्रों को कौन नियंत्रित करेगा। राज्य हौर शहरी स्थानीय निकायों को स्मार्ट सिटी के विकास में महत्वपूर्ण सहायक भूमिका निभानी होगी।
12. इस स्तर पर स्मार्ट नेतृत्व और दृष्टि एवं निर्णायक कार्रवाई करने की क्षमता मिशन की सफलता का निर्धारण करने में महत्वपूर्ण कारक होगा।
13. नीति निर्माताओं, कार्यान्वयन करने वालों एवं अन्य हितारकों द्वारा विभिन्न स्तरों पर रेट्रोफिटिंग की अवधारणाओं को समझना, पुनर्विकास और ग्रीनफील्ड विकास हेतु क्षमता सहायक की जरूरत होगी।
14. पूर्व योजना बनाने के दौर में ही समय और संसाधनों में प्रमुख निवेश करना होगा। स्मार्ट सिटी मिशन को सक्रिय रूप से प्रशासन और सुधारों में भाग लेने वाले स्मार्ट लोगों की आवश्यकता है।
15. नागरिक भागीदारी शासन में एक औपचारिक भागीदारी की तुलना में काफी अधिक है। स्मार्ट लोगों की भागीदारी को सूचना तकनीक के बढ़ते उपयोग, विशेष रूप से मोबाइल आधारित उपकरणों के माध्यम से एसपीवी द्वारा सक्रिय किया जाएगा।

निष्कर्ष : केन्द्र सरकार ने जून 2015 में स्मार्ट सिटी मिशन शुरू किया था, जिसका लक्ष्य 100 शहरों को स्मार्ट सिटी में बदलना है। इन शहरों में पर्याप्त जल और बिजली आपूर्ति, सफाई, सार्वजनिक यातायात, ठोस कचरा प्रबंधन, सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, आधुनिक यातायात प्रबंधन व्यवस्था, सीसीटीवी निगरानी और ई–प्रशासन के जरिए जीवन स्तर को बेहतर बनाया जाना हे। अब केन्द्र सरकार ने राज्यों से मिशन स्मार्ट सिटी में उन स्मार्ट सिटी परियोजनाओं को शीघ्र लागू करने के लिए कहा है, जिनका नागरिकों के जीवन पर प्रत्यक्ष एवं परिवर्तनकारी प्रभाव पड़ता है।

किसी भी देश में स्मार्ट सिटी की अवधारणा वहां विकास के स्तर, परिवर्तन और सुधार की इच्छा, शहर के निवासियों के संसाधनों और उनकी आकांक्षाओं पर निर्भर करती है। आज शहरीकरण और इससे उत्पन्न समस्याएं देश के लिए एक बड़ा संकट बनकर सामने आए हैं और इसके लिए सभी संभावित उपाय किए जा रहे हैं। ऐसे में भविष्य की जरूरतों के मद्देनज़र, स्मार्ट सिटी जैसी पहल अत्यंत उपयोगी और सार्थक कही जा सकती है।

स्मार्ट सिटी एवं साइबर सुरक्षा

सतीश कुमार नागपाल
मुख्य सतर्कता अधिकारी

भारत सरकार द्वारा स्मार्ट सिटी की संकल्पना को साकार रूप दिया जा रहा है। भविष्य की मांग है कि स्मार्ट सिटी ज्यादा से ज्यादा विकसित किए जाएं जिससे एक आम आदमी को शहरों में एक सुखी एवं व्यवस्थित जिंदगी दी जा सके। यह सच्चाई है कि शहरों में जनसंख्या का भार बढ़ता जा रहा है एवं यह आवश्यक हो गया है कि वर्तमान में बड़े–बड़े शहरों को स्मार्ट सिटी में बदलने के साथ–साथ उससे लगे अन्य शहरों को भी स्मार्ट सिटी में बदला जाए जिससे भविष्य में बेहतर शहर तैयार हो सके। जब हम स्मार्ट सिटी की बात करते हैं तो उसके साथ सूचना प्रौद्योगिकी तकनीक अपने आप जुड़ जाती है क्योंकि स्मार्ट सिटी विकसित करने की प्रक्रिया में इसकी एक बहुत ही अहम भूमिका है। उदाहरण के लिए एक सुव्यवस्थित एवं अद्यतित पब्लिक ट्रांसपोर्ट या सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था, नागरिक स्वास्थ्य प्रणाली आदि को स्मार्ट सिटी में समावेशित करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार तकनीकी का बड़े पैमाने पर प्रयोग होना आवश्यक है। ऐसे में साइबर सुरक्षा एक महत्वपूर्ण उपांग है क्योंकि उसके अभाव में स्मार्ट सिटी की व्यवसथा एक प्रकार से विफल भी हो सकती है। इसलिए यह जरूरी हो जाता है कि हम एक तरफ स्मार्ट सिटी को विकसित करें वहीं दूसरी ओर सूचना एवं संचार प्रणाली से होने वाले संभावित खतरों से भी बचें।

सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्रांति जिसकी शुरूआत 90 के दशक में हुई थी वे बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों (एफआई) के लिए अनेक फायदे लेकर आई है। हालांकि, बैंकों और वित्तीय संस्थाओं ने प्रौद्योगिकी हस्तक्षेप के कारण काफी लाभांश प्राप्त किए हैं, उनके कर्मचारियों/ग्राहकों/उपयोगकर्ताओं को शिक्षित करने के उनके ईमानदारी से किए गए प्रयासो के बावजूद, साइबर सुरक्षा के संबंध में इन संस्थानों को गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।

सभी बैंक एवं वित्तीय संस्थाएं स्वंय इस क्षेत्र के नवीनतम विकास के साथ कार्य रही है ताकि उन्हें उत्पादों और सेवाओं की विस्तृत श्रृंखला प्रदान की जा सके। इसके बदले में, उनके ग्राहक वित्त क्षेत्र में सभी संस्थानों से आरंभ किए गए ग्राहक शिक्षा अभियान द्वारा संचालित अपने दैनिक जीवन में प्रौद्योगिकी को तेजी से अपना रहे हैं। बैंक ग्राहकों को संतुष्ट करने के लिए बेहतर उत्पाद/सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु प्रौद्योगिकी में भारी निवेश कर रहे है।

प्रौद्योगिकी ने ग्राहकों को कहीं भी किसी भी समय बैंकिंग करने की सुविधा दी है जिससे उनका जीवन सुविधापूर्ण हो गया है लेकिन इसके द्वारा उत्पन्न चुनौतियां भी अभूतपूर्व हैं।

डिजिटलीकरण बैंकिंग एवं वित्त क्षेत्र में अपरिहार्य है क्योंकि ग्राहक/उपयोगकर्ता को डिजिटल चैनल, मोबाइल, इंटरनेट आदि पर लेन–देन करने की बहुत बड़ी सुविधा है। साइबर सुरक्षा नेटवर्क, डिवाइस, प्रोग्राम एंव डेटा को अटैक करने, क्षति पहुंचाने या अनधिकृत एक्सेस करने से सुरक्षित रखने के लिए बनाए गए प्रौद्योगिकियों, प्रक्रियाओं एवं प्रथाओं के निकाय को संदर्भित करता है। बैंक एवं वित्तीय संस्थाएं कई प्रमुख साइबर सुरक्षा के मुद्दों का सामना कर रहे हैं जिन्हें निम्नानुसार संक्षेप में प्रस्तुत किया जा सकता है।

क) आंतरिक जोखिम

विश्व स्तर पर, साइबर सहित कई कपटपूर्ण लेन–देन आंतरिक मिलीभगत करने से हो रहे हैं। अधिकांश बैंकों/वित्तीय संस्थाओं ने अपने सिस्टम में बायोमेट्रिक एक्सेस अनिवार्य कर दिए है। साइबर एवं सूचना सुरक्षा के विषय पर अधिक से अधिक जागरूकता दोनों के लिए आंतरिक के साथ–साथ बाहरी ग्राहकों एवं अन्य उपयोगकर्ताओं हेतु जरूरी है।

ख) साइबर अपराध की बढ़ती घटनाएं

एटीएम/क्रेडिट कार्ड/नेट बैंकिंग से संबंधित कपटपूर्ण लेन–देन के साथ घटनाओं के मामलें लगातार बढ़ते जा रहे है। मेकर (Maker), चेकर (Checker) एवं ऑथराइजर (Authorizer) को मानक संचालन प्रक्रिया का सावधानीपूर्वक पालन किया जाना चाहिए। हाल के दिनों में, हम लोगो ने हमारे देश में और साथ ही वैश्विक स्तर पर वित्तीय आंकड़ों के उल्लंघन के कई मामले देखे हैं। यह एटीएम कार्ड विवरण मालवेयर (malware) से समझौता करके डेटाबेस या चोरी के अन्य तरीकों पर कंट्रोल किया जा सकता है।

ग) साइबर सुरक्षा के विशेषज्ञों की कमी

अनुमान के अनुसार, साइबर सुरक्षा के विशेषज्ञों की आवश्यकता देश में वर्तमान में विशेषज्ञों की संख्या से अधिक है। बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं को साइबर अपराधों से

अपने आप को सुरक्षित रखने हेतु पर्याप्त साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों को नियुक्त करने की आवश्यकता है। सभी संबंधित विशेषज्ञों, निजी एजेंसियों एवं सरकार के संबंधित मंत्रालय के निकाय को साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की विकट कमी पर काबू पाने के हेतु एक साथ कार्य करने की आवश्यकता है।

घ) कॉम्प्लेक्स (Complex)/सोफेस्टीकेडिट (Sophisticated) अटैक

वित्त क्षेत्र में साइबर अटैक की प्रकृति एवं प्रसार अधिक कॉम्प्लेक्स (Complex) और सोफेस्टीकेडिट (Sophisticated) होते जा रहे हैं। बैंक अपने सिस्टम और प्रक्रियाओं को अपग्रेडिंग करने और अपने ग्राहकों को शिक्षित करने में बहुत खर्चा कर रहा हैं लेकिन कपट करने वाले तकनीकी प्रणालियों/प्रक्रियाओं में कमियों का फायदा उठाने के नए तरीके खोज लेते हैं।

हाल के दिनों में, वैश्विक स्तर पर कई रैंसमवेयर अटैक (Ransomware attacks) की सूचना मिली है। रैनसम मालवेयर (Ransom malware) या रैंसमवेयर (Ransomware) एक प्रकार का मालवेयर (Malware) है जो उपयोगकर्ताओं को अपने सिस्टम पर पर्सनल फाइलों को एक्सेस करने से रोकता है तथा दुबारा एक्सेस करने के लिए रेनसम भुगतान (Ransom payment) की मांग करता है। 1980 के दशक के आस–पास रैंसमवेयर (Ransomware)के शुरुआती प्रकार को विकसित किया गया था और भुगतान को स्नेल मेल (Snail mail) के माध्यम से भेजा जाता था। आजकल रैंसमवेयर ऑडिटर क्रिप्टो करेंसी (Crypto currency) या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भुगतान भेजने का आदेश देते है।

ऑनलाइन कपटपूर्ण लेन–देन की विभिन्न पद्धति

कपटपूण लेन–देन करने वाले अपने लक्ष्यों में सफल होने हेतु विभिन्न पद्धतियों का उपयोग कर रहे हैं। कुछ प्रचलित पद्धतियां इसके अंतर्गत सूचीबद्ध हैं;

क) फिशिंग – यह एक ऑनलाइन कपटपूर्ण लेन–देन तकनीक है जिसका उपयोग अपराधी निर्दोष ग्राहकों को लुभाने के लिए करते है ताकि उनकी निजी जानकारी प्राप्त कर सकें। इस प्रकार की कार्यप्रणाली में, फर्जी ईमेल कपट करने वाले के द्वारा भेजे जाते हैं जो विश्वसनीय वेबसाइटों/वास्तविक स्रोत से आते प्रतीत होते हैं। इन मेलों के माध्यम से, वे कपटपूर्ण लेन–देन करने और संवेदनशील निजी जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करते हैं।

ख) विशिंग (Vishing)/वॉयस फिशिंग (Voice Phishing) – विशिंग (Vishing) या वॉयस फिशिंग (Voice Phishing) का उपयोग किसी से उनके संवेदनशील निजी विवरण प्रदान कराने के लिए टेलीफोन सेवाओं के माध्यम से बात करके करते है। एक विशिष्ट विशिंग कॉल में, कोई व्यक्ति हमारे बैंक के कर्मचारी के रूप में कॉल करके हमसे हमारे निजी विवरण निकलवा सकता है।

ग) हैकिंग – यह साइट के सिक्योरिटी तंत्र को या ग्राहकों के खातों से बिना नियमों के पालन किए अनधिकृत एक्सेस को संदर्भित करता है। यह कंप्यूटर या नेटवर्क में अनधिकृत इन्ट्रयूशन (Intrusion) है। हैकिंग के लिए हैकर्स पासवर्ड क्रैकिंग, स्पूफिंग, वायरस आदि जैसी कई तकनीकों को काम में लाते हैं।

घ) लॉटरी – फेक लॉटरी स्केम्स (Fake lottery scams) में ग्राहकों को यह समझाने की कोशिश करते है कि उन्होंने ऑनलाइन ड्रा में बहुत बड़ी रकम जीती है। तत्पश्चात, इस कपटपूर्ण लेन–देन के पीछे कपट करने वाले ग्राहक से उसके निजी जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ग्राहक इस प्रक्रिया में इनाम जीतना चाहता है।

कार्ड से संबंधित कपटपूर्ण – लेनदेन

जब कोई व्यक्ति निजी कारणों से किसी अन्य व्यक्ति के कार्ड का उपयोग करता है जबकि कार्ड के मालिक और कार्ड जारीकर्ता को इसके बारे में पता नहीं होता है कि कार्ड का उपयोग किया जा रहा है, तो इसे कार्ड से संबंधित कपटपूर्ण – लेनदेन कहा जाता है। कार्ड से संबंधित बैंकिंग कपटपूर्ण – लेनदेन को व्यापक तौर पर निम्नलिखित तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है;

i. पारंपरिक कपटपूर्ण – लेनदेन
ii. व्यापारी संबंधी कपटपूर्ण – लेनदेन
iii. इंटरनेट संबंधी कपटपूर्ण – लेनदेन

i. पारंपरिक कपटपूर्ण – लेनदेन

जब किसी व्यक्ति की निजी जानकारी किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अवैध रूप से प्राप्त की जाती है और आंशिक रूप से वैध जानकारी का उपयोग करके खाता खोला जाता है। इसी तरह, यदि कोई कार्ड खो जाता है या चोरी हो जाता है और आपराधिक उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता है तो भी पारंपरिक कार्ड से संबंधित कपट–पूर्ण लेन–देन होता है। कपट करने वाले व्यक्ति फर्जी और नकली कार्ड बनाने की तकनीक विकसित करने में सफल रहे हैं, जिससे क्रेडिट कार्ड से संबंधित कपट–पूर्ण लेन–देन में सबसे ज्यादा खतरा है।

ii. व्यापारी संबंधी कपटपूर्ण – लेनदेन

विश्व स्तर पर ऐसे उदाहरण हैं जहां व्यापारी मालिक या उनके कर्मचारी कपट करने वालों को कार्डधारक की जानकारी देते हैं। इसलिए, यहां व्यापारी की साँठ–गाँठ से धोखा हो जाता है।

iii. इंटरनेट संबंधी कपटपूर्ण – लेनदेन

यहां आमतौर पर उपयोग की जाने वाली तकनीकें फॉल्स मर्चेंडिस साइट्स (False merchandise sites) तथा साइटों की क्लोनिंग (Cloning of sites) बना रही हैं। कपट करने वालें समय के साथ–साथ इतने एडवांस हो गए है कि पूरी साइट को कब्जे में कर सकते हैं झुठी साइट बना सकते है जो बेहद सस्ती सेवा प्रदान करती है। ये साइट संभवतः एक बड़े क्रिमिनल नेटवर्क (Criminal network) का हिस्सा बन सकती हैं, जो अवैध रूप से कार्ड के विवरण का उपयोग कर सकते हैं।

सेफगार्ड्स (Safeguards)

कार्ड से संबंधित कपटपूर्ण लेन–देन की रोकथाम में कुछ सरल उपाय हमारी मदद करने हेतु बताए जा रहे हैं।

क) जब भी हम ऑनलाइन वित्तीय लेनदेन कर रहे हैं, तो हमें सुरक्षित नेटवर्क का उपयोग करना चाहिये। हमें कंप्यूटर का उपयोग सार्वजनिक स्थान पर या मुफ्त वाई–फाई जोन में करने से बचना चाहिए।

ख) ऑनलाइन वित्तीय लेनदेन करते समय याद रखने वाली एक और बात यह सुनिश्चित करना है कि हम एक सुरक्षित वेबसाइट का उपयोग कर रहे हैं। यह ब्राउजर विंडो के नीचे दाईं ओर एक स्मॉल लॉक या स्मॉल कीय सिम्बल से चेक किया जा सकता है।

ग) एटीएम में अपने कार्ड का उपयोग करते समय, हमें उन एटीएम से बचना चाहिए जहां हमें लगता है कि पर्याप्त सुरक्षा महसूस होती है (वीडियो कैमरा आदि) प्रदान नहीं की गई है। इसके अलावा, एटीएम में कार्ड स्वाइप करने से पहले हमें यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि कार्ड स्लॉट के बाहर कोई तार नहीं चिपके हुए हैं और स्लॉट के चारों ओर कोई टेप तो दिखाई नहीं दे रहा है। यदि ऐसा है, तो कपट करने वालों द्वारा एक स्कीमर स्थापित किए जाने की संभावना है।

घ) हमें कभी भी अपना पिन किसी को नहीं बताना चाहिए। पिन को समय–समय पर कार्डधारक द्वारा बदला जाना चाहिए। लोगों को अपने स्मार्टफोन में कार्ड पिन डालने की आदत है। मोबाइल फोन खोने/चोरी के मामले में यह काफी खतरनाक है। हमें पिन को याद रखना चाहिए। इसी तरह, हमें सीवीवी और कार्ड की भी सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी।

ङ) ई–कॉमर्स लेनदेन करते समय, हमें संबंधित कंपनी पर यथोचित छानबीन करनी चाहिए।

च) हमें अपने खातों में किए गए लेनदेन के लिए एसएमएस अलर्ट प्राप्त करने के लिए आग्रह करना चाहिए। यदि लेनदेन वास्तविक नहीं है तो इन एसएमएस अलर्ट से हम तुरंत कार्रवाई कर सकते हैं।

साइबर सुरक्षा और डाटा संरक्षण

भावी परिदृश्य

जोखिम के बोध को ध्यान में रखते हुए, सभी हितधारकों के लिए प्रभावी सुरक्षा उपायों को अपनाना और आवधिक रूप से उक्त का पुनर्लोकन करना अनिवार्य हो जाता है। कुछ महत्वपूर्ण उपायों को नीचे सूचीबद्ध किया गया है

क) ग्राहकों और कर्मियों को शिक्षित करना

बैंक और वित्तीय संस्थान अपने कर्मी सदस्यों के कौशल निर्माण पर ध्यान केंद्रित करती है ताकि उनको नवीनतम उन्नति का ज्ञान हों। आवश्यकता के आधार पर कर्मियों को बाहरी प्रशिक्षण भी दिया जा सकता है। ग्राहको/उपयोगकर्ताओं को साइबर विश्व में सकुशल और सुरक्षित रखने के लिए उन्हें शिक्षित करना बहुत महत्वपूर्ण है।

ख) लर्निंग (Learning) को साझा करना

साइबर जोखिमों को कम करने के लिए, विभिन्न संस्थाओं के बीच सहयोग अपेक्षित है, जिन्हें साइबर घटनाओं, ऐसी घटनाओं से प्राप्त सीख और संस्थाओं द्वारा अपने सिस्टम और प्रक्रियाओं में किए गए सुधारों को साझा करना चाहिए। इस तरह की साइबर सुरक्षा घटनाएं, चाहे सफल हों या न हों, बैंक और वित्तीय संस्थान द्वारा भा.रि.बैंक को सूचित किया जाना अपेक्षित है। इससे अन्य संस्थानों को सावधानी बरतने में विनियामक को मदद मिलती है जो सक्रिय साइबर सुरक्षा उपायों को लागू करने का प्रयास कर सकते हैं।

ग) विभिन्न उपकरणों का उपयोग

प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उपलब्ध विभिन्न उपकरण जैसे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, फायरवॉल, स्पाइवेयर, डाटा एन्क्रिप्शन आदि का उपयोग बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा साइबर क्राइम को रोकने के लिए किया जाता है। इनमें से कुछ उपकरण हैकर्स को सिस्टम में अनधिकृत एक्सेस करने से भी रोकते हैं। चूंकि डेवलपर्स द्वारा इन उपकरणों का आवधिक अद्यतन किया जाता है, यह सुनिश्चित करना अपेक्षित है कि नवीनतम अपडेट किए गए संस्करण हर समय सिस्टम में इंस्टॉल होने चाहिए।

घ) साइबर ड्रिल

बैंकों और वित्तीय संस्थानों को आवधिक रूप से सीईआरटी–आईएन, आईडीआरबीटी आदि के तत्वावधान के तहत किए जाने वाले साइबर ड्रिल में भाग लेना चाहिए। यह संस्थानों में डिजिटल फोरेंसिक सेवाओं को मजबूत करने में एक लंबा रास्ता तय करेगा।

ङ) वेंडर का चयन

बैंक और वित्तीय संस्थान कैश लॉजिस्टिक्स (Cash logistics) से लेकर आईटी और डाटा प्रबंधन तक कई महत्वपूर्ण गतिविधियों की आउटसोर्सिंग करते रहे हैं। सेवा प्रदाताओं का चयन करने के लिए उचित समुचित सावधानी बरतना अपेक्षित है। बैंकों और वित्तीय संस्थानों को चयनित वेंडर की साख के संबंध में स्वयं को संतुष्ट करना चाहिए – पृष्ठभूमि की जांच अत्यावश्यक है क्योंकि ये वेंडर संगठन की महत्वपूर्ण आस्ति का प्रबंधन करने जा रहे हैं।

अतः स्मार्ट सिटी की व्यवसथा के लिए अगर उपरोक्त उपाय अपनाए जाएं तो सूचना एवं संचार प्रणाली पर होने वाले आघात से बचा जा सकता है। हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि समय–समय पर जिस प्रकार से खतरों की प्रकृति बढ़े हमें उसी प्रकार से अपने साइबर सुरक्षा ढांचे को भी मजबूत कर इसे अद्यतित करते रहना होगा।

भविष्य के शहरों की जरूरतें एवं चुनौतियाँ

सुभाष, क्षेत्रीय प्रबंधक
राष्ट्रीय आवास बैंक

शहर मानव सभ्यता द्वारा बनाई गई जटिल संरचनाओं में से एक हैं और अन्य मानव निर्मित वस्तुओं के विपरीत, जैसे कि मोबाइल, कंप्यूटर, इसकी उत्पत्ति और इसके उत्कर्ष के रूप में समग्रता में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। कई बार शहरीकरण स्वयं विनाशकारी हो जाता है और महामारियों या प्राकृतिक आपदाओं की ओर ले जाता है।

'यूएन–हैबीटेट ग्लोबल रिपोर्ट 2007 – एन्हांसिंग अर्बन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी' में कहा गया है कि बस्तियों की केंद्रित प्रकृति और मानव और अवसंरचनात्मक प्रणालियों के अन्योन्याश्रित प्रकृति के कारण शहरों में स्वाभाविक जोखिम है। आपदा जोखिम के लिए शहरी बस्तियां 'हॉट स्पॉट' बनते जा रहे हैं।

'प्राकृतिक' जनसंख्या वृद्धि के परिणामस्वरूप शहरों का शायद ही कभी विस्तार हुआ है। शहरों की ओर पलायन करने वाले लोगों की संख्या आमतौर पर उनमें पैदा होने वाली संख्या पर ग्रहण लगाती है। दूसरे शब्दों में, शहरों ने हमेशा अपनी जीवन शक्ति बनाए रखने के लिए नए लोगों पर भरोसा किया है। यह एक सदी पहले सच था, और यह आज भी सच है।

शहरी भूमि विस्तार ने पूरे विश्व में शहरी जनसंख्या वृद्धि को पार कर लिया है। 1990 और 2015 के बीच, शहरी जनसंख्या वृद्धि दर दुनिया भर में शहरी जनसंख्या वृद्धि दर की तुलना में लगभग दोगुनी थी। क्रमशः विकसित और विकासशील देशों में 1.8 बनाम 1.2–गुना और 3.9 बनाम 2.0–गुना की दरें (UN&Habitat] 2016) बताई गई हैं।

शहर मानवता के भविष्य के लिए बेहद मायने रखते हैं। शहरों में असमान रूप से भीड़ है। कुछ महाद्वीप अत्यधिक विकसित होते हैं, जिनमें अधिकांश लोग शहरी क्षेत्रों में रहते हैं। यह आंकड़ा 2050 तक बढ़कर 66% होने का अनुमान है। दुनिया के अधिकांश हिस्सों में, वर्तमान में तेजी से और गहरा परिवर्तन हो रहा है जो लाखों लोगों के जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित कर रहा। जीवन की गुणवत्ता को बनाए रखने या बढ़ाने के लिए, और आर्थिक और पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए, शहरीकरण पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है।

अपनी 2017 की पुस्तक, 'स्केल' में, ब्रिटिश भविष्यवक्ता जेफ्री वेस्ट ने बताया कि शहरों में सब कुछ तेजी से होता है। विलुप्त होने से बचने के लिए हमें जिन हरी तकनीकों की आवश्यकता है, उनका पालन–पोषण शहरों में किया जाता है। उनके पास अधिक जीडीपी, अधिक खपत, अधिक अपराध और अधिक बीमारी है। लोग तेजी से चलते भी हैं। लेकिन यह कमजोरी भी एक ताकत है। अच्छे या बुरे के लिए, हमारे भविष्य को उनकी गलियों में उकेरा जा रहा है।

शहरीकरण के समकालीन पहलू

शहरी बस्तियां सभ्यता के मूल को विकसित करती हैं। आधुनिक शहरी नियोजन औद्योगिक क्रांति के कारण 19 वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में उभरी। तब से, नियोजन का दृष्टिकोण पूरी दुनिया में फैल गया और प्रभावशाली और अजेय बना रहा।

दुनिया के हिस्सों में शहरी नियोजन प्रणाली को पश्चिमी यूरोपीय नियोजन द्वारा आकार दिया गया है, जिसे आमतौर पर मास्टर प्लानिंग के रूप में जाना जाता है। नियोजन का यह दृष्टिकोण की विशेषता है, स्थानिक मॉडल, भूमि वर्गीकरण, सड़क लेआउट, निर्मित रूप के विनिर्देशों, भवन निर्माण सामग्री, कार्यकाल प्रणाली और योजना निर्माण की प्रक्रियाओं के लिए दृष्टिकोण। पश्चिमी नियोजन मॉडल को संस्कृति विशिष्ट और उपनिवेशवाद के रूप में समझा जा सकता है, क्योंकि वे विशेष राजनीतिक प्रणालियों, संस्कृतियों और मूल्यों के जवाब में उभरे हैं। इन विचारों के

प्रसार में पेशेवर निकायों और अंतर्राष्ट्रीय सहायता और विकास एजेंसियों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कई विकसित देशों में, हाल के दशकों के दौरान शासन के नए रूपों के उद्भव और बाजार की अधिक भूमिका के जवाब में नियोजन के दृष्टिकोण में काफी बदलाव आया है। हालांकि, कई विकासशील देशों में, मास्टर प्लानिंग के पुराने रूप बरकरार हैं।

शहरी नियोजन निर्णय लेने और नीति निर्माण में, स्थानीय सरकार के भीतर और सरकार के स्तरों के बीच शासन पर काबू पाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह सबसे प्रभावी रूप से अन्य नीति क्षेत्रों की गतिविधियों जैसे बुनियादी ढाँचे के प्रावधान के साथ नियोजन को जोड़ने के लिए स्थान और क्षेत्र का उपयोग करके क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रिश्तों के निर्माण के माध्यम से कर सकता है।

भूमि और संपत्ति विकास गतिविधि का विनियमन शहरी नियोजन प्रणाली की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। नियोजन प्रणालियों को डिजाइन करने में, सभी प्रकार की भूमि और संपत्ति विकास गतिविधि, औपचारिक और अनौपचारिक, को ध्यान में रखा जाना चाहिए। यहाँ निवेश शक्ति के साथ नियामक शक्ति के त्वरित तालमेल की जरुरत है।

चुनौतियां:

- वैश्विक स्तर पर पिछले कई दशकों में आर्थिक, सामाजिक, असमानता ने धीरे–धीरे अमीर और गरीब के बीच व्यापक अंतर पैदा किया है। ऐसे परिदृश्य में योजनाकारों के लिए यह चुनौती है कि वे लोगों की बढ़ती आवासीय आवश्यकताओं को कैसे पूरा करें, क्योंकि उन्हें निहित स्वार्थ के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक पंथों से ऊपर उठना होगा।
- शहरी नियोजन को सामाजिक एकीकरण और सामंजस्य को बढ़ावा देने के तरीकों की तलाश करना है, जिससे की एक सार्थक सार्वजनिक आवास प्रणाली का मौका दिया जा सके।
- बढ़ते प्रवासन का मतलब है कि दुनिया के सभी हिस्सों में शहर और कस्बे बहुत अधिक बहुसांस्कृतिक हो गए हैं। सांस्कृतिक विविधता का आवास परिदृश्य पर व्यापक प्रभाव है। बहुत अलग जातीय और धार्मिक पृष्ठभूमि के लोग अब शहरों में एक साथ रहते हैं। यह शहरीकरण के मुद्दों के आसपास भागीदारी प्रक्रियाओं को और अधिक कठिन बना रहा है। योजनाकारों को सही संतुलन की आवश्यकता है।
- निर्मित विरासत और ऐतिहासिक रूप से मूल्यवान शहरी क्षेत्रों को संरक्षित करना, और असंगत उपयोगों द्वारा उन्हें असंवेदनशील रूपांतरण या आक्रमण से बचाना भविष्य के शहरों के लिए चुनौती है।
- सार्वजनिक अवसंरचना के नेटवर्क से जुड़े पैमाने पर शहरी भूमि को वितरित करने की आवश्यकता के साथ साथ सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय परिवर्तन को संबोधित करने वाले तरीकों में सामंजस्य बनाना, शायद शहरीकरण का सबसे बड़ा मुद्दा है।
- विकासशील शहरों और कस्बों में एक महत्वपूर्ण जनसांख्यिकीय प्रवृत्ति वयस्क लोगों के सापेक्ष युवा लोगों (15 से 29 वर्ष) की बढ़ती अनुपात है। युवा आबादी के लिए आवास की जरूरतें शहरी विकास पर विशेष रूप से मांग करती हैं – शिक्षा और प्रशिक्षण सुविधाओं की आवश्यकता के संदर्भ में, और खेल और मनोरंजक निवेश। यह युवा उभार के नकारात्मक पक्ष को प्रबंधित करने में भी मदद करता है।
- तेजी से शहरीकरण वाले शहरों में नए विकास का बड़ा हिस्सा शहरी किनारे पर हो रहा है और कुछ क्षेत्रों में यह मौजूदा बस्तियों को विस्तारित शहरी गलियारों से जोड़ रहा है। विकास का यह रूप एक नई आवासीय समस्याओं को प्रस्तुत करता है क्योंकि इस नई बस्ती का अधिकांश हिस्सा अनौपचारिक, बिना सेवारत, खंडित, कार्यकाल प्रणाली है जो नगरपालिका सरकारों की सीमाओं से परे है। ये क्षेत्र पारंपरिक तरीके से मूलभूत सेवा करने के लिए बेहद कठिन और महंगे हैं जिनके लिए नए वितरण तंत्र को विकसित करने की आवश्यकता है।
- बिना मलिन बस्तियों के शहरों की जरूरत है। यह वर्तमान स्थिति के लिए एक सपना है। झुग्गीवासियों को जबरन बेदखल करने के विकल्प और अनौपचारिक उद्यमी, अर्थात् अनौपचारिक रूप से विकसित क्षेत्रों के नियमितीकरण और ट्रंक बुनियादी ढांचे के निर्माण, निर्देशित भूमि विकास और भूमि के पुनर्मूल्यांकन जैसे नियोजन साधनों का रणनीतिक उपयोग।

- विकासशील देशों में शहरीकरण यह है कि शहरीकरण जीवन की गुणवत्ता के बजाय अस्तित्व के लिए है। शहरों का वर्तमान स्वरूप गरीबों के लिए जन्मजात नहीं है। उन्हें एक असुविधाजनक स्थानों पर रहने के लिए मजबूर किया जाता है। यह 'डेविड और गोलियत' के बीच एक प्रतियोगिता है और नियति यहाँ तय है यानी डेविड हमेशा हारेगा।

- शहरी आवास में महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण लिंग पूर्वाग्रह भी हैं। वे अनौपचारिक अर्थव्यवस्था और विशेष रूप से कम–लाभकारी गतिविधियों में केंद्रित हैं। इससे उन्हें औपचारिक आवास वित्त प्राप्त करने में अधिक कठिनाई होती है।

- एशिया लैटिन अमेरिकी और कैरेबियाई शहरों सहित दुनिया के कुछ हिस्सों में, अपराध के डर से शहरी विखंडन में वृद्धि हुई है क्योंकि मध्यम और ऊपरी आय वाले घरों में खुद को गेटेड समुदायों 'और अन्य प्रकार के उच्च–सुरक्षा आवासीय परिसरों में अलग रखा गया है। यह सांस्कृतिक अंतर पैदा कर रहा है।

- अध्ययन के अनुसार, रियल एस्टेट कुछ ट्रिलियन टन कचरे और प्रदूषक पैदा करता है। यह 40 प्रतिशत कचरे और 35 प्रतिशत ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन करता है। इसलिए, एक स्थायी फैशन में संरचनाओं का निर्माण पहले से कहीं अधिक अपरिहार्य हो गया है। विश्व ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के अनुसार, एक ग्रीन 'इमारत – इसके डिजाइन, निर्माण या संचालन में – नकारात्मक प्रभावों को कम या समाप्त करती है, और हमारे जलवायु और प्राकृतिक वातावरण पर सकारात्मक प्रभाव पैदा कर सकती है।

- आर्थिक रूप से व्यवहार्य रेंटल हाउसिंग मॉडल (जैसे रेंट–टू ओन स्कीम, साझा स्वामित्व योजना, पीपीपी मॉडल, रेंटल वाउचर स्कीम, रेंटल अलाउंस स्कीम आदि) विकसित करें। विशेष रूप से बड़े पैमाने पर किराये की आवासीय परियोजनाओं/योजनाओं के संचालन, रखरखाव और प्रबंधन में दक्षता लाने के लिए आवासीय किराये प्रबंधन कंपनियों (आरआरएमसी) को बढ़ावा देना।

- कोरोना वायरस महामारी और लॉकडाउन जो दुनिया भर में इसे से निपटने के लिए रखा गया था, शहरी जीवन के भविष्य के बारे में कई सवाल उठाते हैं। सामाजिक दूरी बनाए रखना, घर में सीमित रहना, सीमित यात्रा ने शहरी जीवन के लिए नए मानदंड स्थापित किए हैं। यह सब आवास के साथ एक कार्यस्थल के लिए कहता है, जिसमें एक स्थायी वातावरण में सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधि की जा सके। इस लॉकडाउन प्रयोग से सबसे महत्वपूर्ण सबक यह है कि हम 'स्वच्छ हवा' और राष्ट्रीय परिवेश मानकों को प्राप्त कर सकते हैं। शहर केंद्रित या सेक्टर केंद्रित दृष्टिकोण पर्याप्त नहीं है। आगे बढ़ते हुए, इन COVID समय से परे, हमें शहर की सीमा के अंदर और बाहर सभी स्रोतों पर उत्सर्जन में कटौती करने की योजना बनानी चाहिए। हमें स्मॉग–टावरों,

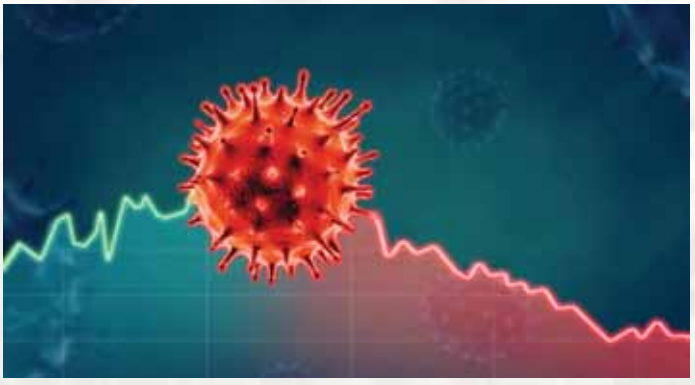

धुंध–तोपों और विषम–सम नियमों जैसे बैंड–सहायता समाधानों से भी बचना चाहिए, जो केवल शहर के छोटे क्षेत्र को लाभान्वित करते हैं। स्वच्छ हवा प्राप्त करने के लिए हमें अधिक क्षेत्रीय और अंतर–राज्यीय सहयोग की आवश्यकता है।

सितंबर 2015 में, जनरल असेंबली ने सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा को अपनाया जिसमें 17 सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) शामिल हैं। 'किसी को पीछे नहीं छोड़ना' के सिद्धांत पर निर्माण, नया एजेंडा सभी के लिए सतत विकास को प्राप्त करने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण पर जोर देता है। हालांकि दुनिया के शहरों की आबादी अब और 2050 के बीच दोगुनी हो जाएगी है। यदि इस चुनौती को संबोधित नहीं किया जाता है, तो न तो संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों और न ही पेरिस समझौते के जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिये एक साझा वैश्विक प्रतिबद्धता की जरुरत है।

स्मार्ट सिटी : भविष्य के शहर

कुलदीप सिंह भाटी, वरिष्ठ सहायक
भारतीय स्टेट बैंक

"शहरीकरण को बड़ा संकट माना गया है, लेकिन मेरा सोचना अलग है। हमें इसे अवसर के रूप में समझना चाहिए। अवसरों को तलाशना जरूरी हैं।"

श्री नरेंद्र मोदी (प्रधानमंत्री)

(स्त्रोत : शिवानंद द्विवेदी और अन्नत विजय द्वारा संपादित पुस्तक "परिवर्तन की ओर" से साभार)

शहर किसी भी देश की आर्थिक व्यवस्था में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शहरों का मिजाज उस देश की वैश्विक मिसाल बनाने में सहायता करता है। भारत जिसके संबंध में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा कि – "भारत गांवों में बसता है" के लिए भी शहर संपन्नता का सूचक है। भारत की आत्मा भले ही गांवों में बसती हैं पर आज के आर्थिक युग में परिपक्वता और पोषण हेतु शहरों को दरकिनार नहीं किया जा सकता। आज जिस प्रकार से शनैः–शनैः गाँव सरकते–सरकते शहरों की सीमाओं तक दस्तक दे रहे हैं, उससे आने वाले कुछ दशकों में शहरों की संख्या और बढ़ती जाएगी। अगर कोई सोचता है कि केवल पलायन से ही गाँव संकुचित हो रहे है तो यह संकीर्ण सोच हैं क्योंकि इसके बाद हम इसके दूसरे पक्ष को भूल जाते है कि शहर विस्तीर्ण हो रहे हैं क्योंकि गाँव संकुचित हो रहे हैं।

आज के समय में ग्रामीण अर्थव्यवस्था के साथ शहर और उनकी बुनियादी आवश्यकताओं तथा ढांचों को भी सुधारना आवश्यक हो गया है। अफ्रीकी तथा एशियाई क्षेत्रों के विकासशील और नव–विकसित देशों में इस ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसी सोच के कारण एक नया शब्द अस्तित्व में आया है – "स्मार्ट सिटी"। सांख्यिकी दृष्टि से देखे तो ढांचागत सुधार के लिए सरकारों का शहरों के प्रति सरोकार अपेक्षाकृत अधिक ही हैं। इसका कारण यदि भारत के संदर्भ में देखें तो हम पाते हैं कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की केवल 31% जनसंख्या शहरों में रहती है जबकि इनका भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 63% का योगदान है। एक अनुमान के अनुसार वर्ष 2030 तक यह संख्या 40% हो जाएगी जिसका जीडीपी में योगदान भी बढ़कर 75% होने की पूरी संभावना है। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार से शहरों पर आबादी का दबाव बढ़ता जा रहा है और शहर बेतरतीब ढंग से विस्तारित हो रहे हैं। इस दृष्टि से इनकी बुनियादी आवश्यकतों को सुधार कर "स्लम सिटी" बनते जा रहे इन शहरों को "स्मार्ट सिटी" के रूप में सुधारना जरूरी हो गया है। यहीं सोच कर भारत की मोदी सरकार ने "स्मार्ट सिटी मिशन" को अमलीजामा पहनाया जिसमें नवाचारों और नवीन तकनीकी नवोन्मेषों के साथ शहरों को उनकी विशिष्ट सांस्कृतिक संरचना को संरक्षित रखते हुए आधुनिक बनाया जाएगा।

"स्मार्ट सिटी" क्या हैं – स्मार्ट सिटी भारत के लिए पिछले कुछ वर्षों में विकास योजनाओं के रूप में चर्चित रहने वाला नया शब्द है। स्मार्टफोन और स्मार्ट लोगों के लिए 'स्मार्ट सिटी' की चकाचौंध का अर्थ लगाना सहज हो सकता हैं किन्तु गरीब, निचले तबके के लिए यदि इस भारी–भरकम शब्द का प्रयोजन कुछ और हो सकता है। स्मार्ट सिटी का अर्थ केवल आधुनिकता और पाश्चात्यवाद की भागमभाग वाली जीवन शैली से ही नहीं है, जिसमें कोई शहर सोता नहीं है क्योंकि स्मार्ट शब्द एक व्यापक शब्द है जो अपने में विकास के कई पहलू और पक्ष समाहित करके रखता हैं। इसी प्रकार जन–जन के मत के अनुरूप देश–देश में भी इस संबंध में अलग–अलग अर्थ हो सकते हैं। जरूरी नहीं है की भारत में स्मार्ट सिटी का जो अर्थ लगाया जाता है वहीं अर्थ यूरोप या अमरीकी देशों में लगाया जाए या जो अर्थ या विशेषताएँ अफ्रीकी या अन्य दक्षिण–एशियाई देशों में बताई जाए वे अर्थ भारत के शहरों के लिए भी लागू हो। इस प्रकार स्मार्ट सिटी की परिभाषा हर देश और क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियों और संरचनाओं के अनुरूप भिन्न–भिन्न होती है।

भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए इस मिशन में शहरों के मार्गदर्शन के लिए कुछ परिभाषात्मक सीमाएं अपेक्षित रखते हुए बताया गया है कि – "भारत में शहर में रहने वाले किसी व्यक्ति की कल्पना में स्मार्ट सिटी की छवि में अवसंरचना और सेवाओं की एक सूची निहित होती है, जो उसके आकांक्षा स्तर को व्यक्त करती हैं। नागरिकों की आकांक्षाओं और आवश्यकतों को पूरा करने के लिए शहरी नियोजक का समस्त शहरी परिस्थिति को आदर्श रूप में विकसित करने का लक्ष्य होता है जो व्यापक विकास के चार स्तंभों – संस्थानिक, भौतिक, सामाजिक और आर्थिक अवसंरचना के द्वारा प्रदर्शित होते हैं।" सरल शब्दों में विकिपीडिया के अनुसार – "स्मार्ट सिटी, नगरीय विकास का एक नया मॉडल है।

भारत का स्मार्ट सिटी मिशन : एक परिचय – भारत में स्मार्ट सिटी मिशन का शुभारंभ भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 25/06/2015 को किया गया। इस परियोजना में भारत के कुल 100 शहरों को चयनित कर उन्हें स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने का लक्ष्य रखा गया हैं। इस मिशन में "शहर चुनौती प्रक्रिया" के माध्यम से कुल चार चरणों में जनवरी, 2016 से जून, 2018 तक 100 शहरों का चयन किया गया हैं। चयनित किए गए शहरों को उनके चयन की तिथि से पाँच वर्ष के अंतर्गत इस हेतु अपनी परियोजनाओं को पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया। इस योजना में प्रति शहर को प्रति वर्ष 100 करोड़ रुपए पाँच वर्ष तक (कुल 500 करोड़ रु.) दिए जाने का प्रावधान है। इस प्रकार केंद्रीय प्रायोजित स्कीम (सीएसएस) के रूप में परिचालित इस मिशन में कुल 48000 करोड़ रुपए सरकार द्वारा प्रदान किए जाने का प्रावधान है।

स्मार्ट सिटीज मिशन की स्थिति – सरकार की घोषणा के बाद अभी तक इस मिशन की प्रगति संतोषजनक हैं। आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

श्री हरदीप सिंह पुरी ने 04/03/2020 को राज्यसभा में एक प्रश्न (अतारांकित प्रश्न संख्या 1526) का उत्तर देते हुए बताया है कि – 100 स्मार्ट शहरों द्वारा उनके स्मार्ट शहर प्रस्तावों (एसपीपी) के भाग के रूप में 2,05,018 करोड़ रुपये की कुल 5151 परियोजनाएं प्रस्तावित की गई हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ स्मार्ट कमान और नियंत्रण केंद्र, स्मार्ट सड़कें, स्मार्ट जल और स्मार्ट सौर परियोजनाएं इत्यादि से संबन्धित परियोजनाएं शामिल हैं। 24 फरवरी, 2020 की स्थिति के अनुसार 1,63,817 करोड़ रुपये की 4,400 से अधिक परियोजनाओं के लिए निविदा दी गई है जिसमें से 1,21,698 करोड़ रुपये की 3,600 से अधिक परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं और 25,872 करोड़ रुपये की 1,575 परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं। (स्त्रोत – राज्यसभा वेबसाइट)

स्मार्ट सिटी के प्रमुख अवसंरचना तत्व – स्मार्ट सिटी के अंतर्गत 100 शहरों का चयन कर सीमित रखने का प्रयास इसलिए किया गया ताकि इन चयनित शहरों में उपलब्ध अवसंरचनाओं को परिष्कृत और परिवर्धित कर निर्धारित मानकों के अनुसार सुस्थिर और समावेशी विकास किया जा सके। सम्पूर्ण विकास के लिए तथा आगामी योजनाओं में अन्य इच्छुक शहरों के लिए दृष्टांत बन प्रकाश स्तम्भ बनाने के लिए उपलब्ध चुनौतियों का समाधान भी "स्मार्ट" तरीके से किया जा सके। केवल कंक्रीट के जंगल खड़े कर किए जा रहे विकास के नाम पर पर्यावरण को हो रही क्षति को कम करने के लिए हरित क्षेत्र का भी ध्यान रखा जाना इस मिशन की प्रमुख प्राथमिकता है।

इस मिशन में भौतिक और पर्यावरणीय संतुलन को समझते हुए वास्तविक विकास पर बल दिया गया हैं। शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जून, 2015 में प्रकाशित "स्मार्ट सिटीज मिशन विवरण और दिशानिर्देश" मार्गदर्शिका में स्मार्ट सिटी के प्रमुख अवसंरचना तत्वों में निम्नलिखित को शामिल किया गया हैं –

1. पर्याप्त जलापूर्ति
2. सुनिश्चित विद्युत आपूर्ति
3. ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सहित सफाई
4. सक्षम शहरी गतिशीलता और सार्वजनिक परिवहन
5. विशेषतः गरीबों के लिए किफायती आवास
6. सक्षम आईटी कनैक्टिविटी और डिजिटलाइजेशन
7. सुशासन, विशेषतः ई–गवर्नेंस और नागरिक भागीदारी
8. सुस्थिर पर्यावरण
9. विशेषतः महिलाओं, बच्चों और वृद्ध नागरिकों की सुरक्षा और
10. स्वास्थ्य और शिक्षा

स्मार्ट सिटी के उद्देश्य और इसकी विशेषताएँ – स्मार्ट सिटी का उद्देश्य आर्थिक विकास करना है। बेहतर स्थानीय क्षेत्र विकास और प्रौद्योगिकी का उपयोग करके स्मार्ट परिणामों को प्राप्त करते हुए लोगों को बेहतर और गुणवत्तापूर्ण जीवन सुविधाएं उपलब्ध करवाना हैं। त्रिस्तरीय मॉडल पर आधारित इस मिशन में पुनः संयोजन (रेट्रोफिटिंग), पुनर्विकास और हरित क्षेत्र विकास मॉडल को संपुटित किया जा रहा है।

- **पुनः संयोजन (रेट्रोफिटिंग) –** पुनः संयोजन में, नागरिकों के साथ विचार–विमर्श करके शहर के समीपस्थ ऐसे क्षेत्र की पहचान की जाएगी जो 500 एकड़ से अधिक हो। पहचाने गए क्षेत्र में अवसंरचना सेवाओं के मौजूदा स्तर और निवासियों के विजन के आधार पर, शहरों को स्मार्ट बनाने के लिए कार्यनीति बनाई जाएगी।

- **पुनर्विकास –** पुनर्विकास में नागरिकों के परामर्श से शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) द्वारा पहचाने गए 50 एकड़ से अधिक क्षेत्र की परिकल्पना की गई है। उदाहरण के लिए, पहचाने गए क्षेत्र का मिश्रित भू–उपयोग, उच्चतर एफएसआई और उच्च भूमि कवरेज से नई विन्यास योजना बनाई जाएगी। पुनर्विकास मॉडल के दो उदाहरण राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम द्वारा निष्पादित किए जा रहे मुंबई में सैफी बुरहानी उत्थान परियोजना (जिसे भिंडी बाजार परियोजना भी कहा जाता है) और नई दिल्ली में पूर्व किदवई नगर का पुनर्विकास हैं।

- **हरित क्षेत्र विकास मॉडल –** पुनः संयोजन और पुनर्विकास से अलग, हरित क्षेत्र का विकास शहरी स्थानीय निकायों के दायरे के भीतर अथवा स्थानीय विकास प्राधिकरण (यूडीए) के दायरे के भीतर किया जा सकता है। हरित क्षेत्र के विकास से किफायती हाउसिंग, खासतौर पर गरीबों के लिए हाउसिंग के प्रावधान सहित नव–प्रवर्तनकारी नियोजन, आयोजनागत वित्तपोषण और आयोजनागत कार्यान्वयन (उदाहरणार्थ भूमि की पूलिंग/भूमि पुनः निर्माण) के उपयोग से पूर्व में खाली पड़े क्षेत्र (250 एकड़ से अधिक) में अधिकांश स्मार्ट समाधान लागू होंगे। बढ़ती आबादी की जरूरतें पूरी करने के लिए शहरों के इर्द–गिर्द हरित क्षेत्र विकसित करना अपेक्षित है। इसका एक जाना माना उदाहरण गुजरात में गिफ्ट सिटी है।

स्मार्ट शहरों में व्यापक विकास की कुछ प्रारूपी विशेषताएं इस प्रकार से हैं –

1. क्षेत्र आधारित घटनाक्रमों में मिश्रित भू–उपयोग को बढ़ावा देना।
2. हाउसिंग के अवसरों का सभी के लिए विस्तार करना।
3. पैदल चलने योग्य लोकेलिटी का निर्माण।
4. भीड़भाड, वायु प्रदूषण और संसाधनों की कमी को कम करना।
5. स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना।
6. अंतक्रिया को बढ़ावा देना और सुरक्षा सुनिश्चित करना।
7. खुले स्थानों – पार्क, खेल के मैदान, मनोरंजन के स्थानों का संरक्षण और विकास करना।

8. परिवहन के विभिन्न विकल्पों जैसे– ट्रांजिट उन्मुख विकास(टीओडी), सार्वजनिक परिवहन और अंतिम गंतव्य स्थल पर परिवहन कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना।

9. सेवाओं की कीमतों में कमी लाना।

10. नगर निगम के कार्यालयों में जाए बिना सेवाएं प्रदान करने के लिए जवाबदेही और पारदर्शिता लाना।

11. ऑनलाईन सेवाओं पर अधिकाधिक आश्रित शासन को नागरिक–मैत्री और किफायती बनाना।

12. लोगों को सुनने और सुझाव लेने एवं कार्यस्थलों के साइबर दौरे की मदद से कार्यक्रमों व कार्यकलापों की ऑनलाइन निगरानी का उपयोग करने के लिए ई–समूहों का गठन करना।

13. अपने मुख्य आर्थिक कार्यकलापों जैसे स्थानीय भोजन, स्वास्थ्य, शिक्षा, कला और शिल्प, संस्कृति, खेल के सामान, फर्नीचर, होजरी, कपड़े, डेयरी आदि पर आधारित शहर को पहचान प्रदान करना।

14. अवसंरचना और सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए क्षेत्र आधारित विकास।

15. संसाधनों का उपयोग कर और सस्ती सेवाएं प्रदान कर क्षेत्रों को आपदा के प्रति कम असुरक्षित बनाना।

स्मार्ट सिटी : भविष्य के शहर – सरकार ने जिस प्रकार से इस योजना को एक मिशन के रूप में लिया है उससे लगता है कि यदि संजीदगी और पूरे आत्मविश्वास से ईमानदारी से प्रयास किए जाए तो भारत के शहरों का भविष्य निःसन्देह स्मार्ट होगा। सरकार का 'विजन' इस 'मिशन' की सफलता को कहीं कमतर नहीं करता हैं। यह शहरों की ऐसी समावेशी संतुलित विकास योजना हैं जिसमे 'विजन' के साथ 'वैल्यू' को भी स्वीकार किया गया हैं। 'विजन', 'मिशन' और 'वैल्यू' की यह तिकड़ी इस त्रिस्तरीय मॉडल को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इस योजना की विशेषताओं को देखते हुए यही कहा जा सकता है कि यह योजना आम से खास तक तकनीकी नवाचारों के साथ सम्पूर्ण विकास की द्योतक है।

'इन्फ्रास्ट्रक्चर इंटेलिजेंस डॉट कॉम' की रिपोर्ट में बताया गया है कि बदलाव की इस मुहिम में मुख्य तीन सेक्टर– यातायात, भवन–निर्माण और ऊर्जा समेत तकरीबन 70 प्रौद्योगिकी सेवाएँ बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में होने वाली बढ़ोतरी से लेकर वायु गुणवत्ता व रोजगार–सृजन जैसी अनेक चीजें शामिल हैं। हालांकि, स्मार्ट सिटी की राह में अनेक चुनौतियां हैं, लेकिन ऐसी बहुत सी तकनीकें आ चुकी हैं, जिनके विकसित स्वरूप के माध्यम से भविष्य में शहरों का स्वरूप बिलकुल बदल जाएगा जिससे कहा जा सकता हैं कि भारत के स्मार्ट शहर, भविष्य के शहर होंगे। जैसे –

- रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (आरएफआईडी) और वायरलेस सेंसर नेटवर्क्स में इस्तेमाल होने वाले सेंसर्स और वीडियो प्रमाणीकरण प्रौद्योगिकी के जरिए जमीनी इलाकों, समुद्र और बाहरी क्षेत्रों में होने वाली विविध गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी और बड़ी तादाद में आंकड़े मुहैया कराए जाएंगे। जिससे संबंधित आंकड़ों के जरिए शहरी जीवन को सुधारा जाए। इन आंकड़ों को विश्लेषण करते हुए भूकंप और इस तरह की आपदाओं को समय रहते जाना जा सकेगा। हाईवे के किनारे ऑप्टिकल केबल सेंसर्स अनेक गतिविधियों की निगरानी करेंगे। उन्नत बायोमेट्रिक पहचान के लिए वीडियो डाटा का प्रयोग भारत के भविष्य के शहरों की विशेषता होगी।

- स्मार्ट सिटी में दूर संवेदी तकनीक से हासिल शहर प्रमाणीकरण (अर्बन ऑथेंटिकेशन) के आंकड़ों को उनकी भौगोलिक स्थिति और दशा की वैधता का परीक्षण करते हुए उसे पुख्ता करने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया जाएगा। इससे आंकड़ों को तुरंत ही पुख्ता करने में आसानी होगी।

- संवेदन तकनीक से प्राप्त आंकड़ों और सूचनाओं की वैधता के साथ उनकी अवस्थिति (लोकेशन) संबंधी विसंगतियों की पुख्ता पहचान और निगरानी की जा सकेगी। उदाहरण के लिए, जैसे ही कहीं पर कोई विसंगति होगी तो उसे तुरंत ही जाना जा सकेगा और अपराध, दुर्घटना या किसी आपदा की स्थिति में तत्काल प्रभावी उपाय किए जा सकेंगे।

- स्मार्ट शहरों में सूचनाओं पर अधिकतम नियंत्रण होगा और जरूरत के मुताबिक उसे कहीं और भेजा जा सकता है। उदाहरण के लिए अवस्थिति सूचना (लोकेशन इन्फॉर्मेशन) के जरिए किसी भवन में एयर कंडीशन तक को नियंत्रित किया जा सकेगा। इससे पर्यावरण को बेहतर बनाए रखने में सहायता होगी।

- स्थानीय आपदाओं को समझने में सक्षम मजबूत 'दूरस्थ बैकअप प्रणालियाँ शुरू की जाएंगी जो आंकड़ों के आधार पर सटीक स्थिति व जरूरी सूचना मुहैया कराएगी। ऐसा होने से उस आपदा से निपटने के लिए तुरंत व सहज सेवाएँ उपलब्ध हो सकेंगी।

निष्कर्ष – अंततः यही कहा जा सकता है कि स्मार्ट सिटी के लिए परंपरावादी सोच को छोड़कर यदि सरकार, नौकरशाही, आमजन, स्थानीय निकाय, कार्यान्वयन एजेंसियाँ और हितधारक इसके हर स्तर पर स्मार्ट नेतृत्व एवं दूरदृष्टि और निर्णायक कार्रवाई करने की क्षमता से कार्य करेंगे तो मिशन की सफलता निश्चित ही विकसित और नए भारत के लिए सुखद आयाम प्रस्तुत करेगी।

सबके लिए आवास - एक बेहतर शहर की परिकल्पना

संजय कुमार, प्रबंधक
भारतीय रिज़र्व बैंक

मकान सदियों से मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता रही है। भोजन और वस्त्र के बाद यदि उसकी कोई सबसे अहम जरूरत है तो वह मकान है। एक छत का सहारा उसे आश्रय और सुरक्षा का आभास कराता है। शहर में रहने वाले हरेक बेघर की यही हसरत होती है कि उसके पास अपना आशियाना हो, पर आर्थिक हालात उसके मंसूबों पर पानी फेर देते हैं। ऐसे ही बेघर लोगों के सपने साकार करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा 25 जून, 2015 को 'प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)' का शुभारंभ किया गया था और यह लक्ष्य रखा गया था कि वर्ष 2022 में जब भारत अपनी आजादी के 75 बरस पूरे कर रहा हो, उस समय तक सभी पात्र परिवारों के पास शहर में अपने मकान हों। भारत सरकार द्वारा इस अभियान का क्रियान्वयन राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय नोडल एजेंसियों को वित्तीय सहायता प्रदान करके किया जा रहा है। इस हेतु लगभग 1.12 करोड़ घरों की मांग है। लाभार्थियों को इस योजना का लाभ निम्नलिखित चार विकल्पों में से किसी एक के जरिए प्रदान करने की व्यवस्था है–

1. 'स्व–स्थाने' स्लम पुनर्विकास

इस योजना में मलिन–बस्तियों की भूमि का उपयोग करते हुए पक्के घर बनाने पर रु. 1.00 लाख की केंद्रीय सहायता प्रदान किए जाने की व्यवस्था है। इसका उद्देश्य पात्र स्लमवासियों को औपचारिक शहरी व्यवस्थापना में लाना है।

2. ऋण आधारित ब्याज सब्सिडी योजना

इस योजना के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस), निम्न आय वर्ग (एलआईजी) और मध्यम आय वर्ग (एमआईजी) के सदस्यों को आवास ऋण लेने पर ब्याज अनुदान की व्यवस्था है। ब्याज अनुदान की दर रु.6.00 लाख तक के ऋण पर 6.5%, रु. 6.00 –12.00 लाख तक के ऋण पर 4% और रु. 12.00–18.00 लाख तक के ऋण के लिए 3% है।

3. भागीदारी में किफायती आवास

यह एक आपूर्ति आधारित व्यवस्था है। इस योजना में राज्य/केंद्र शासित प्रदेश अपनी एजेंसियों (जैसे आवास विकास परिषद आदि) के द्वारा अथवा निजी क्षेत्र की भागीदारी के माध्यम से किफायती आवास परियोजनाएं तैयार कर सकते हैं। इन परियोजनाओं हेतु भारत सरकार द्वारा प्रति आवास रु.1.50 लाख की सहायता सभी ईडब्ल्यूएस आवासों के लिए उपलब्ध कराई जाती है।

4. लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास का निर्माण या विस्तार

इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की श्रेणी से संबद्ध पात्र परिवारों को नए आवासों के निर्माण अथवा मौजूदा आवास के सुधार के लिए रु.1.50 लाख की केंद्रीय सहायता प्रदान किए जाने की व्यवस्था है।

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी), जिसकी पंचलाइन है– "सबका सपना, घर हो अपना", शहर में सबके लिए आवास की परिकल्पना को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की वेबसाइट पर पड़ी अद्यतन जानकारी के अनुसार 1.12 करोड़ आवासों की मांग के सापेक्ष 31 अगस्त, 2020 तक 36.4 लाख आवासों के निर्माण का कार्य पूरा हो चुका था और 66.6 लाख आवास निर्माणाधीन थे, जो यह दर्शाता है कि हम उक्त परिकल्पना को साकार करने की ओर आहिस्ता–आहिस्ता अग्रसर हैं। इस योजना की अन्य महत्वपूर्ण खासियत यह है कि यह महिला सशक्तिकरण को भी बढ़ावा दे रही है क्योंकि इस योजना के तहत आवास का पूर्ण मालिकाना/ सह–मालिकाना परिवार की प्रधान महिला के नाम में होने की अनिवार्यता है।

अब जो मुख्य सवाल उठता है, वह यह है कि क्या सबके लिए आवास का शहर की बेहतरी से कोई ताल्लुक है, और यदि है तो इस बेहतरी में इनका योगदान किस रूप में है? किसी शहर को बेहतर बनाने में बिजली, पानी, सड़कें, परिवहन की उन्नत व्यवस्था, शिक्षा–स्वास्थ्य की सुविधाएं, चौड़े रास्ते, प्रदूषण का न्यून स्तर, अच्छी कानून व्यवस्था, साफ–सफाई जैसे तमाम कारकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पर, रिहायश का भी शहर को बेहतर बनाने में बड़ा योगदान होता है, और उसमें भी सुनियोजित आवास–व्यवस्था तो खूबसूरती में चार–चाँद लगा देती है। सुव्यवस्थित आवास आयोजना के संबंध में चण्डीगढ़, नोएडा, गुरुग्राम जैसे शहरों के उदाहरण हमारे सामने हैं।

जब हम बेहतर शहर के लिए सबके लिए आवास की बात करते हैं, तो हमारा मुख्य फोकस उन मलिन–बस्तियों और झुग्गी झोपड़ियों की ओर है, जो शहर की खूबसूरती को बट्टा लगाती हैं। इन बस्तियों/झोपड़ियों में रहने वाले लोग अत्यंत अस्वाथ्यकर दशाओं में रहते हैं। कम जगह में ज्यादा लोग रहते हैं। शौच के लिए या तो खुले में जाते हैं अथवा सामुदायिक शौचालयों का इस्तेमाल करते हैं। पानी–बिजली का पर्याप्त प्रबंध नहीं होता है। स्नान के लिए कोई बाथरूम नहीं होता, पुरुष खुले में, तो औरतें लाज बचाते हुए किसी ओट में स्नान करती हैं, जिसके कारण उनकी व्यक्तिगत स्वच्छता का स्तर भी निम्न रहता है। जहाँ पर बिछौना, वहीं पर रसोई और आस–पास गंदगी का आलम। ये सारे दृश्य किसी भी सुसंस्कृत देश और समाज के दामन पर धब्बा है। अतएव, माननीय प्रधानमंत्री की 2022 तक सबके लिए आवास की योजना न सिर्फ शहरों को बेहतर शक्ल देने की मुहिम है, अपितु एक मानवीय पहल भी है। मनुष्य होने के नाते हर किसी को स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण में रहने का अधिकार है। चूँकि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उपलब्ध कराए जाने वाले मकानों में बिजली, पानी के कनेक्शन, किचन, शौचालय आदि की व्यवस्था रहती है, अतएव, वे निवासियों को गरिमामयी तरीके से रहने का अवसर भी उपलब्ध कराते हैं।

सबके लिए आवास–योजना से केवल बेघर ही लाभांवित नहीं होंगे, अपितु इसका परोक्ष लाभ सभी शहरवासियों को मिलेगा। उनके आसपास का परिवेश साफ रहेगा,

बीमारियाँ (विशेषकर गंदगी से होने वाली बीमारियाँ, जैसे–हैजा, कॉलरा, मलेरिया आदि) घटेंगी, उनके घरों में झाड़ू–पोछा लगाने वाली अथवा किचन में काम के लिए आने वाली महिलाएं साफ–सुथरे परिवेश से आएंगी। शहर में अपराध घटेंगे, क्योंकि झुग्गी झोपडियाँ या अस्थायी आवास अक्सर अपराधियों की शरणस्थली बनते हैं। सबके लिए आवास की व्यवस्था होने से शहर की सूरत में आमूल–चूल परिवर्तन होगा, शहर रहने लायक बनेंगे और लोगों की आवासीय संपत्ति का मूल्य भी बढ़ेगा। स्थायी आवास होने से बाशिंदो की कार्यक्षमता भी बढ़ेगी, जो प्रायः अस्वास्थ्यकर माहौल में रहने के कारण बीमारी, अनिद्रा आदि के चलते क्षीण हो जाती है। जिस शहर में स्वस्थ और कार्यक्षम लोग रहेंगे, वह निश्चय ही हर मोर्चे पर बेहतरी की ओर अग्रसर होगा।

हालांकि, वर्ष 2022 तक सबके लिए आवास उपलब्ध करा पाना कोई आसान लक्ष्य नहीं है, विशेषकर तब जब अलग–अलग शहरों की भौगोलिक संरचना भिन्न–भिन्न हो। उदाहरण के लिए देश के सबसे अधिक आबादी वाला शहर मुम्बई, जो तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, में आवासीय जरूरत हेतु भूमि विस्तार की संभावनाएं अत्यंत ही सीमित हैं। ऐसे में इस शहर में सबके लिए आवास की व्यवस्था एक टेढ़ी खीर है। वर्ष 2022 तक इस लक्ष्य को हासिल करने में जो दूसरी सबसे बड़ी कठिनाई है, वह है, शहरों की ओर लोगों का सतत पलायन। यदि हम वर्ष 2015 में मिशन की शुरुआत के समय प्राक्कलित 1.12 करोड़ मकानों की मांग को वर्ष 2022 तक पूरा भी कर दें तो भी इस बीच शहर में तमाम नए बेघर और जुड़ चुके होंगे, क्योंकि शहरों की ओर पलायन की प्रक्रिया है ही, अंतहीन। ऐसे में सबके लिए आवास की परिकल्पना बार–बार अधूरी रहती नजर आएगी।

अतएव, शहर में सबके लिए आवास हो, इसके लिए हमें शहरों की ओर अनावश्यक पलायन रोकना होगा। यह पलायन किसी प्रशासनिक कार्रवाई या नाकेबंदी से नहीं, बल्कि पलायन के कारणों के निवारण के जरिए रोका जा सकता है। गौरतलब है कि भारत में शहरी आबादी दिनोंदिन बढ़ रही है और ग्रामीण आबादी घटती जा रही है। वर्ष 1901 में हमारी शहरी आबादी जहाँ 10.84% थी, वह वर्ष 1951 में 17.29%, वर्ष 2001 में 27.81% और वर्ष 2011 में 31.16% हो गई।

शहरी आबादी बढ़ने का एक प्रमुख कारण शहरों में रोजगार की अधिक संभावनाएं होना है। हर व्यक्ति के लिए अपना गाँव व समाज ही स्वर्ग होता है, कोई यूँ ही गाँव छोड़कर शहर नहीं जाता। पर आज के आर्थिक युग में जब अर्थ ही अस्तित्व का पैमाना है, ऐसे में हर कोई पैसा कमाने के खातिर शहर की ओर उन्मुख हो रहा है। हालांकि, पैसा गाँव में भी कमाया जा सकता है, किंतु मान–सम्मान, प्रतिष्ठा, शर्मिंदगी, जाति, बिरादरी जैसे कई कारक हैं, जिसके कारण वह अपने समाज में सब प्रकार के कार्य नहीं कर सकता। उदाहरण के लिए कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य वर्ण का व्यक्ति गाँव में किसी नीची जाति के यहाँ मजदूरी करने से झिझकता है। ना ही वह अपने गाँव के आसपास कोई निचले दर्जे का कारोबार, मजदूरी या रिक्शा आदि चलाना पसंद करेगा, क्योंकि इससे उसे बेइज्जती महसूस होती है। किंतु वही व्यक्ति शहर में आकर किसी भी जाति–वर्ण के व्यक्ति के यहाँ मजदूरी कर लेता है, रिक्शा चला लेता है, होटलों पर कप–प्लेटें साफ कर लेता है अथवा फल–सब्जियों का ठेला लगा लेता है। आखिर क्यों? क्योंकि वहाँ उसे जानने–पहचानने वाले नहीं होते। मनुष्य को सबसे अधिक शर्मिंदगी अपने ही समाज में लगती है। शहरों की ओर पलायन का दूसरा कारण यह है कि शहरों में उसकी अकुशल बीबी–बेटियों को भी झाड़ू, पोछा, बर्तन या कपड़े धोने अथवा खाना बनाने जैसे काम मिल जाते हैं। इससे परिवार की आमदनी बढ़ जाती है और एक कमाने वाला और कई खाने वाले के बनिस्पद कई कमाने वाले हो जाते हैं। इसके अलावा शहरों में विभिन्न प्रकार के कारोबार, उद्योग धंधे चलते हैं, जहाँ लोगों को आसानी से नौकरी मिल जाती है और गाँव के मुकाबले मजदूरी भी अधिक मिलती है। इसीलिए हर व्यक्ति शहर की ओर दौड़े चला आता है।

एक आम भारतीय अपनी संतानों को अपने से बेहतर देखना चाहता है। यही कारण है कि वह खुद तो किसी तरह गुजर–बसर कर लेता है, पर अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए शहर का रूख करता है। शिक्षा के अलावा स्वास्थ्य, विद्युत जैसी कई अन्य आधारभूत सुविधाएं भी लोगों को शहरों की ओर आकर्षित करती हैं, जिसके कारण शहरों पर जनसंख्या का दबाव बढ़ता जा रहा है। शहर में सबके लिए आवास सुनिश्चित हो सकें, इसके लिए विकेन्द्रीकरण को प्राथमिकता के आधार पर बढ़ावा दिए जाने की जरूरत है। अवसरों को शहरों में अथवा चुनिंदा शहरों में सीमित करने की बजाए दूर–दराज के गाँवों/क्षेत्रों में लोगों के दरवाजे तक पहुँचाना होगा। तभी शहरों की ओर अनावश्यक पलायन रुकेगा और सबके लिए आवास सुलभ होंगे तथा बेहतर शहर की परिकल्पना साकार होगी।

हालांकि, सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना(शहरी) नामक बहुदेशीय मिशन लांच किए पाँच वर्ष हो चुके हैं और इसके तहत पात्र लाभार्थियों को प्रतिवर्ष शहरों में या तो मकान उपलब्ध कराए जा रहे हैं अथवा मकान हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है, पर कोई भी मिशन अकेले सरकार के बूते सफल नहीं हो सकता। इसके लिए कारपोरेट घरानों, धनाढ्य व्यक्तियों और समाज को भी आगे आना होगा। एक ओर तो शहर में रहने वाले रईस लोग झुग्गी झोपड़ियों को देखकर चिढ़ते हैं और उन्हें शहर के माथे पर लगी कालिख मानते हैं, वहीं दूसरी ओर इन्हीं झोपड़ियों के वासिंदे उनके घर, दुकान, ऑफिस, गार्डन आदि में काम भी करते हैं और उन्हें इनकी सेवाओं की नितांत आवश्यकता भी रहती है। अतएव, यह उनका नैतिक कर्तव्य है कि वे ऐसे बेघर लोगों की मदद के लिए स्वेच्छा से आगे आएं ताकि उनके लिए भी शहर में एक छोटे से आशियाने का जुगाड़ हो सके। इसके लिए उन्हें 'हम बढ़ें, सब बढ़ें' वाली दृष्टि से विचार करना होगा।

किसी भी मिशन की कामयाबी उसके ईमानदारीपूर्ण क्रियान्वयन पर निर्भर करती है। योजनाओं के मुकम्मल क्रियान्वयन हेतु सरकार से जितनी अपेक्षा की जाती है, उतनी ही अपेक्षा लाभार्थी से भी है। ऐसे कई उदाहरण आए दिन देखने को मिलते हैं, जहाँ झुग्गी झोपड़ियों में रहने वालों ने उन्हें आबंटित आवास किराए पर उठा दिए हों और खुद पुराने परिवेश में रह रहे हों। यह कल्याणकारी सुविधाओं के दुरुपयोग का मामला है, जो दर्शाता है कतिपय लोग सरकार द्वारा मदद को अपना हक मान रहे हैं और मदद की आस में बार–बार लाइन में लग जाते हैं। लोगों को इस तरह की प्रवृत्ति से बचना होगा, तभी सबके लिए आवास योजना अपने उद्देश्य में सफल होगी और बेहतर शहर की परिकल्पना भी साकार होगी।

हरित आवास (ग्रीन हाउसिंग) - बढ़ते कदम

परवेश कुंडू, राजभाषा अधिकारी
बैंक ऑफ इंडिया

हरित आवास को परिभाषित करना बहुत जटिलतापूर्ण कार्य है क्योंकि इसमें विभिन्न पर्यावरण संबंधी एवं मानवीय जरूरतों को समझकर उन्हें पूरा करने के समाधानों को समाहित करते हुए घर के निर्माण की एक ऐसी परिकल्पना को मूर्त रूप देना होगा, जो न केवल मनुष्य के लिए सुविधाप्रद एवं हितकर हो अपितु पर्यावरण हितैषी भी हो। अतः एक अर्थ में हम कह सकते हैं कि हरित आवास, आवास निर्माण की वह व्यवस्था है जो पर्यावरण हितैषी होने के साथ–साथ हमारे लिए टिकाऊ एवं किफायती भी है।

पर्यावरण संबंधी समस्याओं के अध्ययन में यह उजागर हुआ है कि बढ़ते शहरीकरण एवं पक्के घरों के निर्माण में अत्यधिक वृद्धि होने से पर्यावरण को बहुत नुकसान हुआ है। फिर चाहे आवास जरूरतों के लिए कृषि एवं वन भूमि का अधिग्रहण हो, वृक्षों की कटाई हो या निर्माण हेतु आवश्यक सामग्री बनाने के लिए कार्बन डाई ऑक्साइड के उत्सर्जन में वृद्धि से पर्यावरण ह्रास की गति

में हो रही बढ़ोतरी हो। हरित आवास की परिकल्पना को साकार करने हेतु हमें उक्त सभी समस्याओं के समाधानों को समाहित करते हुए सस्ते, टिकाऊ एवं मानवीय सुविधाओं से युक्त घरों का निर्माण करने की विधि को अपनाना होगा। किसी कवि ने कहा भी है:

''शहर की चकाचौंध में रहूं और गांव का माहौल भी चाहिए,
ऊंची इमारत में हो आशियाना और वृक्षों की ठंडी छांव भी चाहिए''।

शहर में सुखद आशियाने के सपने बुनने वाले मध्यम वर्गीय व्यक्ति की भावनाओं को उजागर करती उपरोक्त पंक्तियों के सब्जबाग को केवल हरित आवास के जरिए ही हकीकत में बदला जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले तो आवास निर्माण में पर्यावरण के लिए नुकसानदायक अवयवों को पहचानकर उन्हें हटाना होगा, उदाहरण के लिए पिछले काफी समय से पक्के आवासों के निर्माण में हम जिस सामग्री का उपयोग करते आ रहे हैं वह प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली होती है। अब यदि हम पक्की ईंट को ही लें, तो एक ईंट के निर्माण में खनन,

मृदा शुद्धिकरण, सांचे में ढालना और ट्रांसपोर्ट करना आदि सभी प्रक्रियाओं के लिए लगभग दस मेगा जूल ऊर्जा खर्च होती है जो कि परंपरागत ऊर्जा के साधनों अर्थात् कोयला और डीजल से प्राप्त की जाती है। इसे किसी भी उत्पाद की अंतर्निहित ऊर्जा कहा जाता है जो इस उत्पाद के निर्माण से पर्यावरण को होने वाले नुकसान के बारे में बताती है। इसी प्रकार सीमेंट, रेत, बजरी आदि की अंतर्निहित ऊर्जा और कार्बन डाई–ऑक्साइड उत्सर्जन क्षमता बहुत अधिक होती है। जब तक इस प्रकार की घर निर्माण सामग्री का नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों के विकसित होने के उपरांत इनसे उत्पन्न होने वाली ऊर्जा या विद्युत के उपयोग से उत्पादन किया जाना संभव नहीं होता, तब तक ऐसी निर्माण सामग्रियों का विकल्प खोजना होगा ताकि हम कार्बन डाई ऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करके पर्यावरण हितैषी घरों का निर्माण कर सकें।

हरित आवास के संदर्भ में सबसे मुख्य पहल परंपरागत निर्माण सामग्री की जगह पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचाने वाली सामग्री जैसे कि जीएफआरजी तकनीक के इस्तेमाल से विकसित पैनल (दीवारें) जो हल्की होने के साथ–साथ मजबूत एवं टिकाऊ भी होती हैं। जीएफआरजी तकनीक से तात्पर्य 'ग्लास फाइबर रिइंफोर्सड जिप्सम' से है इस विधि से बने पैनल को कोच पोजिशन का उपयोग करके बनाया जाता है। इन पैनलों के उपयोग द्वारा सीमेंट का प्रयोग कम हो जाता है जिससे कार्बन डाई ऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करने में सहायता मिलती है। जीएफआरजी पैनल के निर्माण में प्रयुक्त होने वाली सामग्री उर्वरक उद्योग में बचने

वाला एक अपशिष्ट पदार्थ है। अतः यह न केवल किफायती एवं टिकाऊ घर निर्माण सामग्री है बल्कि एक व्यर्थ अपशिष्ट का सदुपयोग भी है जो पर्यावरण को दोहरे नुकसान से बचाता है। यह आजकल भारत में प्रचलन में भी है। इसके प्रयोग द्वारा निर्माण की कुल लागत में बीस से तीस प्रतिशत तक कमी लाई जा सकती है। साथ ही यह कार्बन फुटप्रिंट को भी कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है।

हरित आवास का निर्माण करते समय निर्माण सामग्री के रूप में उपरोक्त विकल्प के अतिरिक्त स्थानीय विकल्पों का चयन करना सबसे उपयुक्त तरीका होता है इससे न केवल सामग्री के स्थानांतरण में खर्च होने वाली ऊर्जा बचत होती है बल्कि स्थानीय विकल्प अधिक टिकाऊ एवं वातावरण हितैषी भी होते हैं। स्थानीय निर्माण सामग्री के उपयोग से वहां की स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी गति मिलती है जो मौजूदा समय में 'वोकल फॉर लोकल' की भारतीय नीति के हक में है। हमारे देश में कई स्थानों पर बांस या अन्य लकड़ी की अत्यधिक पैदावार होती है जिसे वहां पर सरिये या अन्य घर निर्माण सामग्री के विकल्प रूप में, ठीक इसी तरफ पक्की ईंटों के स्थान पर फ्लाइ ऐश से निर्मित ईंटों के उपयोग से कार्बन फुटप्रिंट को कम किया जा सकता है।

हरित आवास में निर्माण के साथ–साथ घरों में उपयोग में आने वाली सुविधाओं में भी पर्यावरण के अनुकूल तकनीक का प्रयोग कर सकते हैं जैसे सोलर पैनल लगाकर सौर ऊर्जा से बिजली प्राप्त करके विभिन्न विद्युत उपकरणों को चलाया जाए, सोलर वॉटर हीटर से पानी गरम किया जाए, वर्षा के जल को हार्वेस्ट करके

विभिन्न प्रयोजनों जैसे बगीचे को सींचने आदि के लिए उपयोग करके हम अपने घर की अधिकतर जरूरतों को नवीकरणीय ऊर्जा के माध्यम से पूरा करते हुए कार्बन उत्सर्जन को कम कर सकते हैं। घर के शीशों पर तापरोधी एवं प्रतिबिंबित लेप लगाकर गर्मियों एवं सर्दियों के मौसम में सूर्य की ऊष्मा को नियंत्रित करके एसी और हीटर के विकल्प स्वरूप प्रयोग करके पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली को अपना सकते हैं।

घरों के लिए लकड़ी का ढांचा बनाने की बजाए लोहे का ढांचा बनाएं क्योंकि लकड़ी के ढांचे निर्माण करने में वृक्ष काटने से जो पर्यावरण का नुकसान होता है वह लोहे के मुकाबले अधिक है। आवास के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका घर के डिजाइन और परिचालन की है। सूर्य की ओर मुख वाला साधारण सा घर जिसमें बड़ी–बड़ी खिड़कियां और रोशनदान हो वह घर में रोशनी और शुद्ध हवा बनाए रखने के लिए सबसे अच्छा उपाय है, जिसमें अलग से कोई उपकरण लगाए बिना घर को मौसम और पर्यावरण के अनुकूल बनाया जा सकता है।

अंततः हरित आवास का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है – घर की छत, बालकनी या अन्य खाली स्थान को बगीचे में परिवर्तित करना। घर में इन सभी स्थानों को गमले, कनस्तर या खाली डिब्बे में घरेलू उपयोग के पौधे जैसे तुलसी, करीपत्ता, पुदीना, धनिया, मिर्ची आदि उगाकर एक हरियाले भरे माहौल को तैयार किया जा सकता है। इससे न केवल घर की छोटी–मोटी जरूरतें पूरी होंगी बल्कि यह घर के तापमान को नियंत्रित रखने में, हवा को शुद्ध करने में तथा घर की सुंदरता बढ़ाने में भी अहम भूमिका अदा करेगा। आजकल तो जलकृषि (हाइड्रोपोनिक्स), वायुकृषि (ऐयरोपोनिक्स) आदि विधियों के माध्यम से आसानी से घर की दीवारों को भी हरियाली से भरपूर बनाया जा सकता है। यदि छत, बालकनी और दीवारों को इस प्रकार पौधों से ही हरित बना दिया जाए तो हरित आवास के स्वप्न को संजीदा बनाने के लिए घर पर हरा रंग करवाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी और भावी पीढ़ी को घर में लगी तस्वीरों में हरियाली दिखाने की बजाए पूरा घर ही एक सुंदर हरी–भरी जीती–जागती पेंटिंग बन जाएगा।

"मकान को संवारकर, एक सुंदर–सा आशियाना हमें बनाना है
पौधे उगाकर घरों में हमें, जीवन की फसल को लहलहाना है"

निष्कर्ष के रूप में यह कहना गलत न होगा कि पर्यावरण के नुकसान से मकान भले ही चमकदार बन जाएं लेकिन वो केवल मोम के उस पुतले की तरह होंगे जिनका शरीर तो सुंदर और सुडौल है लेकिन आत्मा की कमी के कारण उनमें सजीवता नहीं है। अतः हरित आवास, मकान रूपी शरीर को वह संजीदगी और आत्मा प्रदान करता है जो उसे एक जीते जागते आशियाने में परिवर्तित कर देती है। भले ही हरित आवास विकसित करने वाले लोगों की संख्या अभी कम है लेकिन भावी पीढ़ी पर्यावरण को लेकर बहुत सजग है और इस प्रकार के नवोन्मेषी उपायों को अपना रही है। हरित आवास एक सतत पोषणीय विकास की दिशा में दुनिया के बढ़ते कदम हैं जो धीरे–धीरे गति पकड़ते हुए एक लंबी दौड़ में परिवर्तित होने जा रहे हैं। यदि हरित आवास का प्रचार प्रसार हो, तो वो दिन दूर नहीं जब आसमान से दिखने वाले शहर भी वन की तरह ही नज़र आएंगे तथा मनुष्य प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाते हुए स्वस्थ एवं सुखी जीवन जीएगा। अंत में हातिम अली मेहर के निम्नलिखित शब्द इस निबंध को सार देते हुए समाप्त करते हैं।

"गुल बांग हो गुलों की, ऐसा हमारा तराना हो।
हरियाली भरे चमन में, कभी हमारा आशियाना हो।"

स्मार्ट सिटी : भविष्य के शहर

जया मिश्रा, मुख्य प्रबंधक एवं संकाय
बैंक ऑफ बड़ौदा

शहर और गांव की तुलना जब भी की जाती है तब गांवों को हमेशा ही महिमामंडित किया जाता है और शहरों को कंक्रीट के जंगल, शहरी समाज को भावना विहीन समाज आदि की संज्ञा दी जाती है। एक कवि ने तो यहां तक कहा है कि

रहने का मजा तो गांव में है, शहर कहां पेड़ की छांव में है।
शहर में ज़िन्दगी बदल सी गई है, इक कमरे में सिमट सी गई है।

यदि हम भावनाओं से ऊपर उठ कर देखें और राष्ट्र के विकास की बात करें तो हम पाते हैं कि शहर, भारत सहित प्रत्येक राष्ट्र की अर्थव्यवस्था के लिए विकास के ईंजन हैं। भारत की लगभग 31% जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में रहती है और यह भारत के सकल घरेलू उत्पाद (2011 की जनगणना) में 63% का सहयोग करती है। शहरीकरण में वृद्धि होने से 2030 तक, इस क्षेत्र में रहने वालों की संख्या कुल जनसंख्या की 40% होने की संभावना है जो भारत के कुल सकल घरेलू उत्पाद में 75% का सहयोग करेगी जिसके लिए शहरों में भौतिक, संस्थानिक, सामाजिक और आर्थिक अवसंरचना का व्यापक विकास अपेक्षित है। ये सभी, विकास और वृद्धि के सूचक की गति को सही दिशा देने के लिए, शहरों की ओर लोगों और निवेश को आकर्षित करने और उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए अति महत्वपूर्ण है। इसी परिपेक्ष्य में स्मार्ट सिटी की अवधारणा का जन्म हुआ है।

यद्यपि स्मार्ट सिटी की कोई सर्वमान्य परिभाषा नहीं है। अलग–अलग लोगों के लिए, शहर–दर–शहर, देश–दर–देश इसका आशय भिन्न–भिन्न है। फिर भी भारत में वर्तमान संदर्भ में एक स्मार्ट सिटी से तात्पर्य उस शहर में नगरीय सेवाओं की गुणवत्ता एवं निष्पादन के उन्नयन, बेहतर बुनियादी सेवाओं एवं अवसंरचना की उपलब्धता, स्वच्छ एवं संपोषणीय पर्यावरण तथा सरकारी सेवाओं, परिवहन एवं यातायात प्रबंधन, ऊर्जा, स्वास्थ्य, जलापूर्ति, अपशिष्ट प्रबंधन और नागरिकों के लिए वहनीय आवास, सुरक्षा आदि हेतु सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकियों सहित स्मार्ट संसाधनों के व्यापक प्रयोग से है। स्मार्ट सिटी संकल्पना की शुरूआत 2008 में आर्थिक मंदी के समय हुई। भारत के संदर्भ में यदि देखें तो शहर में रहने वाले किसी व्यक्ति की कल्पना में स्मार्ट सिटी की छवि में अवसंरचना और सेवाओं की एक इच्छा सूची निहित होती है जो उसके आकांक्षाओं के स्तर को व्यक्त करती है। स्मार्ट सिटी उन विचारों की संकल्पना करता है जिसके मुताबिक एक शहर सुचारू रूप से चलता है और उसकी हर गतिविधि अपने नियत तरीके से होती है। ये वैसे शहर हैं जहां आधारभूत सुविधाएं सर्वसुलभ होती है, सक्षमता पूर्वक सेवाओं को पहुंचाया जाता है, स्वच्छता होती है, बढ़िया परिवहन प्रणाली होती है, हरियाली होती है, जलाशय होते हैं, हरित मकान, हरित ऊर्जा, ई–प्रशासन, डिजिटल तकनीक का प्रयोग, सक्षम सूचना और संचार के तंत्र आदि होते हैं। नागरिकों की आकांक्षाओं और आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शहरी नियोजक का समस्त शहरी परिस्थिति को आदर्श रूप में विकसित करने का लक्ष्य होता है जो व्यापक विकास के चार स्तंभों – संस्थानिक, भौतिक, सामाजिक और आर्थिक अवसंरचना द्वारा प्रदर्शित होते हैं।

यदि हम विकसित देशों पर दृष्टिपात करें तो वहां के शहर लगभग सभी सुविधाओं से लैस हैं, वहां लोगों को एक बेहतर जीवन प्राप्त है और वे वहां की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। भारत में भी शहर, भारत की सकल घरेलू उत्पाद में 63% का सहयोग कर रहे हैं जिसके 2030 तक बढ़कर 75% होने की संभावना है लेकिन अभी भी हमारे शहरों में कुछ सुविधाओं का अभाव है और यदि वे उपलबध भी हैं तो शहर के कुछ वर्गों तक सीमित हैं। अभी तक हम शहरों के प्रत्येक व्यक्ति की मौलिक जरूरतें जैसे रोटी, कपड़ा और मकान भी पूरी नहीं कर पाये हैं। भारत के ज्यादातर शहरों का मास्टर प्लान नहीं बना है और इसीलिए वहां अनियोजित शहरीकरण हो रहा है जो ज्यादा चिन्ता का विषय है। यदि हम मेट्रो शहरों से परे हट कर छोटे शहरों की बात करें तो वर्तमान में भारत के शहरी क्षेत्र कई समस्याओं का सामना कर रहे हैं जैसे कि पर्याप्त बुनियादी ढांचे और बुनियादी सेवाओं का अभाव, गरीबी, झुग्गियां, अपर्याप्त आवास, यातायात के साधनों की अपर्याप्तता, भीड़ और प्रदूषण आदि। इनमें जलवायु परिवर्तन की समस्याओं और बढ़ती प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं को भी जोड़ा जा सकता है। शहरों की इन समस्याओं के लिए स्मार्ट समाधान और सुशासन की आवश्यकता है।

स्मार्ट सिटी को लोगों के सपनों के शहर की संज्ञा भी दी जा सकती है जहां जरूरत की सभी सुविधाएं उपलब्ध हो और वे सुविधाएं सर्वसुलभ हों। एक स्मार्ट सिटी के प्रमुख अवसंरचना तत्वों में निम्नलिखित सुविधाएं सभी के लिए उपलब्ध होनी चाहिए।

- पर्याप्त जलापूर्ति
- सुनिश्चित विद्युत आपूर्ति
- ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सहित सफाई
- सक्षम शहरी गतिशीलता और सार्वजनिक परिवहन
- गरीबों के लिए किफायती आवास
- सक्षम आईटी कनेक्टिविटी और डिजिटेलाइजेशन
- सुशासन विशेषतः ई गवर्नेंस और नागरिक भागीदारी
- सुस्थिर पर्यावरण
- सुरक्षा
- स्वास्थ्य और शिक्षा

यदि हम कुछ मेट्रो शहरों को छोड़ दें तो अभी भी बहुत सारी ऐसी आधारभूत सुविधाएं हैं जो अन्य शहरों में उपलब्ध नहीं है। इसी संदर्भ में भारत सरकार द्वारा वर्ष 2015 में स्मार्ट सिटी मिशन की शुरूआत की गई जिसके अंतर्गत 100 शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने का लक्ष्य रखा गया है।

लोगों के सपनों के शहर, स्मार्ट सिटी की कुछ बुनियादी विशेषाएं हैं जो प्रत्येक व्यक्ति की अपेक्षा है।

गुणवत्ता भरा जीवन : हर व्यक्ति अपने लिए गुणवत्ता भरे जीवन की अपेक्षा रखता है। जिसमें आधारभूत सुविधाएं, सुरक्षा, शिक्षा, परिवहन, व चिकित्सा सुविधाएं आदि शामिल हैं। हमारा देश निःसन्देह विकासशील से विकसित होने की तरफ अग्रसर है और हम पांच ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था होने का लक्ष्य रखते हैं लेकिन अभी भी यदि जीवन की गुणवत्ता की बात करें तो यह हर किसी को उपलब्ध नहीं है। अभी भी जनसंख्या का एक भारी प्रतिशत भूखा सोता है और शिक्षा, चिकित्सा व परिवहन सुविधाएं हर किसी को मयस्सर नहीं हैं। 2014 के आंकड़ों के अनुसार शहरों में केवल 83.7% पुरुष और 74.8% महिलाएं ही शिक्षित हैं। गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधा भी सब को उपलब्ध नहीं है। निजी अस्पतालों और पांच सितारा होटलों में कोई फर्क नहीं रह गया है और इन निजी अस्पतालों के बारे में तो गरीब और निम्न मध्यम वर्गीय लोग सोच भी नहीं सकते। कमोबेश यही स्थिति निजी विद्यालयों की भी है जिनकी भारी भरकम फीस ने इनके दरवाजे शहरी जनसंख्या के अधिकांश प्रतिशत के लिए बंद कर रखे हैं। सड़कों पर भारी ट्रैफिक और घंटों का जाम लोगों का दम निकाल देता है और इस भयावह स्थिति को देखते हुए ऐसा लगता है कि स्मार्ट सिटी की संकल्पना एक संजीवनी की तरह है। स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत इन सभी सुविधाओं को सर्व सुलभ बनाने का प्रयास किया जाएगा। मनोरंजन की सुविधाओं के बगैर कभी भी एक स्वस्थ्य जीवन नहीं जिया जा सकता। स्मार्ट सिटी की संकल्पना में यह सुविधाएं भी शामिल हैं। हर व्यक्ति अपने लिए एक अच्छे घर की कल्पना करता है जो उसके सपनों का घर होता है जो हर व्यक्ति की मौलिक आवश्यकता भी है। एक अच्छा साफ सुथरा घर अभी भी शहर के हर परिवार को उपलब्ध नहीं है। इसके लिए भी स्मार्ट सिटी मिशन में प्रावधान किया गया है और आवास संबंधित अन्य कई योजनाओं को इस मिशन से जोड़ा गया है।

सबको उपयुक्त रोजगार : अच्छे तरीके से जीवनयापन करने के लिए हर व्यक्ति को धन की आवश्यकता होती है और यह उसकी योग्यता के अनुसार उसे रोजगार उपलब्ध कराकर ही संभव है। भारत में यद्यपि बेरोज़गारी की समस्या गांवों में ज्यादा है लेकिन शहर भी इससे अछूते नहीं हैं। शहरों में भी बेरोजगार लोगों की एक लंबी फौज है। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनके पास रोजगार तो है लेकिन वह उनके योग्यता के अनुरूप नहीं है। स्मार्ट सिटी में निवेश को आकर्षित करने के लिए बड़ी–बड़ी कंपनियों को वहां उद्योग लगाने के लिए विभिन्न सुविधाएं और सहूलियतें उपलब्ध करायी जाएंगी। उद्योगों को टैक्स में छूट दी जाएगी। जिससे बड़े–बड़े उद्योग स्मार्ट सिटी की तरफ आकर्षित होंगे और ऐसा होने से उस शहर में रोजगार के अवसर पैदा होंगे और लोगों को रोजगार की तलाश में शहर से दूर किसी और बड़े शहर में नहीं जाना पड़ेगा।

सक्षम आईटी कनेक्टिविटी और डिजिटेलाइजेशन : आज जब हम कैशलेस इकॉनामी की तरफ अग्रसर हैं और डिजिटेलाइजेशन के क्षेत्र में वहां तक पहुंच चुके हैं जहां एक सब्जी बेचने वाला भी पैसे लेने के लिए पेटीएम का उपयोग कर रहा है सक्षम आईटी कनेक्टिविटी का महत्व अत्यधिक बढ़ जाता है। सक्षम कनेक्टिविटी, डिजिटेलाइजेशन के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि शरीर के लिए आत्मा। स्मार्ट सिटी में सक्षम आईटी कनेक्टिविटी की भी उपलब्धता होगी। 100 फीसदी घरों तक वाईफाई कनेक्टिविटी का प्रावधान किया गया है और वाईफाई की गति 100 एमबीपीसी निश्चित की गई है जिससे विभिन्न क्षेत्रों में डिजिटेलाइजेशन को बढ़ावा दिया जा सकेगा।

आपदा और जोखिम प्रबंधन : अक्सर ही कई तरह की आपदाएं शहरों को चोटिल करती रहती हैं और जैसा कि जलवायु परिवर्तन को लेकर आशंकाएं हैं, इसमें बढ़ोत्तरी ही होगी। इसीलिए स्मार्ट सिटी की संकल्पना में आपदा प्रबंधन को लेकर पहले से तैयार रहने की बात की गई है। समार्ट सिटी की योजना बनाते समय इस बिन्दु का ध्यान रखा जाएगा।

सुशासन और नागरिक भागीदारी : किसी शहर को बढ़िया तरीके से प्रबंधित करने के लिए सुशासन एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। विकसित और विकासशील दुनिया का मूल अंतर सिर्फ तकनीक नहीं है, बल्कि सुशासन है। नियम, विनियम और उनका क्रियान्वयन इस बात में अहम भूमिका निभाते हैं कि कोई शहर कैसे काम करता है। स्मार्ट सिटी में पारदर्शी और जिम्मेदार सरकार की संकल्पना की गई है जिससे सुशासन को सुनिश्चित किया जा सके। किसी भी शहर के कामयाब प्रबंधन में नागरिकों की भूमिका भी केन्द्रीय होती है। स्मार्ट सिटी में प्रशासन से यह अपेक्षा की गई है कि हरेक क्षेत्र में नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के उपाय किए जाएं। स्मार्ट सिटी में ऐसे प्रशासनिक ढांचे होंगे जो नागरिकों की भागीदारी को बढ़ावा दे सके।

भारत में क्षेत्र आधारित स्मार्ट सिटी विकास के तीन मॉडल अपनाए गए हैं :

पुनः संयोजन : इसके अंतर्गत नागरिकों के परामर्श से स्मार्ट सिटी के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए योजना बनाकर 500 एकड़ से अधिक के वर्तमान निर्मित क्षेत्र का विकास किया जाएगा जिससे वर्तमान क्षेत्र को अधिक कार्यक्षम और रहने योग्य बनाया जा सके।

पुनर्विकास : इसके अंतर्गत शहरी स्थानीय निकायों द्वारा नागरिकों के परामर्श से पहचान किए गए 50 एकड़ से अधिक के क्षेत्र में वर्तमान निर्मित वातावरण का बड़े पैमाने पर प्रतिस्थापना किया जाएगा।

हरित क्षेत्र : हरित क्षेत्र विकास में नवीकृत योजना, योजना वित्तपोषण और लैंड पूलिंग का प्रयोग करते हुए पूर्व में 250 एकड़ से अधिक खाली पड़े क्षेत्र में स्मार्ट समाधानों का उपयोग कर हरित क्षेत्र विकसित किया जाएगा और साथ ही, विशेषकर गरीबों के लिए, किफायती आवास का प्रावधान भी किया जाएगा।

स्मार्ट सिटी की चुनौतियां : स्मार्ट सिटी की सफलता के लिए नागरिकों की सक्रिय भागीदारी अपेक्षित होती है जो स्वयं में बहुत बड़ी चुनौती है। स्मार्ट सिटी संकल्पना में इसकी विशेष आवश्यकता है कि प्रदत्त सुविधाएं नागरिकों के लिए वहनीय हों। ऐसा न हो कि सुविधाओं के एवज में स्थानीय निकायों द्वारा करों को इतना बढ़ा दिया जाए या कुछ नए कर इस तरह थोप दिए जाएं कि आम नागरिकों की कमर ही टूट जाए और स्मार्ट सिटी उनके लिए एक भयावह अनुभूति बन कर रह जाए।

निष्कर्ष : सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से 100 शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के लिए चयनित किया गया है और इस तरह से भारत में भी शहरी क्रांति का सूत्रपात हो चुका है। इससे आर्थिक विकास को गति मिलेगी और शहरों के जीवन स्तर में सुधार होगा। स्मार्ट सिटी का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों को आधुनिक, कुशल, और सतत बनाने के साथ–साथ, रहने और कार्य करने के लिए सर्वाधिक अनुकूल बनाना है। यद्यपि स्मार्ट सिटी बनाने की प्रक्रिया अभी अपने आरंभिक चरण में है और इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि इसे कितने प्रभावी ढंग से कार्यान्वित किया जाता है।

भविष्य के शहरों की जरूरतें एवं चुनौतियाँ

अपूर्वा सिंह, प्रबंधक (राभा)
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

फारसी से हिन्दी भाषा में आया शब्द 'शहर' आमतौर पर स्थायी मानव बस्ती को कहा जाता है। शहर में आवास, परिवहन, स्वच्छता भूमि उपयोग और संचार के लिए निर्मित किया गया एक व्यापक प्रणाली अहम भूमिका निभाती है। संस्कृत भाषा का 'नगर' शब्द भी शहर के लिए प्रयुक्त किया जाता रहा है। शहरों की चकाचौंध या ग्रामीण क्षेत्रों के लोगो की मूलभूत जरूरतों की पूर्ति का प्रश्न, वजह चाहे जो भी रहा हो इसने 'शहरीकरण' के अस्तित्व को लाने में अहम भूमिका निभाई है।

शहरी क्षेत्रों का भौतिक विस्तार (क्षेत्रफल, जनसंख्या, आदि के संदर्भ में) ही शहरीकरण कहलाता है। अगर संयुक्त राष्ट्र संघ की परिभाषा की बात करें तो उसके अनुसार 'ग्रामीण क्षेत्रों के लोगो का शहरों में जाकर रहना और काम करना ही 'शहरीकरण' है। इसी शहरीकरण ने भविष्य के शहरों की जरूरते एवं चुनौतियों के समक्ष एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है। इन्ही जरूरतों और चुनौतियों पर हम विस्तार से दृष्टिपात करेंगे।

एक घनी आबादी वाले देश के समक्ष शहरों की जरूरतें एवं उनको पूर्ण करने की चुनौतियाँ भी बड़ी होती है। आज एक ओर जहां हम 'स्मार्ट सिटी' की तरफ बढ़ चले हैं वहीं कई छोटी–छोटी मूलभूत आवश्यकताएँ हमारे समक्ष विकराल समस्या के रूप में प्रस्तुत होती हैं। एक ग्राम प्रधान देश में शहरीकरण नए युगबोध की तरह उत्पन्न हुआ जो अनेक तरह की चुनौतियों को भी अपने साथ लाने पर यह कहना गलत नहीं होगा कि आज भारत कई विकसित शहरों को खुद में समेटे हुये है। गाँव से शहर की ओर के इस यात्रा में भविष्य के शहरों के समक्ष निम्न जरूरतें पनपती है, जो कि अपने आप में किसी चुनौती से कम नहीं:

1. ज्यादा स्मार्ट सिटी
2. आवास
3. त्री संरक्षण
4. स्वास्थ्य सेवा
5. सुचारु परिवहन
6. स्लम बस्तियाँ
7. संसाधन
8. प्रौद्दोगिकी

ज्यादा स्मार्ट सिटी: स्मार्ट शहर अर्थात कि तमाम तरह की सुख सुविधाओं से लैस शहर। स्मार्ट शहरों की चमक और ललक लोगों के भीतर सहज ही द्रष्टव्य है, उदाहरणतः बनारस जैसे सांस्कृतिक और धार्मिक शहर का नाम 'स्मार्ट सिटी' योजना के अंतर्गत आते ही लोगो में वहाँ घर बनाने और लेने की होड़ मच गयी प्रतिफलन ये हुआ कि हर मुहल्ले आदि में जमीनों के दाम आसमान छू गए। स्मार्ट सिटी के निर्माण में सड़कों को चौड़ा करना एक अहम कार्य होता है जिसके लिए सरकार द्वारा आवश्यकता पड़ने पर लोगों की निजी सम्पत्तियों को भी लिया जाता है जिसके एवज में नियत मूल्य भी संपत्ति के मालिक को प्रदान की जाती हैं, ऐसे में ये बढ़ते मूल्य सरकार के समक्ष किसी चुनौती से कम नहीं होंगे।

यदि सर्वेक्षण की माने तो 2050 तक दुनियाँ की 10 अरब आबादी के आधे से ज्यादा लोग सिर्फ 10 देशों में रह रहें होंगे। जैसे–जैसे गांवों की आबादी शहरों की ओर पलायन करेगी नए रोजगार पैदा करने और शहरी सेवाओं को बनाएँ रखने का दबाव और बढ़ेगा।

आवास: शहरों की बढ़ती जनसंख्या आवास का विकराल प्रश्न लाती है। भविष्य के शहरों के लिए आवास को सबसे ज्यादा तवज्जो दिये जाने की जरूरत है। सीमित आवास प्रणाली में असीमित जनसंख्या का समंजन करना एक वृहद चुनौती रहेगी।

यद्यपि कि सरकार की आवास योजनाओं ने एक हद तक इसको पाटने का प्रयास किया है।

प्रकृति संरक्षणः शहरों के विस्तार ने मुख्य रूप से प्रकृति के संतुलन को प्रभावित किया है। कटते जंगल हो, प्रदूषित होती नदियां अथवा प्रदूषित होता वायुमंडल। कारखानों और वाहनों से विसर्जित होने वाले महीन धूलकणों ने हमारी हवा को, प्लास्टिक के छोटे–छोटे टुकड़ों ने महासागरों को भर दिया है। यह कतई झूठलाया नहीं जा सकता कि भविष्य के शहरों के लिए प्रकृति संरक्षण जरूरत भी होगी और चुनौती भी...

स्वास्थ्य सेवाः एक उत्कृष्ट स्वास्थ्य प्रणाली की जरूरत भविष्य के शहरों की मांग है। स्वास्थ्य प्रणाली का नियंत्रित और व्यवस्थित होना कितनी बड़ी चुनौती होगी इसके साक्ष्य हम सभी इस 'कोरोना काल' में हों चुके हैं। अरब आबादी वाले इस देश पर कोरोना महामारी के कारण अचानक से सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं पर अत्यधिक बोझ पड़ा है, अस्पतालों की कमी, मरीजों के वार्ड और बिस्तर की कमी, स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और पहुँच की दृष्टि से भारत को 195 देशों की सूची में 145 वीं रैंकिंग हासिल है। ऐसे में भविष्य के शहरों की स्वास्थ्य संबंधी जरूरतें आज से 10 गुना अधिक होंगी। यह चुनौती सरकार के समक्ष वर्तमान में ही प्रश्नचिन्ह लगाती है। जिसके लिए भविष्य के शहरों की प्रणाली में अहम भूमिका होगी।

सुचारु परिवहनः मैट्रो सिटी वाले देश के शहरों के समक्ष परिवहन व्यवस्था एक कष्टदायी प्रवाद के समान है। भारत के भावी मोबिलिटी को लेकर चर्चा अहम है। यद्यपि कि 2025 तक इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या 4 से 7 करोड़ तक पहुँचने का अनुमान है। परंतु हमें ई–मोबिलिटी की ओर अग्रसर होने से पूर्व उसके अनुरूप नीति–नियामक माहौल बनाने की आवश्यकता है। आकड़ों की माने तो 2050 तक शहरी इलाकों में 18.30 करोड़ और परिवार के प्रवास की संभावना है। जो भारत के 53 बहु आबादी वाले शहरों के समक्ष सुचारु और सुरक्षित परिवहन की चुनौती भी लाएँगे।

स्लम बस्तियांः देश के सभी बड़े शहरों और महानगरों में बड़ी संख्या में स्लम बस्तियाँ बन गई है। इनमें रहने वाले लोग शहरी जनसंख्या से संबन्धित उच्च व मध्य वर्ग की अनेक आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, परंतु वे स्वयं न केवल गरीबी के शिकार है बल्कि बुनियादी सुविधाओं से भी वंचित है। ऐसे में इनका उन्मूलन भविष्य के शहरों की जरूरत ना सही पर चुनौती की सूची में अवश्य परिलक्षित होता है।

संसाधनः शहरों में पानी, भोजन और ऊर्जा जैसे कई संसाधनो की आवश्यकता होती है। शहरी क्षेत्रों में उपलब्ध जल स्त्रोतों, कृषि भूमि और ऊर्जा की मांग को बढ़ाता है। भविष्य के शहरों की आबादी को ये संसाधन प्रदान करने के लिए निश्चय ही संघर्ष करना पड़ेगा। इन बुनियादी आवश्यकताओं के इतर बेतरतीब वृद्धि शहरों के भीतर हरित स्थानों की कमी को देखेगी। ताजा और साफ पानी दुर्लभ प्राय होगा। खाद्य पदार्थों की कीमतों में भी बढ़त द्रष्टव्य होगा प्रतिफलन स्वरूप गरीब व्यक्तियों का शहर में रहना किसी चुनौती से कम नहीं होगा।

प्रौद्योगिकीः भविष्य के शहरों के विकास एवं उनके सुचारु संचालन के लिए प्रौद्योगिकी का अतिरिक्त प्रयोग अपेक्षित होगा। यथा सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना हो या पारिस्थितिक संतुलन के लिए कृत्रिम उपजाऊ भूमि की आवश्यकता हो या फिर यातायात के लिए ई–मोबिलिटी की ओर अग्रेषित होना ये प्रौद्योगिकी संपन्नता भविष्य के शहरों के जरूरतों की भूमिका में ही निहित होगी, जिसका क्रियान्वयन चुनौतियों से भरा पड़ा है।

अंततः अगर हम इन तमाम जरूरत बनाम चुनौतियों पर कार्रवाई करते हैं तो निश्चित तौर पर भविष्य के शहरों की परिकल्पना और सुदृढ़ होगी। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने जोर देकर कहा था कि भारत एक ग्रामीण सभ्यता के लिए ही बना है, बहरहाल आज गांवों से शहरों की ओर तेजी से बढ़ते कदमों ने भारत में और भविष्य के शहरों में आपार संभावनाएं देखी है। वैसे भी जैसे फारसी से आए इस शहर शब्द को हिन्दी नें खुद में समेट लिया है वैसे ही हिंदुस्तान में भविष्य के शहर भी तमाम प्रतिकूलताओं के बाद भी और सीमाओं के बाद भी अपनी संभावनाओं को प्रदर्शित करते हुये इन चुनौतियों को समेटने का काफिला अवश्य बनाएँगे।

हरित आवास (ग्रीन हाउसिंग) - बढ़ते कदम

अनिल कुमार, मुख्य प्रबंधक शिक्षण प्रमुख
बैंक ऑफ बड़ौदा

पर्यावरण को हम बचाएं, हरियाली को घर में लाएं।
पेड़ पौधे हम लगाएं, जीवन में सुख चैन पाएं।।

पृथ्वी पर मानव की उत्पत्ति के समय से ही उसके विकास के लिए भोजन और आवास उसकी प्राथमिकताओं में प्रमुख रहे हैं। मुंह में निवाला और सर पर छत प्रत्येक व्यक्ति का सपना होता है। इसके साथ में साफ–सफाई, सड़कें, बिजली, पानी अन्य इलाकों से संपर्क, आपात स्थितियों के लिए सुविधाएं आदि हैं या नहीं, यह भी देखना जरूरी होता है। इस कारण बुनियादी ढांचे के विकास को आम आदमी के जीवन की कुंजी माना जाता है। यह राष्ट्र के विकास के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि बुनियादी ढांचे का विकास हमेशा ही सरकार की प्राथमिकता रही है और उसे कैसे बेहतर से बेहतरीन किया जाए, इसके लिए नवोन्मेषी पहलें की जाती रही हैं। आज आर्थिक विकास की परिभाषा बदल चुकी है, अर्थ केन्द्रित अर्थव्यवस्था के बजाए मानव केन्द्रित अर्थव्यवस्था की बात हो रही है, अर्थात मानव को केंद्र में रखकर कल्याणकारी अर्थशास्त्र की नई परिभाषा गढ़ना, नए भारत के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है।

हमारे जीवन में पर्यावरण का अत्यधिक महत्व है। पर्यावरण में अनेक ऐसी चीजें हैं जिनके अस्तित्व के कारण ही मानव अस्तित्व इस पृथ्वी पर विद्यमान है, जैसे पेड़–पौधे, पशु–पक्षी, नदियां, वन आदि। अतः बतौर जिम्मेदार नागरिक हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम आने वाली पीढ़ी के लिए स्वच्छ, सुंदर व हरी–भरी पृथ्वी छोड़कर जाएं। इसके लिए चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा पेड़–पौधे लगाएं व अन्य लोगों के बीच इसकी जागरूकता फैलाएं जिससे पर्यावरण स्वच्छ और सुंदर बना रहे। आज बढ़ते शहरीकरण के कारण पृथ्वी का तापमान वर्ष दर वर्ष बढ़ रहा है, हानिकारक गैसें उत्पन्न हो रही हैं, कार्बन उत्सर्जन बढ़ रहा है, वातावरण प्रदूषित हो रहा है, अर्थात यह आधुनिक युग पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है। मात्र जागरूकता ही है जो इस समस्या से हम सभी को निकाल सकती है, क्योंकि लोगों की जीवनशैली में आने वाले परिवर्तन से पर्यावरण में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है।

पूरे विश्व में विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में शहरीकरण को रोका नहीं जा सकता है। पिछले दशक में शहरी जनसंख्या में वृद्धि, देश की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर की तुलना में लगभग दोगुनी हो गई है। इसे ध्यान में रखते हुए शहरों में जीवन की गुणवत्ता में सुधार की अत्यधिक आवश्यकता है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने आने वाले पांच वर्षों का अवलोकन किया है और पाया है कि देश में निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए लगभग 2 करोड़ घरों की आवश्यकता होगी।

इस दिशा में प्रभावी कदम उठाए जाने की जरूरत होगी जिससे कि यह खाई पाटी जा सके। अब यहां यह बात और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है कि इस निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए आवास की व्यवस्था तो सरकार करेगी लेकिन ये मकान हरित आवास होने चाहिए। सुनने में यह थोड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन यह भविष्य को संरक्षित रखने की दिशा में अपनी जीवन शैली को अद्यतन करने की एक सुनहरी पहल साबित होगी। इसके अंतर्गत लोगों को कूड़ा प्रबंधन, बिजली–पानी का सदुपयोग, जरूरत से ज्यादा चीजों के प्रयोग पर नियंत्रण आदि अपने जीवन में शामिल करने होंगे। बहरहाल, हमें अभी बहुत कुछ करना है। सरकार की इस परिकल्पना से स्पष्ट हो रहा है कि हम ऊर्जा सम्पन्न व खुशहाल भारत के निर्माण के प्रति कितने वचनबद्ध हैं।

हरित आवास : एक नवोन्मेषी विचार

एक आम आदमी के लिए घर का सपना पूरा हो जाना, उसके जीवन की बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। सरकार इस दिशा में 'सबके लिए आवास योजना' के माध्यम से इस विचार को वास्तविक स्वरूप देने के लिए प्रयासरत है। सस्ते (वहनीय) मकान उपलब्ध करवाना सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है। निर्माण क्षेत्र देश के बुनियादी ढांचागत आधार के विकास में अहम भूमिका निभाता है। साथ ही साथ यह इस क्षेत्र से जुड़े सभी भागीदारों के समक्ष विभिन्न अवसरों को सृजित करने वाला प्रमुख कारक भी है। बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचा क्षेत्र का निष्पादन अर्थव्यवस्था के निष्पादन का ही प्रतिबिंब है।

हरित एवं किफायती आवास की संकल्पना सन 2000 के शुरुआत में अमेरिका में हुई। अमेरिका में वाशिंगटन पहला राज्य था जहां इसके लिए विधिवत कानून बना व क्रियान्वयन आरंभ हुआ। इसी तरह के सतत विकास संबंधी एजेंडे को कई देशों जैसे यूके, न्यूजीलैंड और चीन आदि में भी उनके सामाजिक आवास क्षेत्र के अंतर्गत बढ़ावा दिया जा रहा है। भारत में आईजीबीसी ने आवास निर्माता और क्रेता के लिए न्यूनतम अतिरिक्त लागत के साथ स्थिरता के उच्च स्तर को सुनिश्चित करने के लिए सस्ती एवं हरित किफायती आवास रेटिंग प्रणाली शुरू की है। इसका उद्देश्य यह है कि पर्यावरण व मानव स्वास्थ्य को केंद्र में रखकर नवोन्मेषी भवन निर्माण पद्धतियों को अपनाया जाए। साथ ही निम्न आय वर्ग के लोगों की हरित आवास तक पहुँच बनाने के लिए सरकार द्वारा मांग और आपूर्ति श्रृंखला की पूरी क्षमता का उपयोग किया जाना चाहिए। चूंकि वहनीय लागत भी सुनिश्चित करनी है, अतः अन्य निवेशकों को भी आमंत्रित किया जा सकता है, जिन्हें निवेश के बदले सरकार से अनुदान या करों में कुछ मदों पर छूट मिलने का प्रावधान हो। आत्मनिर्भर भारत के पाँच स्तंभों में भी निवेश की बात की गई है, क्योंकि बिना निवेश के आपूर्ति श्रृंखला बाधित होगी। जब आपूर्ति श्रृंखला बाधित होगी, तो इसका असर निर्माण पर पड़ेगा और अंततः आर्थिक वृद्धि थम जाएगी।

राष्ट्रीय आवास बैंक और हरित आवास

राष्ट्रीय आवास बैंक ने भारत में विशेष रूप से हरित आवासों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एजेंस फ्रेसाइज डी डेवलपमेंट (एएफडी), फ्रांस से ऋण संबंधी व्यवस्था बनाने पर करार किया है। हम जानते हैं कि हमारे देश में हरित आवासन की प्रक्रिया

अभी शुरुआती दौर में है। तकनीकी सहायता के साथ–साथ पुनर्वित्त, दोनों के लिए ही वह उत्प्रेरक की भांति कार्य कर सकती है। एकीकृत आवास आकलन हेतु हरित रेटिंग (जीआईआरएचए), रेटिंग एजेंसी एवं भारतीय हरित निर्माण सामग्री परिषद (आईजीबीसी) से प्राप्त सूचना के अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/निम्न आय वर्ग सहित सभी वर्गों की जरूरतों के अनुरूप कुछ आवास परियोजनाएं उपलब्ध हैं (आपूर्ति पक्ष)। ठीक इसी प्रकार का दृश्य मांग पक्ष की ओर से, यानी प्राथमिक ऋणदाता संस्थाओं की ओर से भी दिखता है। इसके मद्देनजर राष्ट्रीय आवास बैंक ने एजेंस फ्रेसाइज डी डेवलपमेंट (एएफडी) के साथ एक करार किया है जिसके तहत प्राथमिक ऋणदाता संस्थाओं के लिए पुनर्वित्त की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। इसके अतिरिक्त हरित लेबल प्रमाणन को समर्पित 1 मिलियन यूरो और तकनीकी घटक सहित 3 मिलियन यूरो का निवेश किया गया है, ताकि निजी और सार्वजनिक ऋणधारकों को भारत में हरित आवास का विस्तार करने एवं इसे कार्यान्वित करने में सहायता प्रदान की जा सके। राष्ट्रीय आवास बैंक ने एजेंस फ्रेसाइज डी डेवलपमेंट (एएफडी) के साथ जो करार किया है, उसके प्रमुख बिन्दु निम्नानुसार हैं :

- आवास के मौजूदा स्थानीय हरित लेबल प्रमाणन को बढ़ावा देना
- निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए अधिक से अधिक किफायती आवास निर्माण
- बाजार की संभावना और हरित आवास की प्रासंगिकता दर्शाना
- सरकारी नीतियों में किफायती हरित आवास के अनुकूल नियम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना

हरित आवास पुनर्वित्त योजना के संवर्धन का मुख्य उद्देश्य, पात्र ऋणदाताओं द्वारा आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार की परिभाषानुसार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, निम्न आय वर्ग और मध्यम आय वर्ग के लोगों को दिए गए अपने आवास ऋण के लिए पुनर्वित्त सहायता प्रदान करना है। वर्तमान में 3 लाख रुपए, 6 लाख रुपए और 18 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले व्यक्ति क्रमशः आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, निम्न आय वर्ग और मध्यम आय वर्ग के अंतर्गत आते हैं। पात्र आवासों में एकीकृत आवास आकलन के लिए हरित रेटिंग (जीआईआरएचए) या भारतीय हरित निर्माण सामग्री परिषद (आईजीबीसी) द्वारा अपने रेटिंग ग्रेडों के अनुसार क्रमशः 4/5 स्टार की रेटिंग अथवा गोल्ड/प्लेटिनम रेटिंग का पूर्व प्रमाणन प्राप्त होना चाहिए। इसके अलावा पात्र ऋणदाताओं द्वारा शहरी क्षेत्रों में स्थित आवासीय परियोजनाओं को प्रदान किए गए निर्माण वित्त भी इस योजना के अंतर्गत पुनर्वित्त के लिए पात्र होंगे। हालांकि इन आवासीय परियोजनाओं में जीआईआरएचए या आईजीबीसी द्वारा अपने रेटिंग ग्रेडों के अनुसार क्रमशः 4/5 स्टार की रेटिंग अथवा गोल्ड/प्लेटिनम रेटिंग का पूर्व प्रमाणन प्राप्त होना चाहिए। राष्ट्रीय आवास बैंक आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/निम्न आय वर्ग को आवासीय सुविधा का कम से कम 50% आवंटन करेगा।

हरित आवास का मानव जीवन पर प्रभाव

वैश्विक स्तर पर बढ़ती हुई आबादी को देखकर अनुमान लगाया जा सकता है कि सन 2050 तक पूरे विश्व की जनसंख्या वर्तमान से दोगुनी हो जाएगी जिसमें अधिसंख्य लोग निम्न आय वर्ग और मध्यम आय वर्ग के अंतर्गत आएंगे। डब्ल्यूएचओ की एक रिपोर्ट के अनुसार आवासीय भवनों से सीधे तौर पर लगभग 18% कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि आवास का मानव के स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ता है। हरित आवासीय बिल्डिंग से संक्रामक व असंक्रामक रोगों का खतरा काफी कम हो जाता है। हरित आवासों में प्राकृतिक वायुसंचार होने से घर के भीतर की वायु शुद्ध रहती है जिसके कारण प्रदूषित वायु जनित रोग जैसे टीबी, दमा, एलर्जी आदि की संभावनाओं को रोका जा सकता है। सौर ऊर्जा के प्रयोग से पर्यावरण संरक्षण को बल प्राप्त होता है और यह मानव स्वास्थ्य के लिए सकारात्मक उत्प्रेरक की भूमिका अदा करता है। आज एक ही उद्देश्य है कि पर्यावरण को क्षति पहुंचाए बगैर कल्याणकारी अर्थशास्त्र की परिभाषा को सार्थक कैसे किया जा सकता है। यदि बैंक ऑफ बड़ौदा का उदाहरण लें तो अभी 500 से ज्यादा शाखाओं को बिजली के लिए सौर ऊर्जा के पैनल से जोड़ा गया है, शाखाओं में पुराने जमा दस्तावेजों को ग्रीन बैंकिंग की पद्धति से डिजिटल रूप में परिवर्तित किया जा रहा है, जिससे इस प्रकार की शाखाओं में 2 लाख वर्ग फीट की जगह बन चुकी है और आज शाखाओं में स्वच्छ भारत अभियान के तहत सफाई अभियान के साथ–साथ शुद्ध वातावरण पनप चुका है। इसी प्रकार से नासिक के अपशिष्ट प्रबंधन विभाग को देखा जाए तो वहां गंदे नालों से गैस बनाई जा रही है, जो बिजली उत्पादन में काम आ रही है। घरों में मिट्टी के तेल की बजाय बायोगैस के प्रयोग से पर्यावरण के साथ–साथ महिला शक्ति के जीवन की सुरक्षा भी सुनिश्चित हो सकेगी। हरित आवासों में हरियाली के साथ–साथ सूरज की रोशनी आने की भी पूरी व्यवस्था रहती है, ताकि अधिक से अधिक कार्य सूर्य की रोशनी में निपटाए जा सकें और दिन के दौरान बिजली युक्त उपकरण को चलाने से रोका जा सके। इन उपायों से वर्ष 2030 तक काफी हद तक कार्बन उत्सर्जन को कम किया जा सकेगा।

सामाजिक चेतना

देखने व सुनने में थोड़ा अजीब सा लगता है कि घरों की बालकनी, खिड़की, छत आदि पर पेड़ लगे हुए हैं, जो मानव स्वास्थ्य पर सीधा असर डाल रहे हैं। यदि इसे एक वृहद् परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो यह एक ईश्वरीय कार्य ही है जो लोगों को संक्रामक व असंक्रामक रोगों से बचा रहा है। जिस प्रकार स्वच्छ भारत अभियान, वित्तीय जागरूकता अभियान आदि बड़े पैमाने पर चलाये जा रहे हैं, ठीक उसी प्रकार से वहनीय हरित आवासों के निर्माण व इसके लाभों से आम–नागरिकों को अवगत कराये जाने की अत्यंत आवश्यकता है। देश में निर्माण क्षेत्र का तेजी से विस्तार हो रहा है। अब इस क्षेत्र में हरित अवधारणाओं और तकनीकों को लागू करने की आवश्यकता है, जो स्थायी रूप से विकास में सहायता कर सकते हैं। आवास क्षेत्र में हरित अवधारणाएं और तकनीकें, जल दक्षता, ऊर्जा दक्षता, उपभोक्ता अपशिष्ट से निपटने और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण जैसे राष्ट्रीय मुद्दों का समाधान करने में मदद कर सकती हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये अवधारणाएं स्वास्थ्य, समृद्धि, खुशहाली और कल्याण को बढ़ावा दे सकती हैं। इस पृष्ठभूमि के तहत राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए भारतीय ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल (IGBC) ने ग्रीन न्यू बिल्डिंग रेटिंग प्रणाली शुरू की है। यह एक ऐसा उपकरण है जो डेवलपर को हरे रंग की अवधारणाओं को लागू करने और पर्यावरणीय प्रभावों को कम करने में सक्षम बनाता है। इसके अंतर्गत विविध जलवायु क्षेत्र एवं बदलती जीवनशैली को कवर करने के तरीके शामिल किए गए हैं।

प्रधानमंत्री आवास योजनाः सपनों को हकीकत में बदलती एक योजना

कल्याणलक्ष्मी चित्ता, प्रबंधक
यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया

2014 के आम चुनावों में भारतीय जनता से एक ऐतिहासिक जनादेश प्राप्त करने के बाद राष्ट्र के लिए अपने प्रसिद्ध संबोधन में, तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत की एक सतत विकास की परिकल्पना को रेखांकित किया। उन्होंने राष्ट्र के लिए एक स्व–सुदृढ़, सहजीवी और सर्व–समावेशी विकास मॉडल की परिकल्पना की, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति और संस्थागत हितधारक, देश की सामाजिक–आर्थिक और मानवीय प्रगति में योगदान देने वाला, तथा उसके एक लाभार्थी, दोनों ही रूपों में स्वयं को पहचानें। यह विचार इस बात से समानताएं बताता है जो कि श्री मोदी जी के अनुसार राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का स्वतंत्रता संग्राम में सबसे बड़ा योगदान था, वह यह की हर भारतीय व्यक्ति को स्वतंत्रता आंदोलन की मुख्यधारा के प्रति एकीकृत करना। वह चाहे ब्रिटिश सामानों के बहिष्कार जैसे एक सामान्य से दिखने वाले कार्य के माध्यम से ही क्यों ना हो। इसी क्रम में स्वदेशी खरीदने वालों ने भी देशभक्ति की भावना को ही दिखाया और राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ाया है। तत्पश्चात वर्तमान सरकार की नीतिगत पहलें जैसे स्टार्ट–अप–इंडिया, स्टैंड–अप–इंडिया, मेक–इन–इंडिया और हाल ही में आत्मनिर्भर–भारत अभियान घरेलू विकास के लिए प्रेरित घरेलू उद्यमिता द्वारा विकासात्मक क्षितिज की ओर एक स्पष्ट आंदोलन का संकेत देते हैं।

परंपरागत रूप से, भोजन, आश्रय और कपड़ों को एक व्यक्ति की बुनियादी आवश्यकता माना गया है और इन तक पहुंच सुनिश्चित करना किसी भी राष्ट्र ,जो खुद को कल्याणकारी राज्य मानता है, का प्राथमिक प्रयास होता है। दूसरे शब्दों में, किसी भी राष्ट्र के विकासात्मक मार्ग को, राष्ट्रीय संसाधनों को अन्यत्र निर्दिष्ट करने के पूर्व इन बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए नीतियों को क्रियान्वित करने के माध्यम से एक तंत्र को लागू करना होता है। भारत में खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 सभी भारतीय नागरिकों को भोजन की बुनियादी आवश्यकता तक पहुंच सुनिश्चित करने की दिशा में एक नीतिगत पहल थी। आवास क्षेत्र में 1985 में शुरू की गई इंदिरा आवास योजना जैसी नीति की पहल अपने उद्देश्यों में महत्वपूर्ण थी परन्तु मात्र आंशिक सफलता के साथ लागू की जा सकी थी।

प्रधानमंत्री मोदी की 2022 तक सभी को आश्रय सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के माध्यम से किफायती आवास योजना की घोषणा, समयबद्ध तरीके से आश्रय की बुनियादी आवश्यकता को प्रदान करने के लिए एक प्रतिबद्धता को इंगित करता है, तथा इस क्षेत्र में अद्वितीय पहल के रूप में देखा जा सकता है। एक घर का मालिक होना एक सामान्य आकांक्षा है और यद्यपि नीतिगत उपायों जैसे कि आवास ऋण पर ब्याज दरों में कमी और पहले के प्रतिष्ठानों द्वारा आवास ऋण उधारकर्ताओं के लिए आयकर अधिनियम की धारा 80 सी तथा धारा 24 के तहत छूट का विस्तार, आवास क्षेत्र को प्रोत्साहित करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल थी, पीएमएवाई के तहत प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता का प्रावधान इस आकांक्षा को पूरा करने की दिशा में अब तक का सबसे निर्णायक कदम है।

जून, 2015 में शुरू की गई इस योजना में दो खंड शामिल हैं; प्रथमतया, निम्न–आय और मध्यम–आय श्रेणियों के अंतर्गत आने वाले पहली बार संपत्ति खरीदारों द्वारा प्राप्त आवास ऋण पर ब्याज सब्सिडी का प्रावधान और दूसरा, अस्थायी घरों (कच्चा–मकान) को ठोस संरचनाओं में बदलने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) को वित्तीय सहायता का प्रावधान। पीएमएवाई की निम्नलिखित विशेषताएं इसे एक मकान की आकांक्षा को वास्तविकता में रूपांतरित करने के लिए एक साधन बनाती हैं। प्रथमतया, पीएमएवाई का लाभ उठाने की पात्रता यह है कि इसे केवल पहली बार संपत्ति खरीदारों तक ही सीमित किया गया है और इसके साथ ही उन लोगों को भी इसका लाभ नहीं मिल सकता है जो पहले से ही अपने घर अथवा जीवनसाथी के नाम पर किसी घर के मालिक हैं और जो निवेश के उद्देश्य से संपत्ति खरीद रहे हैं। यह सुनिश्चित करता है कि इस योजना का लाभ उन लोगों के लिए आरक्षित है जिनके लिए घर खरीदना एक आवश्यकता का मामला है, न कि व्यावसायिक हित का। दूसरे, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) या निम्न–आय वर्ग (एलआईजी) की श्रेणी में संभावित उधारकर्ताओं के लिए लागू इस योजना का लाभ उठाने के लिए एक अनिवार्य आवश्यकता यह है कि संपत्ति या तो महिला के नाम से या संयुक्त रूप से महिला के पति के साथ पंजीकृत होनी चाहिए। यह योजना के लाभों के वितरण के लिए एक सामाजिक पहलू को जोड़ता है क्योंकि यह संपत्ति में महिलाओं के लिए एक हिस्सेदारी सुनिश्चित करता है जिन्हें संपत्ति के स्वामित्व और विरासत से संबंधित मामलों में पारंपरिक रूप से हाशिए पर रखा गया है। इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि इस योजना की व्याख्या सामाजिक परिवर्तन के एक साधन के रूप में भी की जा सकती है क्योंकि यह महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक सशक्तीकरण के प्रावधानों को सुनिश्चित करता है। तीसरा, पीएमएवाई के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया में आवासीय संपत्ति की तस्वीरें अपलोड करने और योजना के संभावित लाभार्थी के फोटो पहचान प्रमाणपत्र अपलोड करने जैसी सरल प्रक्रिया शामिल हैं। इसके बाद एप्लिकेशन–नंबर और मोबाइल एसएमएस (डै) का उपयोग करके आवेदन की स्थिति को ऑनलाइन ट्रैक किया जा सकता है। यह पीएमएवाई को लागू करने की प्रक्रिया को असामान्य रूप से सरल बनाता है और यह सभी पात्र लाभार्थियों के लिए सुलभ होता है। इस तरह, पीएमएवाई डिजिटल–इंडिया–अभियान के पूरक के रूप में भी व्यवहार करता है।

पीएमएवाई का एक और उल्लेखनीय पहलू यह है कि लाभार्थियों की विभिन्न श्रेणियों की बढ़ती आय के साथ उनके लिए उपलब्ध अधिकतम ब्याज सब्सिडी घटती जाती है। यह सुनिश्चित करता है कि इस योजना का सबसे अधिक लाभ सबसे कम आय वर्ग के लिए उपलब्ध हो और इसलिए यह योजना प्रगतिशील प्रकृति की है। इसके अलावा, चूंकि आवास ऋणों पर ब्याज भुगतान का बोझ संभवतः एक कारक है जो संभावित घर–खरीदारों को हतोत्साहित करता है, पीएमएवाई द्वारा प्रदान की जाने वाली ब्याज सब्सिडी इस बोझ को प्रभावी ढंग से कम करती है, जिससे पहली बार घर–खरीदार घर खरीदने के निर्णय को लेने के लिए उत्साहित होते हैं। ऐसा

इसलिए है क्योंकि एक बार स्वीकृत और जारी होने के पश्चात् यह ब्याज सब्सिडी, प्रत्यक्ष–लाभ–हस्तांतरण की प्रकृति में होगी जो ऋण लेने वाले की इच्छा के अनुसार मासिक किस्त की मात्रा को कम करती है या ऋण के समग्र कार्यकाल को प्रभावित करती है। यद्यपि उपरोक्त लाभ शहरी क्षेत्रों के निम्न–आय और मध्यम–आय वाले समूहों के लाभार्थियों को प्राप्त होंगे, अन्य महत्वपूर्ण लाभ पीएमएवाई–ग्रामीण खंड से भी जुड़े हुए हैं।

पीएमएवाई–जी जो 1985 में शुरू की गई इंदिरा आवास योजना को समाहित कर चुका है, ग्रामीण क्षेत्रों में कंक्रीट संरचनाओं द्वारा कच्चे–मकानों के प्रतिस्थापन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। मैदानी क्षेत्रों में रु. 1.2 लाख और उच्च भूमि क्षेत्रों में 1.3 लाख रु.की वित्तीय सहायता के अलावा, यह योजना शौचालय बनाने के लिए 12000/–रु. की अतिरिक्त सहायता भी प्रदान करती है। ये प्रावधान महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये ग्रामीण क्षेत्रों की दो प्रमुख समस्याओं का समाधान करते हैं:– सबसे पहले, कच्ची संरचना से जुड़ी समस्याएं जैसे कि बरसात के मौसम के दौरान रिसाव और संरचना के क्षय होने एवं प्रतिकूल मौसम की स्थिति में विघटित हो जाने के सतत खतरे का समाधान, और जिससे जीवन और संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित होती है। दूसरे, शौचालय के निर्माण की अनिवार्य आवश्यकता और इसके लिए दी जाने वाली सहायता ग्रामीण गरीबों की, विशेष रूप से महिलाओं की, गरिमा सुनिश्चित करती है और ग्रामीण स्वच्छता के लक्ष्य में महत्वपूर्ण योगदान देती है।

साथ ही, एलपीजी सिलेंडर के लिए उज्ज्वला योजना और बिजली के लिए सौभाग्य योजना जैसी योजनाओं का इस योजना के अंतर्गत विस्तार करके, इस योजना ने ग्रामीण गरीबों के जीवन की गुणवत्ता में एक निर्णायक सुधार किया है। पीएमएवाई–जी नियमों की एक अनिवार्यता यह है कि घर का निर्माण बिना ठेकेदारों की भागीदारी के, लाभार्थी द्वारा स्वयं कराने की एकमात्र जिम्मेदारी होगी। यह सुनिश्चित करता है कि यह प्रत्यक्ष–लाभ–हस्तांतरण (डीबीटी) की प्रकृति में बना रहे और इसमें बिचौलियों की भागीदारी और धन का अपव्यय अथवा लीकेज न हो।

पीएमएवाई–जी के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया ऑनलाइन है जो आवेदन की प्रक्रिया को आसान बनाती है और आवेदन की सभी स्थितियों को एक सरल, तेज और एक ट्रैक करने योग्य प्रक्रिया बनाती है जो सभी के लिए सुलभ है और एक लंबी नौकरशाही प्रक्रिया से इतर है। ऑनलाइन आवेदन करने की आवश्यकता यह भी सुनिश्चित करती है कि ग्रामीण भारत को भी डिजिटल– इंडिया अभियान के क्षेत्र में लाया जाए और उसी से लाभ उठाया जाए। यद्यपि यह उल्लेखनीय है कि आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन होने के साथ ही, योजना और इसके लाभार्थियों के बारे में जानकारी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से बड़े पैमाने पर प्रसारित की जाती है यानी रेडियो और टेलीविजन द्वारा, जिनकी ग्रामीण भारत में पैठ और उपस्थिति काफी व्यापक और गहरी है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि योजना की जानकारी ग्रामीण भारत में अपने संभावित लाभार्थियों तक पहुँचती है। इस योजना द्वारा प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता के अतिरिक्त, योजना अपने लाभार्थियों को ऋण के रूप में 70000/– रु. की अतिरिक्त सहायता भी प्रदान करती है, जिसका वे लाभ उठा सकते हैं।

यह ग्रामीण गरीबों के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है जिनके लिए औपचारिक आर्थिक क्षेत्र से उधार लेना अपेक्षाकृत कठिन है, लेकिन साथ ही यह सहायता लाभार्थियों के लिए उनके घर में स्थायी सुधार लाने के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। यह कहना उचित ही होगा कि स्वच्छ–भारत अभियान, उज्ज्वला योजना, सौभाग्य योजना और आत्मनिर्भर–भारत जैसी अन्य कल्याणकारी योजनाओं के संयोजन में पीएमएवाई को ग्रामीण परिवर्तन के एक साधन के रूप में देखा जा सकता है।

यह सर्वविदित तथ्य है कि अधिकांश भारतीय जनसंख्या, विशेष रूप से गरीबी–रेखा के नीचे (बीपीएल) रहने वाली आबादी, ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। इसलिए ऐसी कल्याणकारी योजना जो ग्रामीण आबादी को सीधे लाभ पहुंचाती है और उनके जीवन–स्तर को बेहतर बनाती है, भारत की विकास प्रक्रिया को समावेशी प्रकृति का बनाने के लिए एक निर्णायक कदम है।

चूंकि भारत का एक महाशक्ति के रूप में उभरने का प्रयास सभी वर्गों के विकास को सुनिश्चित किए बिना नहीं किया जा सकता है, इसलिए पीएमएवाई जी देश के विकसित–राष्ट्र बनने के सपने को साकार करने में एक महत्वपूर्ण कदम है।

इसलिए, व्यक्तिगत लाभार्थियों के लिए एक घर के मालिक होने के सपने को सच करने में पीएमएवाई की भूमिका अत्यंत स्पष्ट है। हालाँकि, राष्ट्र के दृष्टिकोण से भी लाभों को देखना उतना ही महत्वपूर्ण है।

आवास क्षेत्र अर्थव्यवस्था के अनेक अनुभागों के साथ अपने पश्चगामी तथा अग्रगामी संपर्कों के कारण अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आवास क्षेत्र में गतिविधियों की बढ़त सीमेंट, स्टील और अन्य इनपुट जैसे निर्माण सामग्री बनाने वाले उद्योगों में भी गतिविधियों को बढ़ाने हेतु उत्प्रेरक का कार्य करता है। इसके अलावा, चूंकि निर्माण एक अत्यधिक श्रम–गहन गतिविधि है और जो अपेक्षाकृत विशिष्ट श्रम के साथ कुशलता से संचालित किया जा सकता है, यह अनौपचारिक श्रम बाजार के लिए रोजगार पैदा करता है। एक इमारत अपने पूरा होने के बाद बढ़ई, फैब्रिकेटर, इंटीरियर डेकोरेटर आदि की सेवाओं की मांग उत्पन्न करती है। तदनुसार यह इस उद्देश्य के लिए आवश्यक लकड़ी, धातु, प्लास्टर–ऑफ–पेरिस (पीओपी) जैसी सामग्रियों की मांग उत्पन्न करती है। सरकार के दृष्टिकोण से, एक निर्मित घर संपत्ति–कर संग्रह, जल– कर संग्रह, बिजली– कर संग्रह आदि के माध्यम से कर राजस्व का एक स्थायी स्रोत बन जाता है, इसके अतिरिक्त निर्माण के दौरान वस्तु एवं सेवा कर का संग्रह भी होता है। इसके अलावा, यह बैंकों और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों जैसे वित्तीय संस्थानों से वित्त की मांग पैदा करता है।

इस प्रकार से आवास क्षेत्र में गतिविधि का बढ़ना निर्माण उद्योग के साथ प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जुड़े क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों में गहन और बड़े पैमाने पर योगदान करती है और इस हद तक आर्थिक–विकास और विकास की राष्ट्रीय आकांक्षा में योगदान करती है।

पीएमएवाई जो सरकार के अन्य विकासात्मक कार्यक्रमों जैसे स्वच्छ–भारत, डिजिटल–इंडिया, उज्ज्वला योजना, सौभाग्य योजना, आत्मनिर्भर भारत में योगदान देने के साथ ही साथ उनसे लाभान्वित भी होती है, निस्संदेह राष्ट्रीय और व्यक्तिगत आकांक्षाओं को वास्तविकता में बदलने का एक साधन है।

भविष्य के शहरों की जरूरतें एवं चुनौतियाँ

मनीष मण्डा, प्रबंधक
राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड)

विश्व में प्रत्येक वस्तु, प्रक्रिया तथा उत्पाद परिवर्तनशील है। एकमात्र प्रक्रिया जो सतत् स्थायी हैं तो वह है– "परिवर्तन"। बदलते युग में मनुष्य की जीवनशैली भी निरंतर परिवर्तनशील है। बदलती जीवनशैली ने हमारे गांवों और विशेषकर शहरों को भी बदला हैं।

प्राचीन तरह की बनावट और सजावट वाले शहर अब बदल चुके हैं। रोजगार की तलाश में आज भी लोगों का गांवों से शहरों की ओर पलायन जारी हैं। शहरों के ऊपर बढ़ती आबादी के बोझ ने शहरों के शिल्पकारों, नगर निकायों और सरकारी व गैर–सरकारी तंत्र को शहरों की नई रचना के विषय में सोचने पर विवश किया हैं। इसी को देखते हुए भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय ने "राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी मिशन" की 25 जून 2015 को घोषणा की। इस मिशन के प्रथम चरण के अंतर्गत प्रारम्भ में 100 शहरों का चयन किया गया। इन शहरों में परियोजनाओं को 2019 से 2023 के मध्य पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया। इस योजना के अंतर्गत देश के 100 शहरों को स्मार्ट शहरों के रूप में विकसित करने हेतु कुल रू. 48,000 करोड़ तथा अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन तथा अर्बन ट्रांस्फार्मेशन (अमृत) योजनांतर्गत 500 अन्य शहरों के उद्धार हेतु कुल रू. 50000 करोड़ का प्रावधान रखा गया हैं। अमृत योजना में अभी तक रू. 11,549 करोड़ की लागत से कुल 2,916 परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं। केंद्र तथा राज्य सरकारें 2017,22 के मध्य कुल रू. 1,000 करोड़ की वित्तीय सहायता समान भागीदारी आधार पर प्रदान करेंगी। सितंबर 2019 में औरंगाबाद औद्योगिक शहर का प्रथम ग्रीनफील्ड स्मार्ट शहर के रूप में उदघाटन हुआ।

भविष्य के शहरों की कई जरूरतें हैं जिनमें से निम्नलिखित जरूरतें प्रमुख हैं:–

1. भविष्य के शहरों में आबादी के अनुसार उपलब्ध भूमि का मिश्रित उपयोग करना होगा। शहरों में उपलब्ध भूमि को रहवासीय तथा जन–उपयोग हेतु संतुलित मात्रा में आवंटित करना होगा। सार्वजनिक स्थानों जैसे कि पार्क, खेल मैदान, चिकित्सालय, वाणिज्यिक उपयोग हेतु दुकानें, मॉल इत्यादि हेतु उचित प्रावधान करना होगा।

2. भविष्य के शहरों में जन–उपयोगी सुविधाओं जैसे कि पेयजल, बिजली, ठोस कचरा निस्तारण प्रणाली, सीवरेज प्रणाली इत्यादि का कुशल प्रबंधन आवश्यक हैं।

3. प्रदूषण को कम करने हेतु औद्योगिक क्षेत्रों (इंडस्ट्रियल कॉरिडॉर) से रहवासीय इलाकों की उचित दूरी होना आवश्यक हैं। वाटर तथा सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाने होंगे। साथ ही यह ध्यान भी रखना होगा कि उद्योगों को पर्याप्त मजदूर मिले तथा लोगों को रोजगार के उचित अवसर प्राप्त हो।

4. यात्रियों की संख्या को देखते हुए शहरी आवागमन के साधनों का सुचारु प्रबंध होना चाहिए। शहर पर यातायात के दवाब को देखते हुए अधिकाधिक फ्लाईओवर बनाने होंगे। प्रदूषण को कम करने हेतु आवागमन के सार्वजनिक साधनों जैसे कि सिटीबस, मेट्रो, लोकल ट्रेन इत्यादि के नेटवर्क में विस्तार करना होगा। साथ ही यह भी ध्यान रखना होगा कि ये सभी साधन रिसाइक्लेबल ऊर्जा का प्रयोग करें।

5. नागरिकों से मैत्रीपूर्ण संबंध रखने वाली तथा कम लागत वाली एक कुशल गवर्नेंस की स्थापना हो, जोकि जवाबदेह तथा पारदर्शी हो।

6. आधारभूत ढांचे के विकास हेतु एकल खिड़की प्रणाली की स्थापना हो। सरकारी तंत्र तथा विनिर्माण क्षेत्र की निजी कंपनियों के बीच आपसी सामंजस्य हो। बिल्डरों द्वारा बनाई जा रही रहवासीय परियोजनाएं ना केवल रियल एस्टेट विनियमन और विकास अधिनियम (रेरा) के अंतर्गत पंजीकृत हो बल्कि आवासों का समयबद्ध आवंटन लोगों को मिले।

7. आधुनिक, नवोन्मेषी एवं हरित प्रौद्योगिकी के प्रयोग से निर्मित बिल्डिंग सामग्री का उपयोग किया जाए जिससे घर ना केवल मजबूत बने बल्कि उनका निर्माण भी शीघ्र सम्पन्न हो सके। विभिन्न भू–मौसम क्षेत्रों (जियो–क्लाइमेट जोन) हेतु बिल्डिंग प्लान के निर्माण एवं नक्शे भी बनाए जाए।

8. व्यक्ति की बुनियादी आवश्यकताओं में रोटी, कपड़ा और मकान तो थे ही, अब इनमें एक नई आवश्यकता जुड़ चुकी है – बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। आजकल शिक्षा, विशेषकर उच्च शिक्षा, प्राप्त करना महंगा हो गया है। जब निम्न व मध्यम वर्ग के व्यक्ति के किफायती घर का सपना पूरा हो जाएगा, तब वह अपनी बचत का उपयोग अपने बच्चों की शिक्षा में कर पाएगा। भविष्य के शहर में अच्छे विद्यालयों और प्रायोगिक एवं व्यावसायिक शिक्षा पर अधिक बल होना चाहिए।

9. सुदृढ़ कानून व्यवस्था भविष्य के शहरों के लिए एक मजबूत नींव का कार्य करेगी। शहर में सार्वजनिक स्थानों पर अधिक से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाए जाए। महिला सुरक्षा सुरक्षा हेतु महिला पुलिस बल का गठन हो।

10. निजी व सार्वजनिक क्षेत्र की साझेदारी द्वारा ऋण से जुड़े अनुदान (क्रेडिट लिंकड सब्सिडी) से किफायती आवास बनाए जाए। नए आवास के

निर्माण/पुराने आवास के पुनरूद्धार हेतु अनुदान की भी व्यवस्था की जाए। इन सभी मुद्दों को दृष्टिगत रखते हुए प्रधानमंत्री ने देश की स्वतन्त्रता की रजत जयंती, अर्थात 75 वर्ष पूर्ण होने के वर्ष, (31 मार्च) 2022 तक सभी के लिए छत का लक्ष्य रखा और इस योजना का नाम दिया – 'प्रधानमंत्री आवास योजना'। इस योजना का शुभारंभ 25 जून 2015 को हुआ तथा यह योजना 2015 से 2022 के मध्य लागू की जाएगी। इस योजना के दो महत्वपूर्ण भाग हैं – प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) तथा प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)। यह योजना भारत सरकार के आवास व शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही है।

भविष्य के शहरों की उपर्युक्त जरूरतें हैं तो कुछ चुनौतियाँ भी हैं। भविष्य के शहरों की मुख्य चुनौतियाँ निम्नलिखित हैं:–

1. पिछले वर्षों में, विशेषकर विगत दशक में, रियल एस्टेट में जो क्रांतिकारी परिवर्तन देखा है वह स्वयं में अदभुत् तथा विस्मयकारी है। एक तरफ जहां बढ़ती जनसंख्या और पाश्चात्य प्रभाव के कारण बढ़ रहे एकल परिवार के सिद्धांत ने आवास की आवश्यकताओं को और जमीन की कीमतों को बढ़ाया है, वहीं दूसरी तरफ भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था, बढ़ते सकल घरेलू उत्पाद और बढ़ती प्रति व्यक्ति आय ने आम नागरिक की खर्च–सीमा को भी बढ़ाया है, जिसके फलस्वरूप आवास की मांग भी बढ़ी हैं। मांग और बाजार की ताकतें एक–दूसरे के सदैव पर्याय रहे हैं। जहां बाजार की ताकतें बढ़ती हैं, वहाँ कई अनैतिक व गैर–कानूनी गतिविधियां भी चलन में आ जाती हैं। गत कुछ वर्षों में बिल्डरों द्वारा जमीन तथा आवास के मूल्यों का कृत्रिम प्रदर्शन किया गया जिसके परिणामस्वरूप आम नागरिक, विशेषकर निम्न आय वर्ग हेतु किफायती आवास का सपना कभी पूरा ना हो सका। देश में आज भी करोडों लोगों के सिर के ऊपर छत नहीं हैं। आज के युग में प्रत्येक व्यक्ति का सपना है – 'एक सपनों का घर', जो उसकी आमदनी के अनुसार हो। घर खरीदना अन्य उत्पादों को क्रय करने से भिन्न है क्योंकि यह जीवन में केवल एक बार लेने वाला निर्णय है। अन्य वस्तुएं बदली या बेची जा सकती हैं, परंतु घर का विक्रय करना इतना सरल नहीं है।
2. भविष्य के शहरों में इस बात का ध्यान रखा जाए कि आम नागरिक आवास क्षेत्र में हो रही निजी बिल्डरों की इन धोखाधड़ियों से बच पाए तथा भू–माफियाओं के चुंगल में नहीं फंसे। निम्न व मध्यम वर्ग की गाढ़ी कमाई सुरक्षित रहे। भू–अभिलेखों को भी ऑनलाइन रखा जाए तथा उन्हें समय–समय पर अद्यतन करना चाहिए।
3. कम संसाधनों का दोहन करते हुए शहर का विकास किया जाए। भूमि को स्रोत के रूप में उपयोग करते हुए निजी क्षेत्र की सहभागिता द्वारा मलिन बस्तियों का पुनर्वासन किया जाए।
4. त्वरित आपदा प्रबंधन प्रणाली हेतु एक सुनियोजित योजना तैयार की जाए। शहरों में प्राकृतिक आपदा जैसे कि बाढ़, भूकंप इत्यादि से होने वाले जानमाल के नुकसान को कम से कम करने हेतु एक रोडमेप तैयार किया जाए।
5. शहर की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए शहर को ऊर्जा की दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाया जाए। शहर में रिसाइक्लेबल ऊर्जा के प्लांट लगाए जाए। सौर ऊर्जा का अधिकाधिक उत्पादन किया जाए।
6. शहर में दूरसंचार हेतु भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए पर्याप्त संचार साधन एवं सुगम इंटरनेट तंत्र विकसित किया जाए।
7. शहर में रहवासीय उपयोग के अनुरूप आवश्यक "हरित कवर" विकसित किया जाए, अर्थात् अधिकाधिक मात्रा में पेड़–पौधे लगाए जाए।

हमारे प्राचीन शिल्पकार जैसे कि ला कुर्बूजियर (चंडीगढ़), एडवर्ड लुटियन्स (दिल्ली), राजा भोज (भोपाल), विध्याधर भट्टाचार्य (जयपुर), ओट्टो बर्गर (भुवनेश्वर), भक्त बुलंद (नागपुर) इत्यादि द्वारा जो दूरदर्शिता दिखाई गई, उसी दूरदर्शिता के कारण ये शहर कई सदियों पश्चात भी बढ़ी हुई आबादी का बोझ झेल पा रहे हैं। प्राचीन शिल्पकारों ने ना केवल इन शहरों में कुशल प्रणालियों जैसे कि पेयजल, बिजली, ठोस कचरा निस्तारण प्रणाली, सीवरेज प्रणाली इत्यादि की नींव रखी बल्कि इन शहरों में विस्तार

हेतु पर्याप्त स्थान भी छोड़ा था। यदि उस समय के शिल्पकार इतनी दूरदर्शिता का परिचय दे सकते हैं तो आज विज्ञान के इतना विकास करने के बाद हम लोग भविष्य के शहरों के निर्माण हेतु यह सूझबूझ क्यों नहीं दिखा सकते? हमारे आज के प्रयासों का फल भावी पीढ़ियों को मिलेगा।

सारांश यह है कि भविष्य के शहरी क्षेत्र में विपुल संभावनाएं हैं। यदि इस दिशा में पुनीत प्रयास किए जाएं और योजनाओं का सफल क्रियान्वयन हो तो ना केवल सामाजिक क्षेत्र में कई सकारात्मक महत्वपूर्ण बदलाव दिखेंगे बल्कि आर्थिक मोर्चे पर भी भारत सुदृढ़ होकर वैश्विक चुनौतियों का सामना कर पाएगा। इस दिशा में कई चुनौतियाँ हैं परंतु इन चुनौतियों को अवसर में बदलना ही सबसे बड़ी चुनौती है।

स्मार्ट सिटी - भविष्य के शहर

मिलन चौबे, मुख्य प्रबंधक
बैंक ऑफ बडौदा, बडौदा अकादमी

जब भी हम किसी शहर की कल्पना करते हैं तब सबसे पहले हमारे दिमाग में आते हैं–बदहवासी में भागती लोगों की भीड़, सड़कों पर दौड़ती लम्बी महंगी गाड़ियां, चमचमाते साईन बोर्ड, शॉपिंग मॉल्स, और चकाचौंध से भरी नाईट लाईफ। इसके अलावा कुछ दुखी और सोचने पर मजबूर करती तस्वीरें भी, जैसे बढ़े हुए आपराधिक मामले, गरीब और अमीर के बीच एक लम्बी खाई, संसाधनों पर अत्यधिक दबाव, तंग बस्तियों में रहते लोग, भ्रष्टाचार, और भी कई परेशानियां। परंतु शहर वास्तव में ये दोनों ही नहीं हैं शहर होते हैं उनमें रहने वाले लोग स्वयं, जिन्होंने उन शहरों को धीरे–धीरे सालों, दशकों में बनाया है।

एक अनुमान के अनुसार वर्ष 2050 तक दुनिया की आबादी लगभग 9.8 बिलियन हो जाएगी और इस आबादी का लगभग 70% अर्थात लगभग 6.7 बिलियन लोग शहरों में रह रहे होंगे। यदि हम भारत की बात करें तो नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान भारत की 31% आबादी शहरी क्षेत्र में रहती है तथा देश के सकल घरेलू उत्पाद में इस आबादी का योगदान 63% है। इसी रिपोर्ट के अनुसार सन 2030 तक शहरी क्षेत्र में आबादी का प्रतिशत 40 तथा इसका सकल घरेलू उत्पाद में योगदान 70% तक हो जाएगा। स्पष्ट है कि शहरीकरण की इस बढ़ती हुई रफ्तार के फलस्वरूप कुछ समस्याएं भी उत्पन्न होंगी जैसे स्वास्थ्य, आवास, शिक्षा, अपराध आदि। अतः वर्तमान समय में यह आवश्यक है कि भविष्य के शहरों हेतु आज से ही रूपरेखा बनाए जाने के साथ–साथ उनको रहने योग्य बनाने हेतु अभी से कार्य आरम्भ किया जाए। भारत सरकार द्वारा घोषित "स्मार्ट सिटी परियोजना" इसी दिशा में उठाया गया एक महत्त्वपूर्ण तथा दूरगामी प्रभाव वाला कदम है।

स्मार्ट सिटी की परिकल्पना– जब हम स्मार्ट सिटी या भविष्य के शहर की परिकल्पना करना चाहते हैं तो सबसे पहला सवाल हमारे मन में यही आता है कि "स्मार्ट सिटी की परिभाषा क्या है?" यदि हम इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करें तो वो यह है कि स्मार्ट सिटी की कोई एक या सार्वभौमिक परिभाषा नहीं है। स्मार्ट सिटी की परिकल्पना अलग–अलग लोगों अलग–अलग स्थानों के अनुसार बदल सकती है। यह परिकल्पना शहरों के विकास के स्तर, उपलब्ध संसाधनों तथा उस स्थान के लोगों के अभिनव प्रयोगों और कार्यक्रमों के अनुसार स्वयं को ढाल पाने की स्वीकार्यता पर निर्भर करती है।

उपरोक्त वर्णन के अनुसार स्मार्ट सिटी परिकल्पना सार्वभौमिक ना होने के बाद भी स्मार्ट सिटी या भविष्य के शहरों का एक स्वरूप निर्धारण करने हेतु कुछ मूलभूत गुणधर्म की पहचान की जा सकती है जिनका कि स्मार्ट सिटी या भविष्य के शहरों में होना आवश्यक है। अतः स्मार्ट सिटी की परिकल्पना में मुख्यतः चार गुण शामिल किये गए हैं जिनको समग्र विकास के चार पिलर भी कहा जा सकता है और ये चार पिलर हैं– आधारभूत संस्थागत विकास, आधारभूत भौतिक विकास, आधारभूत सामाजिक विकास तथा आधारभूत आर्थिक विकास।

एक स्मार्ट शहर इन चारों मापदण्डों पर लम्बे समय के विकास लक्ष्यों के साथ क्रमशः चरण दर चरण विकास करता हुआ आगे बढ़ता है। भविष्य के स्मार्ट शहर अपने रहवासियों को आधारभूत भौतिक सुविधाएं, तथा एक संतोषजनक जीवन स्तर प्रदान करते हैं, उनमें नगरवासियों की समस्याओं हेतु त्वरित तथा स्मार्ट निराकरण व्यवस्था होती है। वास्तव में स्मार्ट सिटी एक रोल मॉडल होता है जो अन्य शहरों के लिये

एक प्रेरणा का काम करता है जिस प्रकार समुद्रों में लाईट हाऊस जहाजों हेतु मार्गदर्शक का कार्य करते हैं।

भविष्य के शहर या स्मार्ट सिटी की एक झलक– आईये भविष्य के शहर की यात्रा पर चलकर पता लगाते हैं कि भविष्य के शहर में कौन सी सुविधाएं व व्यवस्थाएं होती हैं जो उसे एक स्मार्ट शहर बनाती हैं–

बिजली–पानी की पर्याप्त तथा निर्बाध उपलब्धता– एक स्मार्ट सिटी में पानी तथा बिजली की पर्याप्त तथा निर्बाध सप्लाई उपलब्ध होगी यह सुनिश्चित करने हेतु जल तथा बिजली का उचित प्रबंधन आवश्यक है तथा इस लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु निम्न उपाय किये जा सकते है–

जल प्रबंधन– जल के प्रभावी प्रबंधन हेतु मीटर आधारित जल प्रदाय सेवा प्रदान की जाएगी तथा मीटर का उचित रखरखाव किया जाएगा।

जल प्रदाय की पाईप लाईन में किसी भी प्रकार का लीकेज होने पर उसकी तुरंत पहचान तथा रोकथाम की जाएगी इस प्रकार जल का अपव्यय रोका जाएगा तथा समय–समय पर पानी की गुणवत्ता का परीक्षण किया जाएगा।

जल का अपव्यय रोकने के साथ–साथ जल सम्वर्धन के उपाय किये जाएंगे जैसे प्रत्येक भवन निर्माण में रेन वाटर हार्वेस्टिंग को जरूरी बनाया जाएगा तथा भूमिगत जल के संरक्षण के उपाय किये जाएंगे।

बिजली प्रबंधन– एक स्मार्ट सिटी के सभी घरों तथा प्रतिष्ठानों में स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे तथा बिजली चोरी रोकने के सभी उपाय किये जाएंगे।

बिजली के प्राकृतिक स्रोतों जैसे सौर ऊर्जा तथा बायोगैस आदि का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा साथ ही शहर में ग्रीन भवनों के निर्माण को प्रोत्साहित किया जाएगा।

शिक्षा तथा स्वास्थ्य सुविधाएं– शिक्षा तथा स्वास्थ्य सभी नागरिकों के मूलभूत अधिकार हैं तथा भविष्य के शहरों में इनका पूरा ध्यान रखा जाएगा। शहरों में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि शासकीय विद्यालय तथा शासकीय अस्पताल उच्च स्तर की सुविधाओं से परिपूर्ण हों सभी सरकारी स्कूलों में प्रतिभाशाली तथा प्रशिक्षित शिक्षक न्युक्त किये जाएंगे विद्यालयों में कम्प्यूटर, विज्ञान तथा सभी आधुनिक विषयों के अध्ययन की पूर्ण व्यवस्था होगी। विद्यालय ऐसे स्थानों पर खोले जाएंगे जहां विद्यार्थियों को जाना–आना सुगम हो।

इसी प्रकार स्मार्ट सिटी के अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टर तथा मशीनें उपलब्ध होंगी जो शहरियों को उचित शुल्क पर उच्च स्तर का इलाज उपलब्ध कराएंगी। अस्पतालों में उपलब्ध सुविधाओं तथा शुल्क का विवरण सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होगा तथा अधिक शुल्क वसूल करने पर तुरंत दण्डात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

प्रभावी ड्रेनेज सिस्टम तथा कचरा प्रबंधन– यदि हम पिछले कुछ दिनों में अखबारों के समाचारों को याद करें तो पाएंगे कि भारत के लगभग सभी बड़े शहर जिनमें मुम्बई प्रमुख है थोड़ी सी ही बारिश में जल भराव तथा जमीन धसकने जैसी समस्याओं से घिर जाते है पड़ोसी देश पाकिस्तान के करांची शहर में लगभग 5 दिन तक पानी भरा रहा और बिजली तथा फोन सेवा तक बाधित रही। यह दोनों ही शहर 2 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले तथा अपने अपने देश के प्रमुख व्यवसायिक केंद्र हैं इन शहरों में हर बारिश में आने वाली समस्याओं का कारण प्रभावी ड्रेनेज सिस्टम तथा कचरा प्रबंधन का अभाव है।

एक स्मार्ट शहर में प्रभावी ड्रेनेज सिस्टम स्थापित किया जाएगा जिसमें वर्तमान में बने नाली तथा जल निकासी व्यवस्था का रखरखाव तथा आवश्यकतानुसार नए ड्रेनेज सिस्टम का निर्माण शामिल है। मकानों तथा अन्य भवनों के निर्माण की अनुमति देने से पूर्व ड्रेनेज की पुख्ता व्यवस्था का निर्माण सुनिश्चित किया जाएगा। साथ ही जल प्रसंस्करण प्लांट स्थापित किये जाएंगे

इसी प्रकार कचरा प्रबंधन हेतु घर–घर से कचरा इकट्ठा करने तथा जगह–जगह डस्टबिन रखने की व्यवस्था की जाएगी शहरवासियों को साफ–सफाई रखने हेतु प्रेरित तथा प्रोत्साहित किया जाएगा। वर्तमान में जारी स्वच्छता अभियान में शहरों को सफाई व्यवस्था के आधार पर पुरुस्कृत किये जाने की व्यवस्था को आगे बढ़ाया

जाएगा इस प्रतिस्पर्धा के फलस्वरूप इंदौर तथा भोपाल जैसे शहरों ने लगातार चार वर्षों से स्वच्छता के उच्च कीर्तिमान स्थापित किये हैं।

कचरा प्रबंधन में कचरे का पुनः प्रसंस्करण तथा उसको ऊर्जा या ईंधन में परिवर्तित करने हेतु प्लांट स्थापित किये जाएंगे।

स्मार्ट आवागमन व्यवस्था– एक स्मार्ट शहर में आवागमन की व्यवस्था भी स्मार्ट होगी। इन शहरों में बाजार तथा अन्य दैनिक आवश्यक वस्तुओं तथा सेवाओं की उपलब्धता इस प्रकार सुनिश्चित की जाएगी ताकि शहरवासियों को उन तक पैदल तथा साईकिल से पहुंचना आसान हो। इस हेतु पैदल तथा साईकिल मार्ग बनाए जाएंगे। साथ ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट को अधिक प्रोत्साहित किया जाएगा इस हेतु पूर्ण सुविधायुक्त तथा कम से कम प्रदूषण करने वाले वाहन उपयोग किये जाएंगे। शहर में सभी व्यस्त स्थानों पर स्मार्ट पार्किंग का निर्माण कराया जाएगा जिससे सामान्य यातायात बाधित ना हो पाए।

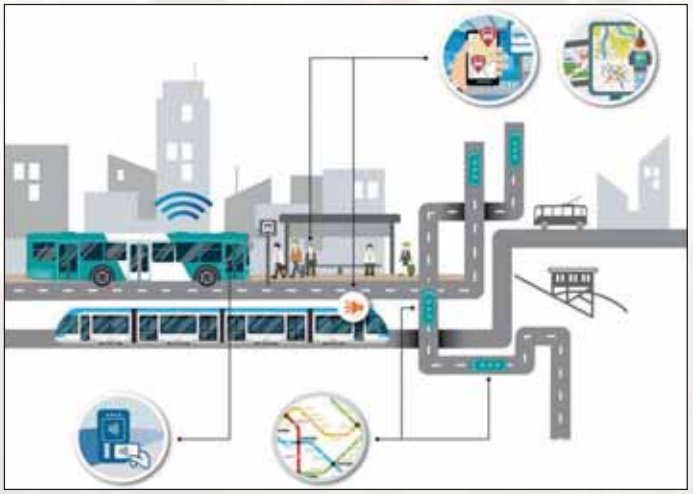

शासकीय दफ्तरों तथा सुविधाओं को सुगम तथा सस्ता बनाना– एक भविष्य के स्मार्ट शहर में नगरवासियों को अधिकतम नागरिक सुविधाएं ऑन लाइन माध्यम से उपलब्ध होंगी शहरी अपने आवेदन ऑन लाइन जमा करा सकेंगे तथा उनकी प्रगति भी जांच सकेंगे। इस हेतु मोबाइल फोन पर सभी सुविधाओं तक पहुंच सुगम बनाई जाएगी। इस प्रकार शासकीय कार्यों में जिम्मेदारी तथा पारदर्शिता सुनिश्चित होगी।

सभी को आवास तथा सुरक्षा– भविष्य के स्मार्ट शहर में सभी रहवासियों हेतु आवास सुनिश्चित कराने हेतु विभिन्न शासकीय योजनाओं तक लोगों की पहुंच आसान तथा प्रभावी बनाई जाएगी। शहरों का मास्टर प्लान इस प्रकार बनाया जाएगा के शहर में घनी आबादी ना होकर सभी ओर समान रूप से विस्तार तथा उन्नति हो। शहरियों को सुरक्षा सुनिश्चित कराने हेतु सभी चौराहों पर सी.सी.टी.वी. कैमरा तथा उचित दूरी पर पी.सी.आर. की व्यवस्था की जाएगी। किसी भी प्रकार की आपराधिक शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया आसान तथा ऑन लाइन की जाएगी जिससे शिकायत की पारदर्शी तरीके से निगरानी तथा निराकरण सुनिश्चित किया जा सके।

लोकतांत्रिक तथा मानवाधिकार सुरक्षा– एक स्मार्ट शहर में अपने नागरिकों के लोकतांत्रिक तथा मानवाधिकारों की पूर्ण सुरक्षा की जाएगी। शहर में सभी संसाधनों तक सभी नागरिकों की भेद–भाव रहित पहुंच सुनिश्चित की जाएगी। शासन की किसी व्यवस्था या निर्देश का लोकतांत्रिक तरीकों से विरोध करने का नागरिकों को पूर्ण अधिकार होगा तथा इस प्रकार के प्रदर्शन आदि के लिये शहर में स्थान सुनिश्चित किये जाएंगे।

उपरोक्त सभी सुविधाओं तथा विशेषताओं से सुसज्जित स्मार्ट सिटी निश्चय ही अन्य शहरों हेतु एक रोल मॉडल का काम करेगी। भारत सरकार की योजना प्रथम चरण में 100 शहरों को स्मार्ट सिटी में परिवर्तित करने की है तथा इस दिशा में काफी कार्य पहले ही किया जा चुका है।

यद्यपि इसमें कोई संदेह नहीं कि एक स्मार्ट शहर सभी के रहने के लिये एक आदर्श जगह होती है किंतु हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि शहरीकरण अनियंत्रित तथा बिना योजना के होने का परिणाम विभिन्न प्रकार के दुष्प्रभावों के रूप में दिखाई देता है जैसे अपराध, गरीबी, सुविधाओं की कमी आदि। अतः आवश्यक है कि जहां हम भविष्य हेतु स्मार्ट शहर तैयार कर रहे हैं वहीं हमें वर्तमान छोटे शहरों तथा कस्बों को भी इस प्रकार आयोजित करना चाहिये ताकि शहरों पर आबादी का अधिक दबाव ना पड़े तथा छोटे शहरों में भी सभी मूलभूत सुविधाएं नागरिकों हेतु उपलब्ध हों, इस हेतु निम्न उपाय किये जा सकते हैं–

- छोटे शहरों तथा गांवों को नजदीकी शहरों से जोड़ा जाए ताकि यहां रहने वालों को यह भरोसा रहे कि किसी आकस्मिक स्थिति में उनको शहर पहुंचना मुश्किल नहीं होगा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना द्वारा यह कार्य पहले ही चल रहा है जिसमें गति लाई जा सकती है।
- स्थानीय स्तर पर स्वरोजगार के अवसरों की संभावनाएं उत्पन्न कर शहरों की ओर पलायन को रोका जा सकता है। इसी प्रकार शिक्षा तथा स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाकर आबादी का पलायन रोका जा सकता है क्योंकि प्रायः इन्हीं कारणों से आबादी का पलायन होता है।

अंत में सार रूप में हम कह सकते हैं कि भविष्य के शहर अपने नागरिकों हेतु भौतिक, सामाजिक, वैयक्तिक तथा आर्थिक रूप से खुशहाल रहने और निरंतर उन्नति हेतु अवसर उपलब्ध कराने वाले शहर होंगे साथ ही ये शहर अपने नागरिकों को एक आधुनिक, वैज्ञानिक तथा समानतावादी सोच वाले नागरिकों के रूप में उन्नत करेंगे।

स्मार्ट सिटी भविष्य के शहर

पवन कुमार, लिपिक
इण्डियन ओवरसीज बैंक

भारत अन्य देशों की तरफ प्रेरणा के लिए देख सकता है लेकिन इसे अपने शहरों को तकनीकी रूप से उच्चतर और सुचारू रूप से संचालित करने के लिए अपने देश के हिसाब से समाधान ढूंढने चाहिए।

विकासशील स्मार्ट सिटीज के लिए टिकाऊ विकास और टिकाऊ समाधान आखिरी लक्ष्य होने चाहिए। जब तक हम प्रशासन में सुधार और लोगों के व्यवहार में परिवर्तन नहीं लाएंगें, तब तक हम दुनिया के स्मार्ट सिटीज की तरह अपने देश के शहरों को बनाने का स्वप्न पूरा नहीं कर पाएंगे। हो सकता है कि हम स्मार्ट सिटीज बनाने में कामयाब हो जाएं लेकिन हमें प्रशासन में सुधार लाना ही होगा ताकि हमारे ये खूबसूरत शहर फिर से पुराने ढरें पर न लौट जाएं।

2011 के जनगणना आंकड़ों के मुताबिक भारत में 4041 विधिक शहर है (वे इलाके जो भारत की जनगणना की परिभाषा के मुताबिक शहरी घोषित किए गए है)। भारत की शहरी आबादी का लगभग 70 फीसदी ऐसे शहरों या शहरी बसावटों में रहता है जिनकी आबादी एक लाख या उससे ऊपर है। जहां इनमें से ज्यादातर शहर तेज रफ्तार से बढ रहे हैं यहां भारत के महानगर (जिनकी आबादी 50 लाख या ज्यादा है) विकास की रफ्तार के दवाब में चरमरा रहे है। जो शहर खासकर बहुत तेजी से

बढ़ रहे है। उनको बढ़िया तरीके से नियोजित करने की जरूरत है, उनको बेहतर समाधान की जरूरत हैं। वर्तमान में भारत के शहरी इलाकों में बहुत सारी समस्याएं है जैसे बुनियादी ढांचों की कमी, आधारभूत सेवाएं, गरीबी, झुग्गी–झोपड़िया अपर्याप्त आवासीय सुविधाए, परिवहन के साधन, घनी बनावट और हर तरह के प्रदूषण इत्यादि। साथ ही वहां पर्यावरण में बदलाव से उत्पन्न समस्याएं और बढ़ती जा रही प्राकृतिक और मानव–जनित आपदाएं भी शामिल हैं। इन समस्याओं से निपटने के लिए बुद्धिमत्तापूर्ण समाधान और सुशासन की आवश्यकता है।

भारत के ज्यादातर शहरों का मास्टर प्लान नहीं बना है और इसीलिए वहां अनियोजित शहरीकरण हो रहा है जो ज्यादा चिन्ता का विषय है। खासकर बुनियादी ढांचों और सेवाओं को प्रदान करने के सन्दर्भ में तो बहुत चिन्ता का विषय है। शहरो के ज्यादातर हाशिए के इलाके तो लगभग "प्रशासन रहित" इलाके है क्योकि न तो वे शहरी इलाके है, और न ही ग्रामीण। जैसे–जैसे शहरों का फैलाव होता है तो ये हाशिए के इलाके भी शहर मे शमिल हो जाते है जो ज्यादातर अनियोजित होते है। इसीलिए एक गहन योजनाकृत विकास को नियमित कर सके, क्योकि बाद में शहर को नियोजित करना या पुनर्विकास करना बहुत कठिन कवायद होती है।

वर्तमान सरकार की मुख्य योजनाएं जिसमें 100 स्मार्ट शहर, अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रामफोमेंशन (अमृत), नेशनल हैरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड अग्यूमंडेशन योजना (हृदय), स्वच्छ भारत अभियान और हाउसिंग फॉर ऑल का अद्देश्य शहरो को रहने योग्य, समावेशी, गतिशील, तकनीकी रूप से उच्चतर और आर्थिक रूप से प्रतिस्पर्धात्मक बनाना है। भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय के मुताबिक किसी स्मार्ट सिटी के मूल बुनियादी तत्वों में निम्नलिखित सुविधाएं शामिल होगीः–

1. पर्याप्त जलपूर्ति
2. सुनिश्चित बिजली आपूर्ति
3. स्वच्छता (ठोस कचरा प्रबंधन सहित)
4. सक्षम शहरी परिवहन और सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था
5. सस्ते आवास, खासकर, गरीबों के लिए
6. शानदार आईटी संचार और डिजिटलाइजेशन
7. सुशासन, खासकर, ई–प्रशासन और नागरिक भागीदारी
8. संवहनीय पर्यावरण व्यवस्था
9. नागरिकों की सुरक्षा, खासकर महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा
10. स्वास्थ्य और शिक्षा

स्मार्ट सिटी मिशन में इलाके वार तरीके से विकास के रणनीतिक तत्व हैं–शहर का सुधार (पुराने इलाकों का अनुकूल विकास), पुनर्जीवन (पुनर्विकास) और नगरीय प्रसार (हरित क्षेत्र विकास) और संपूर्ण नगरीय विकास जिसमें बुद्धिमत्तापूर्ण समाधान को लागू किया जाएगा और शहर के बड़े हिस्सों को इसकी जद में लिया जाएगा। (स्मार्ट सिटी रणनीति– भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय की वेबसाइट से)

स्मार्ट सिटी उन विचारों की संकल्पना करता है जिसके मुताबिक एक शहर सुचारू रूप से चलता है और उसकी हर गतिविधि अपने नियत तरीके से होती है। ये वैसे शहर होते है जहां आधारभूत सुविधाओं तक सबकी पहुंच होती है, सक्षमतापूर्वक सेवाओं को पहुंचाया जाता है, स्वच्छता होती है, बढ़िया परिवहन प्रणाली होती है, साइकिल के लिए अलग से रास्ता होता है, पैदल चलने वालों के लिए रास्ता होता है, हरियाली होती है, जलाशय होते है, हरित मकान, हरित ऊर्जा, ई–प्रशासन डिजिटल तकनीक का प्रयोग, सक्षम सूचना और संचार के तंत्र आदि–आदि होते हैं। हमें अपने शहरों को बदलने के लिए इन सारे मोर्चो पर काम करना होगा। स्मार्ट सिटीज में भविष्य का दृष्टिकोण भी होना चाहिए कि आने वाले दिनों में शहर कैसे होगे और उनके भविष्य में फैलाव के उपाय भी होने चाहिए।

भारत के सन्दर्भ में स्मार्ट सिटी को अग्रलिखित बातों को सम्मिलित करना चाहिए, तकनीक, वित्तीय व्यवस्था, आंकड़ों तक पहुंच ऊर्जा, पर्यावरण, पर्यावरण परिवर्तन से उत्पन्न समस्याओं का समाधान व उसकी रोकथाम, आपदा प्रबंधन, सुधार, प्रशासन और नागरिक।

तकनीकः– शहरों के प्रबंधन में डिजिटल तकनीक कल्पनाशील तरीके से सक्षम समाधान प्रस्तुत कर सकते है चाहे वो परिवहन हो (यातायात और परिवहन), शहरी योजना या बुनियादी ढाचों का निर्माण और सेवाएं जैसे कि जलपूर्ति, नाली की व्यवस्था, ठोस कचरा प्रबंधन इत्यादि। स्मार्ट सिटी को सड़को पर भीड़भाड़ कम करनी चाहिए और वायु प्रदूषण (स्मार्ट सिटी मिशन में इलाके वार तरीके से विकास के रणनीतिक तत्व हैं–शहर का सुधार (पुराने इलाकों का अनुकूल विकास), पुनर्जीवन (पुनर्विकास) और नगरीय प्रसार (हरित क्षेत्र विकास) और संपूर्ण नगरीय विकास जिसमें बुद्धिमत्तापूर्ण समाधान को लागू किया जाएगा और शहर के बड़े हिस्सों को इसकी जद में लिया जाएगा। को भी। साथ ही उसे बेहतर स्वास्थ्य और बेहतर जीवन की गुणवत्ता सुनिश्चित करनी चाहिए। सेंसर का इस्तेमाल और वास्तविक समय में आंकड़ो को प्रदान करने से ये सुनिश्चित हो सकेगा कि सेवाएं कैसे इस्तेमाल करते हैं। घरों में पानी और बिजली के लिए डिजिटल मीटर लगाने से लोग खुद भी अपने उपभोग की दर को देख सकेंगे और संसाधनों का अपव्यय रोक पाएंगे। सूचना और संचार तकनीक को सामाजिक क्षेत्र का भी ध्यान रखना चाहिए और समावेशी होना चाहिए। मिसाल के तौर पर उसका ऐसा उपयोग हो कि कल्पनाशील तरीके से हम सेवाओं को बुजुर्गों, विकलांगों, गरीबों और समाज के अशिक्षित वर्गों तक पहुंचा सकें।

वितः–देश में ढेर सारे सेवा प्रदाता हैं जो विभिन्न क्षेत्रों के लिए सेवा प्रदान कर सकते है। लेकिन इसके लिए वित्त की जरूरत पड़ेगी बहुत सारे शहरो में नगरीय प्रशासन वित्तीय संकट से गुजर रहे है। यहां तक कि आधारभूत सेवाएं और वेतन भी नही दे पा रहे। इसीलिए स्मार्ट सिटीज को सरकार में उच्चतर स्तर में वित्तीय संस्थाओं, निजी क्षेत्र या अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय एजेंजियो से वित्त पोषण हासिल करना होगा। और दीर्घावधि रखरखाव के लिए उपभोक्ताओं से पैसा लेना होगा।

आंकड़ों तक पहुंचः–स्मार्ट शहरो की बुनियादी ढांचों और सेवा की सूचनाओ में खुलापन लाना होगा, खासकर उन सूचनाओ के लिए जो आम जनता से जुड़ी हुई है। इसके लिए प्रत्येक शहर में स्तरीय और मानवीकृत सूचना सेवा के रखरखाव की जरूरत होगी। तकनीक की मदद से सूचनाओं की क्राउड सोर्सिंग (तकनीक के माध्यम से अलग–अलग तरह तरह की सूचनाओं का एक ही जगह जमावड़) भी की जा सकती है जो सामान्य परिस्थितियों में हासिल करना कठिन कार्य होगा। वास्तविक समय में हासिल होने वाले आंकड़े भी होगें। सूचनाओं तक पहुंच से सेवा प्रदान और उपभोक्ता सशक्त होगें। इससे आम जनता का जीवन स्तर सुधरने में मदद मिलेगी।

ऊर्जाः–हरित और स्वच्छ ऊर्जा (नवीकृत स्मार्ट ग्रिड, आधुनिक हरित इमारते जो ऊर्जा और प्राकृतिक संसाधन के इस्तेमाल और संरक्षण को उच्चस्तर तक कर सकती है, से सारी बातें किसी भी स्मार्ट सिटी में होने ही चाहिए)। इससे पर्यावरण की क्षति को भी रोका जा सकेगा, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को भी कम किया जा सकेगा जिस पर भार ने वैश्विक वार्ताओं में सहमति दर्ज की है।

पर्यावरणः–स्मार्ट सिटी में हरित इलाके में जैव–विविधता को प्रोत्साहित करते हो, को इलाके (जैसे पार्क, जंगल आदि) जो सिंक के रूप में काम करें, नागरिकों के लिए खुली जगहें कि वे आपस में बातचीत कर, स्वच्छ हवा, जलाशयों का निर्माण में उनका संरक्षण जिसमें बारिश का पानी जमा हो सकें, भूजल को रिचार्ज किया जा सके ओर तीव्र बरसात के समय उसको सोखने में कर सके, इत्यादि की व्यवस्था होनी चाहिए।

पर्यावरण परिवर्तन के प्रति सुरक्षाः–सिटीज ऐसे हो जो पर्यावरण के अनुकूल उसमें हो रहे बदलावों का समाधान हो सकें और बचाव के उपाय कर सके। इसका मतलब ये है कि स्मार्ट सिटी की योजना बनाते समय ही हमें ऐसे उपायों की योजना बनानी होगी। मिसाल के तौर पर जल क्षेत्र में वर्षा जल संरक्षण, इस्तेमाल किए गए पानी का पुनचर्क्रण, जलापूर्ति के विभिन्न स्त्रोतो की पहचान, जलवाही चटटानों को रिचार्ज करना और जल संरक्षण के उपायों को बढ़ावा देना आदि कार्य शामिल हैं। इससे उन शहरों को जल की समस्या से जूझने में मदद् मिल सकेगी जो पर्यावरण में हो रहे बदलावों की वजह से हो सकते है। दूसरी मिसाल है ऊर्जा के एक ही स्त्रोत पर निर्भरता को कम करना। जैसे छोटी–छोटी छतों पर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना आदि–आदि।

आपदा और जोखिम प्रबंधनः– अक्सर ही कई तरह की आपदाएं शहरों को चोटिल करती रहती है और जैसा कि जलवायु परिवर्तन को लेकर आशंकाएं हैं, इसमें बढोत्तरी ही होगी। इसीलिए स्मार्ट सिटीज को आपदा प्रबंधन को भारतीय शहरों में परिवर्तन लाने में एक जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो ये है कि संस्थाओं और व्यक्तियों का परिवर्तन के प्रति अनुकूलित होना और उसे प्रबंधित करने की उपयुक्त सक्षमता नहीं होना। नए तरीके से काम करने और नई तकनीक का इस्तेमाल करने के लिए हमें नए कौशल और ज्ञान की जरूरत पड़ेगी।

लेकर पहले से तैयार रहने की जरूरत पड़ेगी। उन आपदाओं में बाढ़, भूकंप, आगजनी और भूस्खलन कुछ भी हो सकते हैं। उन आपदाओं के समय ही किसी स्मार्ट सिटी की योजना बनाते समय इस बिन्दु का ध्यान रखना होगा।

सुधारः–शहरी भारत को न केवल उन क्षेत्रों में सुधार की जरूरत है जिसकी वकालत जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) में की गई है बल्कि अगली पीढ़ी के सुधारों को भी करने की आवश्यकता है जो जेएनएनयूआरएम के अगले चरण के लिए रखे गए हैं। बुनियादी ढाचों और सेवाओं के रखरखाव और परिवर्तनों को संवहनीय रूप से लागू करने के लिए उन सुधारो को लागू करना ही होगा।

सुशासनः–किसी शहर को बढ़िया तरीके से प्रबंधित करने के लिए सुशासन एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। विकसित और विकासशील दुनिया का मूल अंतर सिर्फ तकनीक नही है, बल्कि सुशासन है। नियम, विनियम और उनका क्रियान्वयन इस बात में अहम भूमिका निभात है कि कोई शहर कैसे काम करता है। भारत में प्रत्येक क्षेत्र में बहुत ही बढ़िया नियम–कायदे है लेकिन बहुत खराब क्रियान्वयन का रिकार्ड है। स्मार्ट सिटीज में मजबूत प्रशासन की आवश्यकता होगी जिसमें तकनीक का इस्तेमाल अपरिहार्य होगा। स्थानीय स्तर पर हमारे शासन की ईकाइयों को एक दूसरे के साथ तालमेल और सहयोग की भावना से काम करना होगा, न कि पृथक–पृथक अपने अंदाज में जैसा कि ज्यादातर मामलों में आजकल हो रहा है। प्रशासन को सुधारने के लिए एजेंसियों और सरकारी विभागों में सूचनाओं का आदान–प्रदान करना होगा। इसके लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत होगी। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में चुने हुए नेता ही आखिरकार प्रशासन की रूपरेखा तय करते हैं। स्मार्ट सिटीज में पारदर्शी और जिम्मेदार सरकार की आवश्यकता होगी। शहरों के बढ़िया प्रबंधन के लिए प्रशासन में क्षैतिज और लंबवत एकीकरण व तालमेल जरूरी है।

भारतीय शहरों में परिवर्तन लाने में एक जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो ये है कि संस्थाओं और व्यक्तियों का परिवर्तन के प्रति अनुकूलित होना और उसे प्रबन्धित करने की उपयुक्त सक्षमता नहीं होना। नए तरीके से काम करने और नई तकनीक का इस्तेमाल करने के लिए हमें नए कौशल और ज्ञान की जरूरत पड़ेगी। प्रशासन में तभी सुधार आ पाएगा जब इस तरह के ज्ञान और कौशल को नियमित रूप से और सदा चलते रहने वाले क्रियाकलाप के तौर पर लिया जाए।

नागरिकः–किसी भी शहर के कामयाब प्रबंधन में नागरिकों की भूमिका केंद्रीय होती है। प्रशासन को प्रत्येक क्षेत्र में नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित् करने के उपाय करने चाहिए। स्मार्ट सिटीज में ऐसे प्रशासनिक ढांचे होने चाहिए जो नागरिकों की भागीदारी ढांचे होने चाहिए जो नागरिकों की भागीदारी को बढ़ावा दे सके। इससे ऐसा होगा कि लोग शहरों के प्रति अपना लगाव दिखाएगें और इसके नीतिनिर्माण में भागीदारी कर सकेंगे। साथ ही नागरिकों को भी बुनियादी ढाचें और सेवाओं के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार बनाने के लिए पहल की जानी चाहिए। नागरिकों के व्यवहार और उनकी प्रतिक्रिया को बदलने के लिए स्मार्ट सिटीज में उच्च तकनीक समाधान प्रस्तुत करना होगा और इसके लिए सूचना, शिक्षा और संचार की जरूरत पड़ेगी। कानून और विनियमन के द्वारा भी इन व्यवहारों में परिवर्तन लाया जा सकता है।

नागरिकों को सशक्त बनाने में वैसी तकनीक का इस्तेमाल किया जाना चाहिए जो उपयोगी और उपयुक्त हो। मोबाइल फोन, कम्प्यूटर और किओस्क के माध्यम से स्मार्ट सिटीज को अपने नागरिकों तक सूचनाओं को पहुंचाने का काम करना चाहिए।

भारत, भौगोलिक, सांस्कृतिक और विकास के स्तर के सन्दर्भ में एक विशाल देश है। किसी भी स्मार्ट सिटी की योजना बनाते समय देश की विविधता का ख्याल रखा जाना चाहिए। सबके लिए एक ही जैसी योजना से इच्छित नतीजे हासिल नहीं हो पाएगें। हमें अपनी योजनाओं को भी महत्व देने की आवश्यकता है।

किसी भी शहर के कामयाब प्रबंधन में नागरिकों की भूमिका केंद्रीय होती है। प्रशासन को प्रत्येक क्षेत्र में नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित् करने के उपाय करने चाहिए। स्मार्ट सिटीज में ऐसे प्रशासनिक ढांचे होने चाहिए जो नागरिको की भागीदारी को बढ़ावा दे सके।

स्मार्ट सिटीज के विकास में भारत की ललक को देखते हुए सिंगापुर, बियेना (ऑस्ट्रिया), सोंग्डो (कोरिया), बार्सीलोना (स्पेन) आदि शहरों के उदाहरण दिए जाते है। हालांकि भारत अन्य देशों की तरफ प्रेरणा के लिए देख सकता है लेकिन इसे अपने शहरों को तकनीकी रूप से उच्चतर और सुचारू रूप से संचालित करने के लिए अपने देश के हिसाब से समाधान ढूंढने चाहिए। विकासशील स्मार्ट सिटीज के लिए संवहनीय विकास और संवहनीय समाधान आखिरी लक्ष्य होने चाहिए। जब तक हम प्रशासन में सुधार और लोगो के व्यवहार में परिवर्तन नहीं लाएगें, तब तक हम दुनिया के स्मार्ट सिटीज की तरह अपने देश के शहरों को बनाने का स्वप्न पूरा नहीं कर पाएगें। हो सकता है कि हम स्मार्ट सिटीज बनाने में कामयाब हो जाएं लेकिन हमें प्रशासन में सुधार लाना ही होगा ताकि हमारे ये खूबसूरत शहर फिर से पुराने ढरें पर न लौट जाएं। हमें हर व्यक्ति को परिवर्तन के लिए तैयार करना होगा।

सबके लिए आवास - एक बेहतर शहर की परिकल्पना

रजनीश कुमार यादव, मुख्य प्रबंधक–(राजभाषा)
भारतीय स्टेट बैंक, प्रशासनिक कार्यालय

हम स्मार्ट जीवन कैसे जी सकते हैं यह अवधारणा निरंतर विकसित हो रही है और जीवन के हर पहलू में इस ओर लोग कदम उठा रहे हैं। ऐसे में बढ़ती जनसंख्या और तेजी से होते शहरीकरण ने लोगों को बड़े पैमाने पर गांवों से शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन के लिए विवश कर दिया है। इसके परिणामस्वरूप ऊर्जा, परिवहन, जल, आवास एवं सार्वजनिक स्थानों पर बड़ा दबाव पड़ा है। स्मार्ट सिटी जैसे उपायों की अधिक से अधिक आवश्यकता महसूस की जा रही है जो एक ओर तो सक्षम एवं संवहनीय होंगे और दूसरी ओर आर्थिक समृद्धि तथा सामाजिक कल्याण के कारण भी बनेंगे।

उदारीकरण तथा अगली पीढ़ी के सुधारों के साथ ही व्यवस्थित नियोजन तथा भारतीय अर्थव्यवस्था में निहित शक्ति ने ऐसी विकास गाथा का मार्ग प्रशस्त किया है लेकिन इसी के साथ समावेशी विकास सुनिश्चित करते हुए आगे बढ़ना आसान बात नहीं है। बढ़ती आर्थिक सक्रियता और शहरीकरण का हमेशा चोली दामन का साथ रहा है। शहरों में आर्थिक गतिविधियों की तीव्र गति के कारण बेहतर रोजगार और आजीविका की खोज में ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी केन्द्रों की ओर बड़े पैमाने पर पलायन हुआ है। हमारे कई शहर किसी मूल योजना के बगैर अनियोजित विकास के प्रतिकूल प्रभावों से जूझ रहे हैं। दुःख की बात है कि अधिकतर शहरों में पर्याप्त बुनियादी ढांचा नहीं है तथा सूचना प्रौद्योगिकी युक्त सेवाओं के लिए गुंजाइश बहुत कम है। शहरी अमीरों और गरीबों के बीच तेजी से बढ़ती खाई भी गंभीर चिंता का विषय है।

वस्तुतः कृषि क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है तथापि वर्तमान में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का दो तिहाई हिस्सा शहरी क्षेत्र से आता है। यह तथ्य कि शहर भारत के आर्थिक विकास के संचालक हैं, हमारे शहरों में अत्याधुनिक ढांचागत सुविधाओं तथा सेवा आपूर्ति प्रणालियों की आवश्यकता को रेखांकित करता है। स्मार्ट सिटी मिशन स्वच्छ जल की पर्याप्त आपूर्ति, सफाई, ठोस कचरा प्रबंधन, प्रभावी शहरी परिवहन एवं सार्वजनिक परिवहन, मजबूत आईटी संपर्क, गरीबों के लिए किफायती आवास जैसी प्रमुख ढांचागत सेवाओं के इंतजाम पर जोर देता है। देश भर में 100 स्मार्ट शहर बनाने का सरकार का महत्वाकांक्षी कार्यक्रम समोवशी वृद्धि पर आधारित सार्थक एवं सतत विकास को सुनिश्चित करने के लक्ष्य पर केंद्रित है। सबके लिए आवास एवं समावेशी प्रकृति के ऐसे स्मार्ट शहरों को एक बेहतर शहर की परिकल्पना के लिए शहर के सर्वांगीण विकास हेतु अत्याधुनिक आईटी उपकरणों का प्रयोग करते हुए शहरी गरीबों तथा वंचित वर्गों के लिए रोजगार के और अवसर सृजित करेंगे।

अटल मिशन फॉर रिजुवनेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन (अमृत) स्मार्ट सिटीज मिशन के लिए पूरक का कार्य करेगा। स्मार्ट सिटी मिशन एवं अमृत पर क्रमशः 48,000 करोड़ रूपये और 50,000 करोड़ रूपये खर्च किए जाने हैं।

एक अन्य कार्यक्रम प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत सरकार झुग्गीवासियों तथा आर्थिक रूप से कमजोर एवं कम आय वाले वर्गों से आने वाले वर्गों के लिए शहरी क्षेत्रों में 2 करोड़ किफायती मकानों के निर्माण पर अगले सात वर्ष में लगभग 3 लाख करोड़ रूपये खर्च करेगी। आजीविका की कठोर वास्तविकता से जूझ रहे लाखों झुग्गीवासियों एवं शहरी गरीबों के लिए यह वरदान के जैसे होगा।

सूचना एवं डिजिटल प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए अत्याधुनिक ढांचागत सुविधाएं एवं प्रभावी सेवा प्रणाली उपलब्ध कराने के लक्ष्य के साथ स्मार्ट सिटीज मिशन सामाजिक एवं आर्थिक विभाजन पाटने में योगदान करेगा। साथ ही अन्य देशों के स्मार्ट शहरों की नकल करने के बजाए भारत को अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप अपनी रणनीतियां तैयार करनी होगी। प्रौद्योगिकी विशेषकर आई टी क्षेत्र में महारत तथा दक्ष कर्मचारियों की पर्याप्त उपलब्धता स्मार्ट सिटीज परियोजना एवं बेहतर शहर की परिकल्पना के क्रियान्वयन में भारत के लिए लाभप्रद है। जनता के सही रवैये, प्रभावी प्रशासन एवं भ्रष्टाचार उन्मूलन से ही भारत में सबके लिए आवासीय सुविधा तथा बेहतर शहरों की परिकल्पना की जा सकती है और भारत स्मार्ट जीवन के युग में प्रवेश करने तथा अपने नागरिकों के लिए अधिक स्मार्ट दुनिया बनाने की आशा कर सकता है।

सबके लिए आवास एवं एक बेहतर शहर की परिकल्पनाः संक्षिप्त पृष्ठभूमि

उक्त उद्देश्य की पूर्ति हेतु 25 जून, 2015 को भारत ने अपने बहुप्रतिक्षित शहरी कायाकल्प मिशन का शुभारंभ किया था। संक्षिप्तः इस मिशन का उद्देश्य राज्यों को 100 स्मार्ट सिटी के निर्माण, 500 वर्ग –1 के शहरों के कायाकल्प, तथा 2022 तक सभी के लिए आवास सुनिश्चित करने, 2019 तक भारत को स्वच्छ बनाने, और विरासत केंद्रो के सुरक्षित रखने के लिए सहायता प्रदान करना था। सबके लिए आवास तथा एक बेहतर शहर की परिकल्पना को साकार करने के लिए 1– 3 अगस्त 2015 को सरकार की थिंक टैंक नीति आयोग ने मानव विकास संस्थान (आई एच डी) एवं फलोरिडा विश्वविद्यालय के साथ मिलकर 'भारत में सतत और समावेशी शहरी विकास' पर एक तीन दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया जिसमें बड़ी संख्या में शहरी विशेषज्ञ शामिल हुए। सबके लिए आवास एवं बेहतर शहर की सुविधाओं की आपूर्ति में कुशलता हमारे जीवन को कई प्रकार से प्रभावित करता है। एक बेहतर शहर की परिकल्पना तीन मुख्य बिंदुओं पर की जा सकती है। (1) किसी शहर को बेहतर तभी कह सकते हैं जब वह यह सुनिश्चित करता है कि नगर के भीतर आर्थिक उद्यमों के विस्तार हेतु निवेश आकर्षित करने के लिए सकारात्मक संतुलन अर्थव्यवस्थाओं से जुड़ता है, वहन करने योग्य मूल्य पर सभी को आधारभूत सुविधाएं मुहैया कराता है तथा ग्रामीण शहरी संपर्कों को मजबूत करने का लाभ प्राप्त करता है। (2) वह यह भी सुनिश्चित करता है कि वह व्यवस्थित रूप से बसा हुआ है और सामूहिक स्थलों आदि के निर्माण के जरिए लोगों को उच्च स्तरीय जीवन प्रदान

करता है। (3) वह यह सुनिश्चित करता है कि इसका ऊर्जा उपभोग संतुलित है और भौतिक पर्यावरण के साथ इसका साहचर्य स्थायी है।

समावेशी आर्थिक वृद्धि और बेहतर शहर की परिकल्पना:

एक कुशल शहरीकरण कई मायनों में महत्वपूर्ण होता है। तीव्र समावेशी विकास के लिए तत्काल रूप से जरूरी है कि गैर–कृषि क्षेत्र में और भी तीव्र गति से लाभकारी रोजगार के अवसर उत्पन्न किए जाएं। हाल के वर्षों में कृषि क्षेत्र में प्रभावी वृद्धि दर होने के बावजूद सेवा और विनिर्माण क्षेत्रों में लाभकारी आजीविका के अवसरों के सृजन की क्षमता बहुत अधिक रही। स्थानीय तौर पर चूंकि ये क्षेत्र बड़े पैमाने पर शहरी हैं, इससे यह स्पष्ट होता है कि कुशल शहरीकरण समावेशी विकास के लिए जरूरी आरंभिक शर्त है।

यदि शहरी भारत, भारत के कुल जीडीपी का 63 प्रतिशत उत्पादित करता है और फिर भी गांव से शहर की ओर पलायन पूर्ववत जारी है, यह दिखाता है कि हमारे शहरों को अब भी समावेशी होने की जरूरत है। इसलिए किसी भी स्मार्ट सिटी में शहरी प्रबंधकों को निम्न विशेष कार्यों को करने की जरूरत है: भारत को यदि यह सुनिश्चित करना है कि उसकी विकास प्रक्रिया व्यापक और समावेशी रहे। वास्तविक रूप से, स्मार्ट सिटी के निर्माण मे विकास के मानदंडों का सावधानीपूर्वक आकलन आवश्यक है। इसमें एक तरफ जहां शहर की राशि, स्थल और आसपास से इसका संपर्क महत्वपूर्ण बिन्दु है, वहीं दूसरी तरफ शहर की क्षमता मुताबिक वास्तविक योजनाएं और उसे पूरा करने के लिए संसाधन शामिल हैं।

बेहतर शहर की परिकल्पना को मूर्त रूप देते हुए भारत सरकार द्वारा अटल मिशन फॉर रेजुवनेशन एंड अर्बन ट्रासंफॉमेशन – अमृत) के रूप में एक कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। अमृत के तहत 500 शहरों में अवसंरचनात्मक ढाचों का विकास किया जाएगा और 2022 तक सभी के लिए आवास मुहैया कराने का लक्ष्य है, जिसके तहत पानी, बिजली, स्वच्छता, ब्राडबैंड आदि से युक्त किफायती मकानों के निर्माण को बढ़ावा दिया जाना लक्षित है।

सबके लिए आवास तथा बेहतर शहर की परिकल्पना के समक्ष चुनौतियां:

शहरी योजना शहर प्रबंधन में सबसे कमजोर कड़ियों में से एक रहा है। मध्य वर्ग एवं शहरी उच्च वर्ग द्वारा शहर के शासन पर कब्जा जमा लेना जिसमें शहरी गरीबों के लिए बहुत कम स्थान रह जाता है, ऐसी और भी कई कमियां हैं। इसके अलावा भूमि उपयोग का मसला बाजार की सच्चाईयों और परिवहन योजनाओं से बेपरवाह चिंताजनक स्थिति में होता है। शहरी शासन का सशक्तीकरण करना और उसकी वित्तीय स्थिति को मजबूत करना, सतत विकास हेतु और अधिक कुशल भूमि उपयोग के लिए शहरी स्तर पर नियोजन में सुधार, शहरी गरीबों को आधारभूत सुविधाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करना, शहरी स्तर की परियोजनाओं में निजी साझेदारी को बढ़ावा देना, शहरी भूमि बाजार में मौजूद विकृति को दूर करना और शासन में सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित करना और पारदर्शिता लाना आदि उनके प्रमुख चरण होंगे।

शहरी नियोजन जैसे शहरों का प्रबंधन, मेट्रो रेल जैसी शहरी परिवहन परियोजनाएं, स्वच्छता एवं जल आपूर्ति जैसी परियोजनाओं का नियोजन वास्तव में तकनीकी पहलू हैं और शहरी शासन में विशेषज्ञों के महत्व को नजरअंदाज करना जोखिम भरा हो सकता है।

सभी के लिए आवास कार्यक्रम को प्रभावित करने वाले चुनौतियों में एक यह भी है कि नगर निकायों या शहरी भूमि पर नियंत्रण की कमी होना, क्योंकि सामान्य तौर पर इनका प्रबंधन डीडीए और एयूडीए जैसे विकास एजेंसियां करती हैं। अतः झुग्गी पुनर्वास और सभी के लिए आवास की जिम्मेवारी नगरपालिकाओं की ही होनी चाहिए, जबकि इन कामों को पूरा करने के लिए जरूरी भूमि पर नियंत्रण दूसरी एजेंसी को होना चाहिए।

सबके लिए आवास तथा बेहतर शहर की परिकल्पना हेतु समाधान एवं संस्तुतियां:

- उक्त मिशन की सफल क्रियान्वयन एवं रणनीति में शहरी शासन से संबंधित सुधारों को शामिल करने की अत्यंत आवश्यकता है। लघु और मध्यम अविध में गुणवत्तापूर्ण कर्मचारियों की कमी की समस्या के हल के लिए मंत्रालय यूएलबी के लिए धनराशि की व्यवस्था कर सकता है जिससे बाजार से उपयोगी कर्मियों की व्यवस्था की जा सके, क्योंकि समर्पित नगरपालिका कर्मचारियों का सृजन खर्चीला और समय खपाने वाली प्रक्रिया है जो कि केवल लंबे समय के लिए उपयोगी रणनीति हो सकती है।
- जेएनएनयूआरएम की तर्ज पर ही सरकार को भी विभागीय कर्मचारियों जो कि अभी शहरी शासन में कार्यरत हैं के साथ 18 कार्यों की जिम्मेदारी हस्तांतरित कर राज्यों को लाभ पहुंचाते रहना चाहिए।
- राज्य/शहर नियोजन के लिए व्यापक नमूने की व्यवस्था करना चाहते हैं जिसे कि एक तरफ तकनीकी रूप से मजबूत कदम कहा जा सकता है, तो दूसरी और सहयोगात्मक नियोजन तकनीक को शामिल करता है। किसी भी प्रकार से यह एक असाधारण कदम नहीं है।
- नागरिक समाजों और नगर निकायों के बीच रचनात्मक सहयोग के लिए उपयुक्त प्लेटफार्म तैयार करने की अत्यंत आवश्यकता है।

निष्कर्ष :

वास्तव में स्मार्ट शहर डिजिटल विभाजन को बढ़ाने के लिए नहीं बल्कि शहर के भीतर एवं शहर तथा गांवों के बीच विभाजन समाप्त करने के लिए हैं। स्मार्ट शहर के विचार को सूचना एवं डिजिटल प्रौद्योगिकियों के प्रयोग से शहरी क्षेत्रों में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने एवं पर्याप्त तथा प्रभावी सेवा आपूर्ति सुनिश्चित करने की दृष्टि से देखा जाना चाहिए। इन कार्यक्रमों की सफलता का निर्णय भविष्य में यह देखकर होगा कि इन्होंने लोगों के जीवन को कितना बदला और हमारे समाज में बढ़ रही असमानता को कितना कम किया। चार्ल्स डारविन ने कहा है कि " आने वाली वही जाति ही अपनी उत्तरजीविता साबित कर पाएगी जो कि नए बदलाव को कितनी ही कुशलता से अंगीकार करती है।"

भविष्य के शहरों की जरूरतें एवं चुनौतियाँ

सतीश सिंह, प्रबंधक
भारतीय रिजर्व बैंक

शहर अपने आप में एक बहुत बड़ी उम्मीद है। शहर एक सपनों की दुनिया है, जिसके लिए प्रत्येक वर्ष, किसी न किसी कारणवश लाखों लोग गांव से शहर की तरफ पलायित हो जाते है। जब कोई युवक या युवती गांव से शहर की तरफ रूख करता है, तो उसके साथ उसके अपने झोले में सपनों की पोटली होती है। यह बात हर समय–काल के शहर के लिए सत्य रही है–चाहे वह भूत काल का इंद्रप्रस्थ, पाटिलीपुत्र, विदिशा, या कलिंग रहा हो या वर्तमान का नोएडा, गुरुग्राम, बेंगलुरु, पेरिस या बेल्जियम। इन्हीं परिकल्पनाओं को ध्यान में रखकर हम यहां भविष्य के शहरों की जरूरतें और चुनौतियों का वर्णन करेंगे, ताकि भविष्य के शहरों में आने वाले हर युवक और युवती का सपना पूरा हो सके।

भविष्य के शहरों की जरूरतें एवं चुनौतियाँ के विस्तार में जानने से पहले, आइए हम भविष्य के शहरों का संक्षिप्त चित्रण करते है। आमतौर पर, शहर एक घनी आबादी का क्षेत्र होता है, जहाँ आधुनिक सुविधाएं एवं क्रियाकलाप होते है। कृषि एक पारम्परिक क्रिया है अतः शहरों में गैर–कृषि कार्य होते है। यदि हम भविष्य के शहरों की बात करें, तो हम एक ऐसे शहर की कल्पना करते हैं, जो एक तरफ आज के शहरों की कमियों को दूर करे, वहीं दूसरी तरफ भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के साथ–साथ भविष्य की चुनौतियों का सामना करने में भी सक्षम हो।

ऐसी ही कुछ बातों को ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार ने 2015 में स्मार्ट सिटी नामक अभियान शुरू किया था, जिसके तहत चुनिंदा शहरों के कुछ क्षेत्र को एक आदर्श प्रारूप देने की परिकल्पना की गयी थी। साथ ही ऐसे आदर्श प्रारूप से यह आशा थी कि इनकी खूबियां अन्य क्षेत्र में भी प्रसारित होगी।

अब हम आते है भविष्य के शहरों की जरुरत और चुनौतियों पर। यदि हम भविष्य के शहरों की जरुरत और चुनौतियों को समझना चाहते है तो हमें उस युवक या युवती के जरुरत और चुनौतियों पर ध्यान देना होगा जो कि भविष्य के शहर में प्रवेश करने वाले उस युवक या युवती के सम्मुख होंगी।

गाँव से शहर पलायन का मुख्य कारण रोजगार होता है। इसलिए हमें सबसे पहले रोजगार सम्बंधित जरुरत और चुनौतियों को समझना होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत में शहरी और ग्रामीण जनसँख्या का अनुपात 30:70 था, जो 2045 के करीब बराबर हो जायेगा अर्थात गाँव और शहरों की जनसंख्या बराबर हो जाएगी। इस बढ़ती हुई शहरी जनसंख्या के लिए नए रोजगार उत्पन्न करना जरुरत और चुनौती दोनों ही रहेगी। जाहिर सी बात है कि ज्यादातर जनसंख्या कृषि छोड़कर विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्र में जुड़ेंगे। इन क्षेत्रों में इतने बड़े स्तर पर रोजगार के अवसर उत्पन्न करना, अपने आप में एक चुनौती है। साथ ही, आने वाले समय में उन्नत तकनीकी जैसे साइबर सिस्टम, आर्टिफीसियल इंटेलिजेंस, डाटा साइंस, रोबोटिक्स, इत्यादि क्षेत्र में रोजगार की आवश्यकता होगी। ऐसे क्षेत्रों के लिए भविष्य में शिक्षा एवं कौशल प्रदान करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य होगा।

रोजगार के बाद उस युवक या युवती की दूसरी जरुरत क्या होगी? हर इंसान को रोज अपने काम–काज के बाद अपने घर वापस लौटना होता है। जाहिर सी बात है कि भविष्य के शहरों को आवास पर भी उचित ध्यान देना होगा। यह आवास बढ़ती हुई जनसँख्या और बढ़ती हुई पलायन– दोनों के मद्देनजर होना चाहिए। ऐसे में चुनौतियाँ होगी – झुग्गी–झोपड़ियों में बसी शहरी गरीबों का पुनर्वास। ऐसे क्षेत्रों में आवास के साथ–साथ उसके पूरक सुविधाएँ जैसे जल–निकासी व्यवस्था (ड्रेनेज सिस्टम) पर भी उचित ध्यान देना होगा।

रोजगार, आवास के साथ–साथ मानव की मूलभूत जरुरत है शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा का। शिक्षा क्षेत्र में सरकारी विद्यालयों को अधिक प्रभावशाली बनाने की जरुरत होगी। साथ ही शिक्षा और रोजगार में एक अच्छा योग लाना होगा, जिससे कि शिक्षा के उपरांत उचित रोजगार के अवसर आसानी से उपलब्ध हो, जो पारम्परिक रोजगार के साथ–साथ अत्याधुनिक रोजगार के भी अवसर प्रदान करे। इसी प्रकार स्वास्थ्य क्षेत्र में भी सरकारी तंत्र को सुदृढ़ बनाने की जरुरत है, क्योंकि समाज का गरीब–तबका इन सरकारी अस्पतालों पर निर्भर रहता है और कोई भी समाज तब तक खुशहाल नहीं माना जाता, जब तक उसके सबसे गरीब या कमजोर वर्ग की मूलभूत समस्याएं हल न हो। ऐसे में दिल्ली सरकार द्वारा संचालित मोहल्ला क्लीनिक, इस दिशा में एक कारगर कदम साबित हो सकता है।

भविष्य के शहरों की जरूरतें एवं चुनौतियों के सन्दर्भ में सुरक्षा का आयाम अति महत्वपूर्ण रहेगा। सीसीटीवी और साइबर की दुनिया में अधिकार और कर्तव्य दोनों का द्वंद्व रहता है। जहां एक तरफ डिजिटल और ऑनलाइन सेवाएं हर काम चुटकियों में करेगी, वहीं थोड़ी सी चूक गंभीर समस्या भी खड़ी करेगी। इसका आसान उदाहरण इंटरनेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग से समझ सकते है, जहाँ एक छोटी सी भूल किसी की वर्षो की कमाई को चुटकियों में उड़ा सकती है। मोबाइल और कंप्यूटर के इस युग में निजता के अधिकार की रक्षा के लिए लड़ाई और अधिक कठिन होगी। फेसबुक, ट्विटर, जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मानव की सोच एवं व्यव्हार दोनों पर अपना प्रभाव छोड़ेंगे।

इसी तरह महिलाओं की सुरक्षा, इसी क्रम में, जरुरत और चुनौती का एक आयाम होगा। ऑनलाइन दुनिया में एक तरफ महिलाओं के अधिकार का पुरजोर समर्थन होता है, वही दूसरी तरफ सोशल मीडिया ट्रायल द्वारा ये किसी बड़ी से बड़ी हस्ती को घुटनो पर लाने का भी सामर्थ्य रखते है। उदाहरण स्वरुप आजकल शुशांत–रिया मामले में देख लीजिए, खैर यह मामला इतना विवादस्पद हो चुका है कि इस पर कोई भी टिप्पड़ी बेमानी है। महिला सुरक्षा आयाम में साइबर स्टाकिंग (पीछा करना),

ट्रोलिंग (किसी के चित्र आदि का उपहास करना), बॉडी शेमिंग (शरीर आदि का मजाक उड़ाना), ऑनलाइन हरैसमेंट (उत्पीड़न) आदि की घटनाये बढ़ेगीं।

भविष्य में मौसम परिवर्तन एक विकट समस्या होगी। मौसम परिवर्तन के कारण बाढ़, भूकंप, सूखा, भूजल के जलस्तर में कमी, इत्यादि घटनाएं बढ़ती जा रही है। साथ ही विभिन्न प्रकार के प्रदूषण– जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण आदि अपना प्रकोप और अधिक बढ़ाएंगे। इस वर्ष के ही मानसून ने जयपुर, गुरूग्राम जैसे शहरों की पोल खोल दी। जबकि मुंबई जैसे शहरों के लिए तो हर साल की बारिश अपने आप में एक चुनौती है।

ज्यादातर बड़े शहर जैसे मुंबई, चेन्नई आदि समुद्र के किनारे बसे है। वैश्विक तापमान (ग्लोबल वार्मिंग) से समुद्री जलस्तर तो बढ़ेगा ही, जिससे ऐसे शहरों का एक बड़ा भूभाग जलमग्न हो जायेगा। भविष्य के शहरों को ऐसी चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए। भूजलस्तर में कमी के कारण ही इस वर्ष मुंबई महानगरपालिका को जल आपूर्ति को 10 प्रतिशत कम करना पड़ा। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि भविष्य में जल आपूर्ति और भी कम हो सकती है।

कोरोना की महामारी ने लगभग प्रत्येक क्षेत्र में एक नया अध्याय जोड़ दिया है। भविष्य के शहरों की जरूरतें एवं चुनौतियों के इस वर्णन में भी इस महामारी से बहुत कुछ सीखने के लिए है। कोरोना महामारी का सबसे बुरा असर शहरों पर ही पड़ा। घनी आबादी होने से शहरों में इसका प्रकोप बढ़ता ही गया। वही दूसरी तरफ सीमित क्षेत्र होने से सामाजिक दूरी (सोशल डिस्टैन्सिंग) का पालन भी असंभव हो गया। अब धीरे–धीरे जब तालाबंदी में छूट दी जाने लगी है, ऐसे में सामाजिक दूरी का पालन और मुश्किल हो जायेगा। यह तो बस सोचने की बात है कि जो मुंबई लोकल ट्रेन या दिल्ली मेट्रो इतनी ठसाठस भरी रहती थी, कोरोना काल में उनमें यात्रा कैसे संभव होगी।

यातायात के साधन, खासतौर से तालाबंदी के दौरान रेलवे के बंद होने से शहरों से गाँव की वापसी एक दुखद वृतांत था। ऐसे में भविष्य में महामारी के समय शहरों से भारी संख्या में गरीब जनता के निकास के समूचे प्रबंध के लिए तैयार रहना होगा।

आज का शहर जिन अच्छे अस्पतालों पर हमेशा नाज करता रहा है, कोरोना महामारी में उन्हीं अस्पतालों की कमर टूट गयी। जिससे यह साफ झलकता है कि हमें इस दिशा में लम्बी दूरी तय करनी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का ऐसा मानना है कि भविष्य में ऐसी महामारियों का प्रकोप एवं आवृत्ति दोनों ही बढ़ेगी, जिसके लिए भविष्य के शहरों को तैयार रहना चाहिए। साथ ही भारत जैसे विकासशील देशों में स्वास्थ्य प्रणाली को सुदृढ बनाने की आवश्यकता है, जिससे कि भारत की जनता को कोरोना की दवा के लिए विकसित देशों का मुँह न देखना पड़े।

भविष्य के शहरों की जरुरत और चुनौतियों की सूची में हम कुछ और आयाम भी देख सकते है। जैसे सामाजिक आयाम में भविष्य के शहरों को जरुरत होगी कि वे वरिष्ठ वर्ग और बच्चो के देखभाल एवं मनोरंजन का उचित प्रबंध करे। क्योंकि युवा वर्ग तो अपने रोजगार–परिवार आदि उलझनों में व्यस्त रहता है। परन्तु, बच्चे और बूढ़े, जिन्हे सबसे अधिक देखभाल की आवश्यकता होती है, उन्हें शहरी माहौल में अपने हम–उम्र का साथ नहीं मिल पाता है।

नैतिक और मूल्यों के सन्दर्भ में शिक्षा की भूमिका अहम् रहेगी। भविष्य के शहर आधुनिकीकरण और पाश्चात्य सभ्यता के अनुकरण में निःसंदेह आगे रहेंगे, लेकिन उन्हें भारतीय परंपरा और संस्कृति को भी नहीं भूलना होगा।

जरूरतें एवं चुनौतियों की इस दिशा में एक आवश्यक कड़ी है– राजनीतिक एवं प्रशासनिक सुधार। भविष्य के शहरों को भविष्य की जरुरत पूरा करने के लिए और भविष्य की चुनौतियों से लड़ने के लिए यह जरुरी होगा कि वो राजनीतिक एवं प्रशासनिक आधार पर भविष्य के अनुसार ढले हो। इसके लिए शहर को अपने आप में एक स्वायत्त इकाई के रूप में विकसित होना होगा, जहाँ उन्हें अपने कार्य–सीमा में अधिकारों की स्वतंत्रता हो। वह वित्तीय स्वायत्तता के लिए उचित कर जैसे संपत्ति कर, मनोरंजन कर इत्यादि लगा सके। वहीं प्रत्येक शहर अपने लिए मानव–संसाधन का उचित प्रबंध कर सके। तभी वह अपने कार्यक्षेत्र जैसे सड़क, स्वास्थ्य, सफाई, बिजली, पानी, ट्रैफिक, सुरक्षा (पुलिस) इत्यादि के क्षेत्र में अपना दायित्व बखूबी निभा सकेंगे।

वैश्वीकरण और पूँजीवाद के इस युग में भविष्य के शहरों को लगभग हर क्षेत्र में आत्म–निर्भर होने की जरुरत होगी। इसकी महत्ता का अंदाजा हम भारत सरकार द्वारा आयोजित आत्म–निर्भर भारत अभियान से भी कर सकते है। आर्थिक–सुधार जैसे व्यापार करने में आसानी आदि क्षेत्र में सकारात्मक कदम उठाने की जरुरत है, जिससे कि भारतीय अर्थव्यवस्था फीताशाही से निकल कर आर्थिक उन्नति के राह पर जा सके। भारत अब 5 ट्रिलियन अर्थव्यस्था की चाह रखता है। ऐसे सपनो को पूरा करने के लिए इन आर्थिक सुधारों के साथ–साथ, अर्थव्यवस्था के अन्य घटक जैसे आयात–निर्यात, निवेश और उत्पादन पर भी ध्यान देना होगा। ये सब बाते भविष्य के शहरों से इसलिए भी जुड़ी हुई है क्योंकि अर्थव्यवस्था का अधिकांश भाग शहरों से ही पूरा होता है। शहर ही भारतीय अर्थव्यवस्था के केंद्र बिंदु है। इन्हीं से सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में अधिकांश योगदान होता है।

और सबसे अंत में यह कहना उचित होगा कि कोई भी शहर गाँव के बिना अधूरा है। शहर और गाँव एक दूसरे के पूरक है। भविष्य के शहरों की जरुरत के लिए इनके साथी या हमराही गाँव होंगे। और यदि इनके साथ समन्वय न बैठाया गया तो यह चुनौतियों में बदल जायेगें। इन सब बातों को यदि ध्यान में रखा जाये तो कोई भी युवक या युवती निश्चय ही अपने सपनों के शहर में रह सकेंगे और अपने सपनों को साकार कर सकेंगे। भविष्य के शहर का सहर यही होगा।

स्मार्ट सिटी: भविष्य के शहर

सिम्मी कुमारी, सहायक प्रबंधक
इण्डियन ओवरसीज बैंक

स्मार्ट सिटी का नाम सुनते ही मन में एक सकारात्मक सोच एवं अनगिनत कल्पना उमड़ने लगती है। उमड़े भी क्यों ना आजकल हर व्यक्ति स्मार्ट काम करना पसंद करने लगा है। जिस प्रकार हम स्मार्ट फोन, स्मार्ट टी.वी, स्मार्ट वर्क, स्मार्ट लोग, स्मार्ट कार यानि कि ड्राइवरलेस गाड़ी इस्तेमाल करने लगे है वैसे ही आजकल हर व्यक्ति की मांग स्मार्ट सिटी की होने लगी है। आजकल जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है। आजकल छोटा से लेकर बड़ा, अमीर से लेकर गरीब तक हर किसी की चाहत होती है कि उसका एक छोटा सा घर हो। अब तो प्रमुख शहरों या महानगरों में कहीं भी खाली जमीन ही नहीं बची है बची भी है तो उनकी कीमत आसमान छूती है। हर व्यक्ति आजकल गांव से निकल कर शहर में बसना चाहता है क्योंकि गांव की अपेक्षा शहरों में रोजगार, स्कूल, अस्पताल, वाहन, आदि सुविधाएं मौजूद है। महानगर में बढ़ती हुई जनसंख्या एवं सीमित भू–भाग के कारण फ्लैट का प्रचलन काफी बढ़ गया है किंतु आजकल फ्लैट का किराया भी आम इंसान की जेब पर भारी पड़ रहा है। आज के समय में हर इंसान रोजगार के कारण दूसरे शहरों में बसने के लिए मजबूर है। शहरों की आबादी बढ़ने के कारण साफ–सफाई एवं कचरों में भी लगातार इजाफा हो रहा है। ऐसे में एक स्मार्ट सिटी की कल्पना को साकार करना आज के समय के अनुकूल है। 'स्मार्ट सिटी' कहने का क्या अर्थ है? एक ऐसा छोटा सा शहर जो मूलभूत सुविधाओं, नई–नई तकनीकों एवं ग्रीनरी अर्थात हरित पेड़–पौधों से परिपूर्ण हो। किंतु स्मार्ट सिटी की ऐसी कोई परिभाषा नहीं है जिसे सर्वत्र स्वीकार किया जाता है। अलग–अलग लोगों के लिए इसका आशय अलग–अलग होता है। अतः स्मार्ट सिटी की संकल्पना, शहर–दर–शहर और देश–दर–देश भिन्न होती है जो विकास के स्तर, परिवर्तन और सुधार की इच्छा, शहर के निवासियों के संसाधनों और उनकी आकांक्षाओं पर निर्भर करता है। चलिए आगे हम इस पर विस्तार से चर्चा करते है कि आजकल स्मार्ट सिटी क्यों आवश्यक है?

स्मार्ट सिटी क्यों आवश्यक है? :– जैसा कि हम सब जानते है कि लोग आजकल रोजगार की तलाश में गांवों से पलायन कर रहे है ऐसे में शहरों में जनसंख्या एवं मूलभुत सुविधाओं पर अत्याधिक बोझ बढ़ रहा है। पिछले वर्ष ही चेन्नई एवं दिल्ली जैसे शहरों में पानी की किल्लत की समस्या आ पड़ी थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक चेन्नई में ग्राउड जीरों वाटर है जिससे कि हर वर्ष कुछ क्षेत्रों में पानी की मार से जूझना पड़ता है। जिनके पास पैसा है वो पानी खरीद कर इस्तेमाल कर लेते है परंतु वहीं के बाशिदें जो गरीब तबके के है उन्हें इस किल्लत से रूबरू होना पड़ता है। दिल्ली जैसे शहर में बिजली की किल्लत है तो मुम्बई में परिवहन की बहुलता है जिससे कि सड़क पर यदि जाम लग जाएं तो घंटों फंसे रहना पड़ जाता है। ऐसे में एक स्मार्ट सिटी ही है जो लोगों को इन असुविधाओं से बचा सकता है जो आने वाले समय में भविष्य के शहर की जरूरत है। हमें शुद्ध वातावरण एवं तरो ताजी हवा लेने के लिए फिर से गांवो की ओर जाना होगा जहां प्रकृति के नजदीक रहकर शुद्ध जल, ताजी हवा एवं बिजली मिल सके। ऐसे में स्मार्ट सिटी का होना अति आवशयक है। चलिए जानते है स्मार्ट सिटी क्या है? स्मार्ट सिटी का मतलब ऐसे शहरों से है जहां पानी और बिजली की अच्छी व्यवस्था हो, साथ ही साफ–सफाई और कचरा प्रबंधन, शहर में आने जाने के लिए परिवहन का बेहतरीन साधन, तकनीकी कनेक्टिविटी, ई–गवर्नेंस, नागरिकों की सुरक्षा, शासन में नागरिकों की भागीदारी जैसी कई सुविधाएं मौजूद हों।

स्मार्ट सिटी की खूबियां : इन सुविधाओं से लैस होंगे चाहिए स्मार्ट सिटी

1. वर्ल्ड क्लास ट्रांसपोर्ट सिस्टम 2. 24 घंटे बिजली–पानी की आपूर्ति 3. सरकारी कामों के लिए सिंगल विंडो सिस्टम 4. एक जगह से दूसरे जगह तक 45 मिनट में आने–जाने की व्यवस्था 5. स्मार्ट शिक्षा की सुविधा 6. पर्यावरण के अनुकूल माहौल 7. बेहतर सुरक्षा और मनोरंजन सुविधा

स्मार्ट सिटी बनाने में सरकार द्वारा पहलः सरकार भी अब समझ गई है कि शहरों में अब रहने के लिए जगह नहीं बची है शहरों का जल, हवा, दूषित हो गई है। ऐसे में अब छोटे शहरों का विकास करना अहम हो गया है। केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने बताया कि इस परियोजना के लिए 50,802 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। पांच सालों में स्मार्ट शहर बनाएं जाएंगे। इन शहरों को आने वाले पांच सालों में तमाम सुविधाओं से लैस किया जाएगा। इस स्मार्ट सिटी परियोजना की विभिन्न चरणों के प्लानिंग में 1.52 करोड़ नागरिकों ने हिस्सा लिया। स्मार्ट सिटी बनाने के लिए सबसे पहले मोदी सरकार के पहले बजट में घोषणा की गई थी। 2014 के यूनियन बजट में वित्त मंत्री श्री अरूण जेटली जी ने 150 शहरों के स्मार्ट सिटी के लिए रू. 7016 करोड़ रूपये का प्रावधान रखा था 25 जून, 2015 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने "100 स्मार्ट सिटी मिशन" लांच किए जिसके लिए कुल रू. 98000 करोड़ का अनुमोदन प्राप्त हुआ जिसमें 100 शहरों को स्मार्ट बनाने एवं 600 शहरों का कायाकल्प करने का लक्ष्य रखा गया था। पहले चरण में कुल 20 शहर सम्मिलित

थे। इस योजना के तहत चुने गए शहरों को आने वाले पांच सालों तक 100 करोड़ रुपये की मदद की जाएगी। इस परियोजना के तहत 100 शहरों का चुनाव होना था। जिसमें से 20 शहरों की लिस्ट केन्द्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने जारी की थी। आने वाले दो सालों में 40–40 शहरों का चयन किया गया। केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने स्मार्ट सिटी की लिस्ट जारी की थी जिसमें उन 20 शहरों के नाम शामिल है जिन्हें पहले स्मार्ट बनाने के लिए चुना गया है।

ये हैं स्मार्ट सिटी बनने वाले पहले 20 शहर–

1. भुवनेश्वर 2.पुणे 3. जयपुर 4. सूरत 5. कोच्ची 6. अहमदाबाद 7. जबलपुर 8. विशाखापट्टनम 9. सोलापुर 10. दावणगेरे 11. इंदौर 12. नई दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन (एनडीएमसी) 13. कोयंबटूर 14. काकीनाड़ा 15. बेलगाम 16. उदयपुर 17. गुवाहाटी 18. चेन्नई 19. लुधियाना 20. भोपाल

स्मार्ट सिटी के विकास की संभावनाएं :– छोटे शहरों का विकास करना अब अति आवश्यक हो गया है। हम कुछ तकनीकों की मदद एवं सुव्यवस्थित योजना बनाकर स्मार्ट सिटी बना सकते है। अब सरकार भी इसके विकास की संभावनाएं तलाशने लगें है। निम्न बातों को ध्यान में रखकर भविष्य के शहर का निर्माण किया जा सकता है:

1. **क्षेत्र आधारित घटनाक्रमों में मिश्रित भू–उपयोग को बढ़ावा देना :–** अनियोजित क्षेत्रों के लिए नियोजन जिसमें भू–उपयोग को अधिक कुशल बनाने के लिए बहुत–सी संगत गतिविधियां और एक–दूसरे के सन्निकट भू–उपयोग निहित हैं। राज्य भू–उपयोग में कुछ लोचशीलता ला सकते हैं और ऐसे उप–कानून बना सकते है ताकि परिवर्तन के अनुसार ढ़ल सकें।

2. **हाउसिंग और समावेशिता : –** उच्च कोटी के इंजीनियर एवं बिल्डरों से मिलकर शहर के बाहर जहां जल का अच्छा स्त्रोत हो, बिजली आसानी से पहुंचायी जा सके, शुद्ध वातावरण हो जहां जीवन की सभी संभावनाओं को समावेशित कर हाउसिंग के अवसरों का सभी के लिए विस्तार करना और नए शहर का निर्माण एवं विकास करना।

3. **पैदल चलने योग्य लोकेलिटी का निर्माण : –** भीड़–भाड़, वायु प्रदूषण और संसाधनों की कमी को कम करना, स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना, अंतक्रिया को बढ़ावा देना और सुरक्षा सुनिश्चित करना। सड़क नेटवर्क को केवल वाहनों एवं सार्वजनिक परिवहन के लिए ही नहीं बल्कि पैदल यात्रियों और साईकिल चालकों के लिए भी बनाया अथवा सुसज्जित किया जाता है और पैदल या साईकिल से तय की जाने वाली दूरियों के लिए आवश्यक प्रशासनिक सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

4. **हरित पर्यावरण को बढावा देना :–** नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में बढ़ोत्तरी करने, शहरी क्षेत्रों में ताप के प्रभावों में कमी लाने और आमतौर पर पारिस्थितिकीय संतुलन को बढ़ावा देने के लिए खुले स्थानों – पार्क, खेल के मैदान, मनोरंजन के स्थानों का संरक्षण और विकास करना महत्वपूर्ण है।

5. **परिवहन के विभिन्न विकल्पों को बढ़ावा देना : –** ट्रांजिट उन्मुख विकास (टीओडी), सार्वजनिक परिवहन और अंतिम गंतव्य स्थल पर परिवहन कनेक्टिविटी।

6. **तकनीकी सेवाओं का उपयोग :–** सेवाओं की कीमतों में कमी लाने और नगर निगम के कार्यालयों में जाए बिना सेवाएं प्रदान करने के लिए जवाबदेही और पारदर्शिता लाने के लिए ऑनलाइन सेवाओं पर अधिकाधिक आश्रित शासन को नागरिक–मैत्री और किफायती बनाना, विशेषकर मोबाइल उपयोग को। लोगों को सुनने और सुझाव लेने एवं कार्यस्थलों के साइबर दौरे की मदद से कार्यक्रमों व कार्यकलापों की ऑनलाइन निगरानी का उपयोग करने के लिए ई–समूहों का गठन करना।

7. **लोक संस्कृति का विकास एवं पहचान दिलाना :–** अपने मुख्य आर्थिक कार्यकलापों जैसे स्थानीय भोजन, स्वास्थ्य, शिक्षा, कला और शिल्प, संस्कृति, खेल के सामान, फर्नीचर, होजरी, कपड़े, डेयरी आदि पर आधारित शहर को पहचान प्रदान करना।

8. **नई तकनीकों का इस्तेमाल करना :–** अवसंरचना और सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए क्षेत्र आधारित विकास में उनके लिए स्मार्ट समाधान का उपयोग करना। उदाहरण के लिए, कुछेक संसाधनों का उपयोग कर और सस्ती सेवाएं प्रदान कर क्षेत्रों को आपदा के प्रति कम असुरक्षित बनाना।

9. **स्मार्ट सिटी बनाने में क्षेत्र आधारित विकास एवं पुनर्निर्माण पर बल देना :–** स्मार्ट सिटी मिशन में क्षेत्र–आधारित विकास के कार्यनीतिक घटक नगर सुधार (पुनः संयोजन), शहर का नवीकरण (पुनर्विकास) और शहर का विस्तार (हरित क्षेत्र का विकास) एवं पैन–सिटी की पहल है जिसमें शहर के बड़े हिस्सों को कवर करते हुए स्मार्ट समाधानों का उपयोग किया जाता है। नीचे क्षेत्र–आधारित स्मार्ट सिटी के विकास के तीन मॉडलों के विवरण दिए गए हैं :

- **पुनः संयोजन :** (रेट्रोफिटिंग) नगर सुधार से मौजूदा क्षेत्र और अधिक कुशल और रहने योग्य बनाने के लिए अन्य उद्देश्यों के साथ–साथ स्मार्ट सिटी के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए मौजूदा निर्मित क्षेत्र में नियोजन की शुरूआत होगी। पुनः संयोजन में, नागरिकों के साथ विचार–विमर्श करके शहर के समीपस्थ ऐसे क्षेत्र की पहचान की जाएगी जो 500 एकड़ से अधिक हो। पहचाने गए क्षेत्र में अवसंरचना सेवाओं के मौजूदा स्तर और निवासियों के विजन के आधार पर, शहरों को स्मार्ट बनाने के लिए कार्यनीति बनाई जाएगी। चूंकि इस मॉडल में मौजूदा संरचनाओं को काफी

हद तक वैसा ही बरकरार रखा जाएगा, उम्मीद है कि पुनः संयोजित स्मार्ट सिटी में अधिक गहन अवसंरचनागत सेवा स्तर और स्मार्ट एप्लीकेशन्स होंगी। इस कार्यनीति को अधिक छोटी समय–सीमा में भी पूरा किया जा सकता है, जिससे शहर के अन्य हिस्सों में इसे आदर्श मॉडल के रूप में लिया जाएगा।

- **पुनर्विकास :–** इससे मौजूदा निर्मित पर्यावरण का प्रतिस्थापन प्रभाव पड़ेगा और मिश्रित भू–उपयोग एवं वर्धित घनत्व का उपयोग करते हुए संवर्धित अवसंरचना वाले नए विन्यास का सह–सृजन होगा। पुनर्विकास में नागरिकों के परामर्श से शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) द्वारा पहचाने गए 50 एकड़ से अधिक क्षेत्र की परिकल्पना की गई है। उदाहरण के लिए, पहचाने गए क्षेत्र का मिश्रित भू–उपयोग, उच्चतर एफएसआई और उच्च भूमि कवरेज से नई विन्यास योजना बनाई जाएगी। पुनर्विकास मॉडल के दो उदाहरण राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम द्वारा निष्पादित किए जा रहे मुंबई में सैफी बुरहानी उत्थान परियोजना (जिसे भिंडी बाजार परियोजना भी कहा जाता है) और नई दिल्ली में पूर्व किदवई नगर का पुनर्विकास हैं।

- **हरित क्षेत्र** के विकास से किफायती हाउसिंग, खासतौर पर गरीबों के लिए हाउसिंग के प्रावधान सहित नव–प्रवर्तनकारी नियोजन, आयोजनागत वित्तपोषण और आयोजनागत कार्यान्वयन (उदाहरणार्थ भूमि की पूलिंग/भूमि पुनः निर्माण) के उपयोग से पूर्व में खाली पड़े क्षेत्र (250 एकड़ से अधिक) में अधिकांश स्मार्ट समाधान लागू होंगे। बढ़ती आबादी की जरूरतें पूरी करने के लिए शहरों के इर्द–गिर्द हरित क्षेत्र विकसित करना अपेक्षित है। इसका एक जाना माना उदाहरण गुजरात में गिफ्ट सिटी है। पुनः संयोजन और पुनर्विकास से अलग, हरित क्षेत्र का विकास शहरी स्थानीय निकायों के दायरे के भीतर अथवा स्थानीय विकास प्राधिकरण (यूडीए) के दायरे के भीतर किया जा सकता है।

- पैन–सिटी के विकास के लिए पूरे शहर में मौजूदा अवसंरचना में चुनिंदा स्मार्ट समाधानों के प्रयोग की परिकल्पना है। स्मार्ट समाधानों के प्रयोग में अवसंरचना और सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए तकनीक, सूचना और आंकड़ों का उपयोग शामिल होगा। उदाहरण के लिए, परिवहन क्षेत्र में स्मार्ट समाधानों (इंटेलीजेंट यातायात प्रबंधन प्रणाली) का उपयोग करने और औसत आवाजाही समयावधि अथवा नागरिकों द्वारा खर्च की जाने वाली कीमत में कमी करने का नागरिकों की उत्पादकता और उनके जीवन की गुणवत्ता पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इसका एक अन्य उदाहरण अपशिष्ट जल का पुनः चक्रण और स्मार्ट मीटरिंग हो सकता है जिससे शहर में बेहतर जल प्रबंधन में काफी अधिक योगदान हो सकता है।

उम्मीद है कि प्रत्येक चयनित शहर के स्मार्ट सिटी के प्रस्ताव में पुनः संयोजन अथवा पुनर्विकास अथवा हरित क्षेत्र के विकास अथवा इनके मिश्रण और स्मार्ट समाधान (समाधानों) वाले पैन–सिटी की विशेषताएं शामिल होंगी। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि पैन–सिटी प्रदान की जाने वाली अतिरिक्त विशेषता है। चूंकि स्मार्ट सिटी में छोटे क्षेत्र की एप्रोच अपनाई जा रही है, यह जरूरी है कि शहर के सभी निवासी यह महसूस करें कि इसमें उनके लिए कुछ न कुछ है। अतः स्कीम को समावेशी बनाने के लिए इसमें पूरे शहर के लिए कुछ (कम से कम एक) स्मार्ट समाधान की व्यवस्था की गई है।

पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिए, विकसित किए जाने के लिए प्रस्तावित क्षेत्र वैकल्पिक मॉडलों– पुनः संयोजन, पुनर्विकास या हरित–क्षेत्र विकास में से किसी के लिए भी विनिर्धारित का आधा होगा।

स्मार्ट सिटी की चुनौतियां : ऐसा पहली बार हुआ है, जब शहरी विकास मंत्रालय कार्यक्रम में निधियन के लिए शहरों के चयन करने के लिए 'चुनौती' अथवा प्रतिस्पर्धा विधि का उपयोग करना पड़ रहा है और क्षेत्र–आधारित विकास की कार्यनीति का उपयोग किया जा रहा है। यह 'प्रतिस्पर्धी और सहकारी संघवाद' के भाव को दर्शाता है। राज्य और शहरी स्थानीय निकाय स्मार्ट शहरों के विकास में महत्वपूर्ण सहायक भूमिका निभा रहे है। इस स्तर पर स्मार्ट नेतृत्व एवं दूरदृष्टि और निर्णायक कार्रवाई करने की क्षमता महत्वपूर्ण कारक होंगे जो मिशन की सफलता निर्धारित करेंगे। नीति निर्माताओं, कार्यान्वयनकर्ताओं एवं अन्य हितधारकों द्वारा विभिन्न स्तरों पर पुनः संयोजन, पुनर्विकास और हरित–क्षेत्र के विकास की अवधारणाओं को समझने के लिए क्षमता सहायता अपेक्षित होगी। चुनौतियों में भागीदारी से पूर्व नियोजन चरण के दौरान समय और संसाधनों में प्रमुख निवेश करने होंगे। स्मार्ट सिटी मिशन के लिए स्मार्ट लोग अपेक्षित हैं जो प्रशासन और सुधारों में सक्रिय रूप से भाग लें। नागरिकों की भागीदारी शासन में एक औपचारिक भागीदारी से कहीं बढ़कर है। स्मार्ट लोग स्मार्ट शहर के विकास क्रमों को स्थिर बनाने के लिए कार्यान्वयन एवं परियोजना–उपरांत संरचनाओं के दौरान स्मार्ट सिटी की परिभाषा, स्मार्ट समाधानों के उपयोग करने संबंधी निर्णयों, सुधारों को लागू करने, कम संसाधनों से अधिक काम लेने और पर्यवेक्षण में स्वयं शामिल होते हैं। आईसीटी, विशेषकर मोबाईल–आधारित उपकरणों के अधिक उपयोग के जरिए एसपीवी द्वारा स्मार्ट लोगों की भागीदारी हो सकेगी।

उपसंहार : ऊपर वर्णित तथ्यों को ध्यान में रखकर हम स्मार्ट सिटी को बनाने में सफल हो सकेगें। एक छोटा शहर, पुराने शहर एवं प्रसिद्ध शहर जो रख–रखाव के कारण लुप्त हो चुकी है या किसी शहर से जुड़े गांव का विकास कर स्मार्ट सिटी का मॉडल तैयार कर सकते है। जिससे हर व्यक्ति को अपने सपनों का घर बनाने का सपना साकार हो सकेगा। जो छोटे से भू–भाग में इंसानों की सभी मूलभूत सुविधाओं से लैस हो जहां सूकून से जिंदगी बितायी जा सकेगी।

हर व्यक्ति का है एक ही सपना
स्मार्ट सिटी में हो घर अपना

बैंक के वृक्षारोपण अभियान की कुछ झलकियां

पंजी. सं. दिल्ली इन/2001/6138

राष्ट्रीय आवास बैंक
NATIONAL HOUSING BANK

भारत सरकार के अन्तर्गत एक सांविधिक निकाय

कोर-5ए, तृतीय-पंचम तल, भारत पर्यावास केंद्र
लोधी रोड, नई दिल्ली - 110003

30 जून, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु लेखा परीक्षित वित्तीय परिणाम

(₹ लाख में)

विवरण	30/06/2020 को समाप्त वर्तमान लेखा वर्ष लेखा परीक्षित	30/06/2019 को समाप्त पिछला लेखा वर्ष लेखा परीक्षित
1. अर्जित ब्याज (क) + (ख) + (ग) + (घ)	**4,98,482.09**	**4,99,407.01**
(क) अग्रिमों पर ब्याज	4,64,562.47	4,74,051.02
(ख) निवेशों पर आय	17,420.42	20,613.45
(ग) बैंक जमाओं पर ब्याज	16,499.20	4,742.54
(घ) अन्य	-	-
2. अन्य आय	**4,043.95**	**28,147.83**
3. कुल आय (1+2)	**5,02,526.03**	**5,27,554.84**
4. व्यय किया गया ब्याज	**3,42,229.61**	**3,39,961.49**
5. परिचालन व्यय (i) + (ii)	**7,660.78**	**6,589.07**
(i) कर्मचारियों के लिए भुगतान एवं प्रावधान	2,923.69	2,111.89
(ii) अन्य परिचालन व्यय (क) + (ख) + (ग)	4,737.09	4,477.18
(क) ब्रोकरेज, गारंटी शुल्क एवं अन्य वित्त प्रभार	389.04	496.53
(ख) उधारों पर स्टांप शुल्क	365.03	410.04
(ग) अन्य व्यय	3,983.02	3,570.61
6. मुद्रा के उतार-चढ़ाव के कारण (लाभ)/हानि	**(819.51)**	**1,366.42**
7. प्रावधान एवं आकस्मिक व्ययों को छोड़कर कुल व्यय (4+5+6)	**3,49,070.88**	**3,47,916.98**
8. प्रावधान एंव आकस्मिक व्ययों से पूर्व परिचालन लाभ (3-7)	**1,53,455.15**	**1,79,637.86**
9. कर एवं आकस्मिक व्ययों के अलावा अन्य प्रावधान	1,08,287.81	48,190.76
10. असामान्य मदें	-	-
11. कर पूर्व सामान्य गतिविधियों से लाभ (+) / हानि (-) (8-9-10)	**45,167.34**	**1,31,447.10**
12. कर व्यय	25,600.00	58,150.00
13. कर के पश्चात सामान्य गतिविधियों से निवल लाभ (+) / हानि (-) (11-12)	**19,567.34**	**73,297.10**
14. असाधारण मदें (कर व्यय का निवल)	-	-
15. अवधि हेतु निवल लाभ (+) / हानि (-) (13-14)	**19,567.34**	**73,297.10**
16. चुकता पूंजी (भारत सरकार के संपूर्ण स्वामित्व में)	1,45,000.00	1,45,000.00
17. पुनर्मूल्यांकन आरक्षित को छोड़कर आरक्षित (पिछले लेखा वर्ष के तुलन पत्र के अनुसार)	7,67,936.64	7,48,092.97
18. विश्लेषणात्मक अनुपात:		
(i) पूंजीगत पर्याप्तता अनुपात	12.74%	16.01%
(ii) प्रति शेयर आय (ईपीएस)	लागू नहीं	लागू नहीं
19. एनपीए अनुपात		
क) सकल एनपीए की राशि	2,50,284.59	418.64
ख) निवल एनपीए की राशि	62,466.22	-
ग) सकल एनपीए का प्रतिशत	2.99%	0.01%
घ) निवल एनपीए का प्रतिशत	0.76%	0.00%
ड) आस्तियों पर लाभ (वार्षिक)	0.25%	1.04%

टिप्पणी:

1. उपरोक्त परिणाम लेखा परीक्षा समिति द्वारा समीक्षित एवं 26 अगस्त, 2020 को नई दिल्ली में आयोजित निदेशक मंडल की बैठक में अनुमोदित किए गए हैं।
2. 1995 के मुकदमा सं. 2 में माननीय विशेष न्यायालय द्वारा पारित डिक्री को दरकिनार (सेटिंग असाइड) करते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय और वित्तीय सेवाएं विभाग (डीएफएस), भारत सरकार द्वारा जारी निदेशों के अनुसार, राष्ट्रीय आवास बैंक (रा.आ.बैंक) ने भारतीय स्टेट बैंक को ₹236.78 करोड़ का भुगतान किया था। जुलाई, 2016 में, भारतीय स्टेट बैंक ने माननीय विशेष कोर्ट के समक्ष एक आवेदन दायर किया है जिसमें ₹236.78 करोड़ पर 19% की दर से ब्याज दावा किया गया है। रा.आ. बैंक ने भारतीय स्टेट बैंक के उपर्युक्त दावे से इंकार किया है और आवेदन को खारिज करने का अनुरोध किया है। इसके अतिरिक्त, वित्तीय सेवाएं विभाग के निदेशों के अनुसार रा.आ. बैंक को भारतीय स्टेट बैंक से ₹353.78 करोड़ प्राप्त करने है जिसके लिए रा.आ. बैंक ने जवाबी दावा दायर किया है।
3. 30 जून, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु वित्तीय परिणाम वर्ष के अंत में दिये गये कर्मचारी लाभ सहित भारतीय रिज़र्व बैंक (भा.रि.बैंक) द्वारा जारी विवेकपूर्ण मानदंडों के आधार पर अनर्जक आस्तियों एवं मानक आस्तियों, आयकर, आस्थगित कर एवं अन्य सामान्य एवं अनिवार्य प्रावधानों के आकलन पश्चात आए हैं।
4. भारतीय रिज़र्व बैंक के 04 अगस्त, 2016 के परिपत्र के अनुसार, बैंक निरंतर प्रोफार्मा आईएनडी एएस विवरणी तैयार कर रहा है और नियमित रूप से विनियामक को प्रस्तुत कर रहा है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने 15 मई, 2019 के अपने पत्र के माध्यम से यह सलाह दी है कि अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों (एआईएफआई) द्वारा भारतीय लेखांकन मानकों के कार्यान्वयन को अगली सूचना तक स्थगित कर दिया गया है।
5. जून, 2020 को समाप्त वित्त वर्ष के दौरान, बैंक ने दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन लि. (डीएचएफएल) और पीएमसी बैंक को क्रमश: 18-10-2019 और 31-12-2019 को अनर्जक आस्तियों के रूप में ₹2349.54 करोड़ एवं ₹149.13 करोड़ की बकाया राशि वर्गीकृत की है। बैंक ने क्रमश: डीएचएफएल और पीएमसी बैंक की ओर ₹1762 करोड़ एवं ₹112 करोड़ की कुल बकाया राशि का 75% का प्रावधान किया है।
6. जहां आवश्यक था वहां पिछले वर्षो के आंकड़ो को पुन: वर्गीकृत / पुन: व्यवस्थित किया गया है।

उपरोक्त परिणाम 30.06.2020 के तुलन पत्र तथा 26.08.2020 की लेखा परीक्षा रिपोर्ट के अनुसार 30.06.2020 को समाप्त वर्ष हेतु लाभ एवं हानि लेखा पर आधारित है।

ह./-
(एस के होता)
प्रबंध निदेशक

स्थान: नई दिल्ली
तिथि: 26 अगस्त, 2020

कृते बंसल एंड कंपनी एलएलपी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी. सं. 0001113 एन/एन 500079

ह./-
(सी ए सिद्धार्थ बंसल)
भागीदार
सदस्यता सं. 518004

पृष्ठ सज्जा एवं प्रिंटिंग: जे.के. ऑफसेट ग्राफिक्स प्रा.लि., नई दिल्ली–110020
मुद्रण तिथि : 01 अक्टूबर 2020